

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 मई 2025—ज्येष्ठ 2, शक 1947

## भाग 3 ( 1 )

### विज्ञापन

### अन्य सूचनाएं

#### नाम परिवर्तन

मैं, विनोद कुमार ब्राह्मण आत्मज स्व. श्री वृन्दावन ब्राह्मण, निवासी—सैनी चक्की के पास, अहमदनगर, वृन्दावन वार्ड, गोपालगंज, सागर जिला सागर (म.प्र.). यह कि आधार कार्ड, पेन कार्ड, अंकसूची एवं सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम विनोद कुमार ब्राह्मण दर्ज है जबकि मेरे राजस्व अभिलेख, विवाह प्रमाण—पत्र आदि में मेरा नाम विनोद कुमार अग्निहोत्री दर्ज है. अब मुझे विनोद कुमार ब्राह्मण के वजह विनोद कुमार अग्निहोत्री के नाम से जाना, पहचाना, लिखा, पढ़ा एवं सम्बोधित किया जाय तथा आगे मेरे सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में सुधार कर विनोद कुमार अग्निहोत्री दर्ज किया जाये.

पुराना नाम

नया नाम

(विनोद कुमार ब्राह्मण)

(विनोद कुमार अग्निहोत्री)

(G-2164)

#### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मतदाता परिचय—पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, समग्र आई.डी., समयकान आदेश सामान्य भविष्य निधि लेखा क्रमांक एवं अन्य दस्तावेजों पर गणेश सिंह परमार पिता अन्धारामसिंह परमार दर्ज है. जो सही एवं वास्तविक नाम है, जबकि सेवा अभिलेख में गणेश रामसिंह परमार दर्ज है जो गलत उप नाम दर्ज हो गया है. आज से मैं, गणेशसिंह परमार पिता अन्धाराम सिंह परमार नाम से जाना—पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(गणेशसिंह परमार)

पिता—अन्धारामसिंह परमार

निवासी—चन्द्रशेखर वार्ड बैतूल, तह., जिला बैतूल (म.प्र.).

(G-2165)

## नाम परिवर्तन

मैं, मो. इसरार खान (MO. ISRAR KHAN) आत्मज मो. मुमताज खान (MO. MUMTAJ KHAN), निवासी-मकान नं. एमआईजी-24, सतगुरु कॉम्प्लेक्स, बैरसिया रोड, हुजूर भोपाल (म.प्र.). मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा सही नाम अंकित है परंतु मेरी सर्विसबुक में मेरा नाम केवल मो. इसरार अंकित है जबकि मेरा वास्तविक पूर्ण नाम मो. इसरार खान (MO. ISRAR KHAN) है. जिसे भविष्य में लिखा व पढ़ा जावे.

प्रार्थी

(मो. इसरार खान)

आत्मज-मो. मुमताज खान,

(G-2166)

## नाम परिवर्तन

मैं, बिन्दु आड़कने पति सरोज कुमार, ग्राम वारा, वारासिवनी, शिवधाम मोहल्ला, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र.). मैं, शपथपूर्वक कथन करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व नाम बिन्दु चौरे पिता श्री दुर्योधन चौरे था. विवाह पश्चात् मेरा नाम बिन्दु आड़कने पति सरोज कुमार हो गया है. प्रकाशन उपरांत मुझे बिन्दु आड़कने के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा-लिखा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(बिन्दु चौरे)

पिता-श्री दुर्योधन चौरे

(G-2167)

नया नाम

(बिन्दु आड़कने)

पति-श्री सरोज कुमार

## नाम परिवर्तन

मेरा नाम संध्या बर्मन पति स्व. शैलेश कुमार बर्मन है, निवासी-ग्राम बंडोल, पो बंडोल, तहसील व जिला सिवनी (म.प्र.). है. मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा विवाह पूर्व नाम संध्या रिवारे पिता श्री गुरुप्रसाद रिवारे सभी शैक्षणिक दस्तावेज में दर्ज है. मेरा विवाह पश्चात् नाम संध्या बर्मन पति शैलेश कुमार बर्मन हो चुका है तथा मैं, इसी नाम से जानी एवं पहचानी जाती हूँ एवं अपने वर्तमान सभी अभिलेखों एवं सर्विस रिकार्ड में अपना नाम संध्या बर्मन पति शैलेश कुमार बर्मन करवाना चाहती है.

पुराना नाम

(संध्या रिवारे)

(SANDHYA RIWARE)

पिता-श्री गुरु प्रसाद रिवारे

(G-2168)

नया नाम

(संध्या बर्मन)

(SANDHYA BARMAN)

पति-स्व. शैलेश कुमार

## नाम परिवर्तन

मैं, रामायण प्रसाद (RAMAYAN PRASAD) पुत्र दशरथ प्रसाद, निवासी ए/11, रूस्तम जी आवासीय परिसर, जहांगीराबाद, भोपाल (म.प्र.). यह कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों एवं सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम रामायण हरिजन (RAMAYAN HARIJAN) अंकित है, लेकिन मेरे अन्य दस्तावेजों और परिवार के सदस्यों के दस्तावेजों में मेरा नाम रामायण प्रसाद (RAMAYAN PRASAD) पुत्र दशरथ प्रसाद दर्ज है. उक्त दोनों ही नाम मेरे ही हैं. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में मुझे रामायण प्रसाद (RAMAYAN PRASAD) पुत्र दशरथ प्रसाद के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(रामायण हरिजन)

(RAMAYAN HARIJAN)

(G-2169)

नया नाम

(रामायण प्रसाद)

(RAMAYAN PRASAD)

पुत्र-दशरथ प्रसाद

## उपनाम परिवर्तन

मैं, सीमा श्रीवास्तव पिता श्री कृष्ण मोहन लाल श्रीवास्तव, निवासी-चिरहुला कॉलोनी, वार्ड क्रमांक 44, रीवा. सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह श्री प्रकाश खरे से हुआ था. विवाहोपरांत मैंने अपना उपनाम श्रीवास्तव से बदलकर खरे कर लिया है. सीमा श्रीवास्तव, सीमा खरे एक ही व्यक्ति का नाम है. अतः मेरे सभी कार्यालयीन दस्तावेजों, सर्विस बुक, सभी शासकीय और अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम सीमा श्रीवास्तव की जगह सीमा खरे दर्ज किया जाए एवं मेरा यही नाम लिखा, पढ़ा और जाना जाए.

पुराना नाम  
(सीमा श्रीवास्तव)  
(G-2170)

नया नाम  
(सीमा खरे)

## नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती अंशू पाठक पति श्री अरूणेन्द्र पाठक, निवासी-ग्राम पोस्ट रहट, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.). मेरे शिक्षा संबंधी प्रमाण-पत्र एवं समस्त दस्तावेजों में मेरे विवाह के पूर्व का नाम अंशू गौतम पिता श्री रमेश गौतम दर्ज है. मेरा विवाह श्री अरूणेन्द्र पाठक पिता श्री जगदीश प्रसाद पाठक के साथ हुआ है. विवाह होने के पश्चात मेरा नाम श्रीमती अंशू पाठक पति श्री अरूणेन्द्र पाठक हो गया है. अतः अब मुझे मेरे नये नाम श्रीमती अंशू पाठक से ही जाना व पहचाना जाये एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जाये.

(G-2171)

प्रार्थिनी  
(अंशू पाठक)

## नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती कृष्णा बाई पत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह रघुवंशी, निवासी-भगत सिंह कॉलोनी एस.एल. मेमोरियल स्कूल के पास गुना. मेरे पति स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह रघुवंशी के रेलवे रिकॉर्ड में दर्ज नाम कृष्णा बाई तथा मेरे पुत्र रोहित के शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज नाम कृष्णा रघुवंशी तथा मेरी पुत्री पूजा रघुवंशी के शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज नाम कृष्णा सिंह एक ही महिला का नाम होकर मेरे ही नाम हैं तथा मैं, ही स्व महेंद्र सिंह की पत्नि हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे समस्त शासकीय व अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में श्रीमती कृष्णा बाई, कृष्णा रघुवंशी तथा कृष्णा सिंह के स्थान पर कृष्णा बाई रघुवंशी के नाम से लिखा-पढ़ा व दर्ज किया जावे.

(G-2172)

प्रार्थिनी  
(कृष्णा बाई)  
पत्नी-स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह रघुवंशी.

## CHANGE OF NAME

I, CHANDRAKALA IS MOTHER OF NAME-WANKHADE BAJRANG DNYANESHWAR PRESENTLY SERVING IN 7, MAHAR C/O 56 APO, HOME ADDRESS-BDNERA ROAD, DASARA MAIDAN, VASANTRAO NAIKE NAGAR, MAHARASHTRA 444605, HAVE CHANGED MY NAME FROM CHANDRAKALA TO INDRAKALA DNYANESHWAR WANKHADE IN ALL MY DOCUMENTS.

Old Name

New Name

(CHANDRAKALA)  
(G-2173)

(INDRAKALA DNYANESHWAR WANKHADE)

### नाम परिवर्तन

मैं, दीपाली कोरडे पति स्व. श्री विकास कोरडे, निवासी-सी-1, 102, 25 क्वार्टस, दूसरी पल्टन व्हीआईपी रोड, इंदौर तथा मेरा नाम दीपाली कोरडे जो त्रुटिवश पुलिस सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है. मेरे सभी शासकीय दस्तावेजों जैसे कि आधार कार्ड/पैन कार्ड/ड्राइविंग लायसेंस/मेरिज सर्टिफिकेट/बैंक पासबुक/समग्र आईडी/ निवासी प्रमाण-पत्र आदि सभी में मेरा नाम दीपाली विकास कोरडे ही दर्ज है. मैं, पुलिस सर्विस रिकॉर्ड में भी अपना नाम दीपाली कोरडे के स्थान पर दीपाली विकास कोरडे लेख कराया जाना चाहती हूँ. यह कि भविष्य में मुझे दीपाली विकास कोरडे के नाम से जाना, व पहचाना जावे.

पुराना नाम  
(दीपाली कोरडे)  
(G-2174)

नया नाम  
(दीपाली विकास कोरडे)

### नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती रेणु भलावी पति श्री विजेन्द्र कुमार भलावी, निवासी-ग्राम खैरीटोला पोस्ट छपारा, तहसील छपारा, जिला सिवनी (म.प्र.). मेरा विवाह पूर्व नाम रेणु परते पिता श्री पोहपसिंह परते था. विवाह पश्चात् मेरा नाम श्रीमती रेणु भलावी पति श्री विजेन्द्र कुमार भलावी है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे श्रीमती रेणु भलावी के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा-लिखा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम  
(रेणु परते)  
पिता-श्री पोहपसिंह परते  
(G-2175)

नया नाम  
(रेणु भलावी)  
पति-श्री विजेन्द्र कुमार भलावी

### नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व/पुराना नाम सुरेश को परिवर्तित कर नया नाम सुरेश सिंह (SURESH SINGH) हो गया है. इससे पूर्व मुझे सुरेश के नाम से जाना और पहचाना जाता था जो मेरे सेवा अभिलेख में दर्ज था. अब मेरा नाम सुरेश सिंह (SURESH SINGH) हो गया है. अतः अब मेरे समस्त दस्तावेजों में जहां पुराना नाम सुरेश लिखा है, उसे नया नाम सुरेश सिंह (SURESH SINGH) पढ़ा और लिखा जावे.

पुराना नाम  
(सुरेश)  
(G-2176)

नया नाम  
(सुरेश सिंह)

### नाम परिवर्तन

मैं, सावित्री बाई मसराम पति स्व. श्री शिवनंदन मसराम, निवासी-ग्राम रमखिरिया, तहसील शहपुरा, जिला जबलपुर (म.प्र.). यह कि मेरे विभागीय दस्तावेजों में मेरा नाम सावित्री बाई मसराम अंकित है, जबकि मेरे आधार कार्ड आदि शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम सावित्री बाई अंकित है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे सही नाम सावित्री बाई मसराम (Savitri Bai Masram) के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम  
(सावित्री बाई)  
(Savitri Bai)  
(G-2177)

नया नाम  
(सावित्री बाई मसराम)  
(Savitri Bai Masram)  
पत्नी-शिवनंदन सिंह मसराम

## नाम परिवर्तन

मैं, रवि मालवी पुत्र श्री अतरलाल मालवी, निवासी वार्ड 11, ग्राम चीचगाँव, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.). यह कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड पर त्रुटिवश नक्ष मालवी (NAKSH MALVI) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है जबकि उसके जन्म प्रमाण-पत्र पर यश मालवी (YASH MALVI) पुत्र श्री रवि मालवी नाम दर्ज है जो कि सही है. अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में यश मालवी (YASH MALVI) पुत्र श्री रवि मालवी के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

प्रार्थी

(G-2178)

(रवि मालवी)

## नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम राधेश सोनी है. पूर्व में उसका नाम आधार कार्ड में रिशिल सोनी था. जो अब परिवर्तन होकर राधेश सोनी हो गया है. यही नाम उसके स्कूल में दर्ज है. प्रकाशन उपरान्त उसे राधेश सोनी के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा-लिखा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(G-2179)

(राधेश सोनी)

पिता-राजेश सोनी

पता-श्रीराम मंदिर के पास, 8, नगरचि वाखल, इन्दौर.

## नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री तेजस्विनी वैस्य (TEJASVINI VAISY) पुत्री श्री जगदीश सिंह के नाम से जानी व पहचानी जाती है. जब कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम अंशिका राजपूत (ANSHIKA RAJPOOT) पुत्री श्री जगदीश सिंह अंकित है, जो कि गलत है. प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री का सही नाम तेजस्विनी वैस्य (TEJASVINI VAISY) पुत्री श्री जगदीश सिंह के नाम से जाना-पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(अंशिका राजपूत)

(ANSHIKA RAJPOOT)

नया नाम

(तेजस्विनी वैस्य)

(TEJASVINI VAISY)

पुत्री-श्री जगदीश सिंह.

(G-2180)

## नाम परिवर्तन

मैं, राठौड प्रशांत रमेश पुत्र रमेश, निवासी-वार्ड 13, गोरमी, जिला भिण्ड, (म.प्र.). मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम राठौड प्रशांत रमेश पुत्र रमेश दर्ज है, उसी के आधार पर मैं, अपने समस्त दस्तावेजों में राठौड प्रशांत रमेश (RATHOD PRASHANT RAMESH) पुत्र रमेश दर्ज कराना चाहता हूँ, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय /व्यक्तिगत दस्तावेजों में मुझे राठौड प्रशांत रमेश (RATHOD PRASHANT RAMESH) पुत्र रमेश के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(प्रशांत राठौर)

( PRASHANT RATHOR)

(G-2181)

नया नाम

(राठौड प्रशांत रमेश)

(RATHOD PRASHANT RAMESH)

पुत्र-रमेश.

## नाम परिवर्तन

मैं, दौलत सिंह पुत्र श्री परसराम सिंह राजपूत, निवासी—ग्राम परसवाड़ा ढांडिया, बनखेड़ी (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में नाम साहिल सिंह राजपूत (Shail Singh Rajput) है व अन्य दस्तावेजों में मेरे पुत्र का नाम अजय (Ajay) है, भविष्य में मेरे पुत्र को अजय (Ajay) के नाम से जाना—पहचाना जाये.

पुराना नाम  
(साहिल सिंह राजपूत)  
(Shail Singh Rajput)  
(G-2182)

नया नाम  
(अजय)  
(Ajay)  
पता—ग्राम परसवाड़ा, ढांडिया बनखेड़ी.

## नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र चमन अली के जन्म प्रमाण—पत्र, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, समग्र आई.डी, जाति प्रमाण—पत्र एवं समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में नाम चमन अली पुत्र आवद अली स्या दर्ज है, मैंने अपने पुत्र का नाम चमन अली के स्थान पर आमिर अली रख दिया है. भविष्य में मेरे पुत्र को आमिर अली पुत्र आवद अली स्या के नाम से ही जाना, पहचाना, पुकारा, पढ़ा, लिखा मान्य किया जावे.

(G-2183)

प्रार्थी  
(आवद अली स्या)  
पता—कबीर कॉलोनी, टाल रोड मुरार,  
ग्वालियर (म.प्र.).

## नाम परिवर्तन

मैं, पंकज तिवारी आत्मज श्री यग्य प्रताप तिवारी, निवासी—म.न. 133, भलुहा ग्राम पंचायत भवन के पास, भलुहा, रीवा (म.प्र.). यह कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम वैष्णवी तिवारी अंकित हो गया है जो कि गलत है. जबकि मेरी पुत्री का सही नाम प्रांसी तिवारी (Pransi Tiwari) पुत्री पंकज तिवारी (Pankaj Tiwari) है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को उसके सही नाम प्रांसी तिवारी (Pransi Tiwari) पुत्री पंकज तिवारी (Pankaj Tiwari) के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

(G-2184)

प्रार्थी  
(पंकज तिवारी).

## नाम परिवर्तन

मैं, सुरेन्द्र सिंह चौहान (SURENDRA SINGH CHOUHAN) पुत्र श्री हुकुमसिंह चौहान, निवासी—पता वार्ड नं. 38, गांधी नगर आज्ञाराम कालोनी, विदिशा (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटिवश प्रिंस चौहान दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि उसके शैक्षणिक दस्तावेज एवं जन्म प्रमाण—पत्र में सही नाम अभय प्रतापसिंह चौहान (ABHAY PRATAP SINGH CHOUHAN) पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान (SURENDRA SINGH CHOUHAN) दर्ज है जो कि सही है. अतः प्रकाशन के उपरांत भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में अभय प्रतापसिंह चौहान (ABHAY PRATAP SINGH CHOUHAN) पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान (SURENDRA SINGH CHOUHAN) के नाम से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा जावे.

(G-2185)

भवदीय  
(सुरेन्द्र सिंह चौहान)  
पुत्र—श्री हुकुमसिंह चौहान.

## नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरे पुत्र का नाम रोहित राठौड़ पिता ममराज राठौड़ था. अब मेरे पुत्र का नाम युवराज राठौड़ पिता ममराज राठौड़ हो गया है. अतः मुझे मेरे पुराने नाम रोहित राठौड़ पिता ममराज राठौड़ के स्थान पर युवराज राठौड़ पिता ममराज राठौड़ के नाम से जाना व पहचाना जावे.

प्रार्थी

(ममराज राठौड़)

पिता-गोवर्धन राठौड़

पता-रामदेव बाबा मंदिर के पास,

ग्राम पांगरीमाल, पोस्ट नागझिरी,

तह. खकनार, जिला-बुरहानपुर (म.प्र.).

(G-2186)

## नाम परिवर्तन

मैं, बालमुकंद सिंह पुत्र श्री उमेदसिंह, निवासी-ग्राम ओसनयाई, पोस्ट घटवार, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा (म.प्र.). यह कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश कीर्ति (KEERTI) नाम दर्ज हो गया है. जो कि गलत है, जबकि उसके शैक्षणिक दस्तावेजों एवं जन्म प्रमाण-पत्र में कीर्तिका राठौर (KIRTIKA RATHORE) पुत्री श्री बालमुकंद सिंह दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में कीर्तिका राठौर (KIRTIKA RATHORE) पुत्री श्री बालमुकंद सिंह के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

प्रार्थी

(बालमुकंद सिंह)

पुत्र-श्री उमेदसिंह.

(G-2187)

## नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम परम पटेल है, जबकि उसके आधार कार्ड एवं जन्म प्रमाण-पत्र में उदित पटेल अंकित है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त से मेरे पुत्र का सही नाम परम पटेल होगा. इसी नाम से जाना एवं पहचाना जायेगा एवं उसके दस्तावेजों में अंकित किया जावेगा.

प्रार्थी

(आनंद पटेल)

पता-मं.नं. 45, पोस्ट गुराडिया, तहसील सिवनी,

मालवा नर्मदापुरम (म.प्र.).

(G-2188)

## नाम परिवर्तन

मैं, विवेक कुमार शर्मा पुत्र श्री नवल कुमार शर्मा, निवासी-106, ग्राम मंगरौल, दतिया (म.प्र.). यह कि मेरी पुत्री सूर्याशी शर्मा (Suryanshi Sharma) के जन्म प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड आदि में हमारी पुत्री का नाम सूर्याशी शर्मा (Suryanshi Sharma) दर्ज है एवं मेरा नाम विवेक कुमार शर्मा एवं मेरी पत्नी का नाम निशा शर्मा दर्ज है. हमारी पुत्री के स्कूल रिकार्ड में हमारे एवं पुत्री के सरनेम त्यागी (Tyagi) दर्ज है. अतः स्कूल रिकार्ड में मेरी पुत्री एवं हमारे पति-पत्नी के सरनेम त्यागी (Tyagi) के स्थान पर शर्मा (Sharma) दर्ज करवाना है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को उसके सही नाम सूर्याशी शर्मा (Suryanshi Sharma) पिता विवेक कुमार शर्मा (Vivek Kumar Sharma) एवं माता निशा शर्मा (Nisha Sharma) के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(विवेक कुमार शर्मा).

(G-2189)

### नाम परिवर्तन

मैं, इरफान खान आत्मज श्री सुल्तान खान, निवासी—मकान न. आई. 98/38, 1250 तुलसी नगर, भोपाल (म.प्र.). यह कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम विवान खान दर्ज है, जो कि गलत है. जबकि मेरे पुत्र का सही एवं सत्य नाम मोहम्मद इशान खान है, जो कि उसके जन्म प्रमाण—पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके सही नाम मोहम्मद इशान खान पुत्र इरफान खान के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(G-2190)

(इरफान खान)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, लीलावती वर्मा पिता श्री अशोक वर्मा, निवासी—नागर परिषद् सालीचौका, गाडरवार, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा चालू नाम त्रुटिवश खुशबु अंकित है किन्तु अन्य सभी दस्तावेजों में मेरा सही नाम लीलावती वर्मा दर्ज है, जो की सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे सही नाम लीलावती वर्मा के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा—लिखा जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(खुशबु)

(लीलावती वर्मा)

(G-2191)

### नाम परिवर्तन

मेरे आधार कार्ड में भूलवश अर्पित गुरु दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरा सही नाम कार्तिक वैष्णव है, जो कि मेरे मूल निवासी प्रमाण—पत्र एवं मेरे सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम कार्तिक वैष्णव पिता उदयभान वैष्णव (गुरु) से जाना—पहचाना एवं पढ़ा—लिखा, दर्ज किया जाए.

पुराना नाम

नया नाम

(अर्पित गुरु)

(कार्तिक वैष्णव)

पिता—उदयभान (गुरु) वैष्णव

पता—उदयपुरा, गढ़ाकोटा,

जिला सागर (म.प्र.).

(G-2192)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, वेदांत तिवारी पुत्र श्री अनुज तिवारी, निवासी—वार्ड कं 18, नीमिहा घर क्र. 02, शहडोल (म.प्र.). मेरा वास्तविक नाम वेदांत तिवारी है. आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम अनरुद्ध तिवारी अंकित हो गया है. अब मैं, अपने वास्तविक नाम वेदांत तिवारी के नाम से जाना—पहचाना जाऊंगा सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम रहेगा.

पुराना नाम

नया नाम

(अनरुद्ध तिवारी)

(वेदांत तिवारी)

(G-2193)

## नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरी पुत्री का नाम याम्या शुक्ला पुत्री श्री प्रसून शुक्ला माता श्रीमती जयश्री शुक्ला, निवासी-अवधपुरी एम. एच. कंप्यूटर के पीछे, सीहोर तहसील व जिला सीहोर था जो कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में दर्ज है जो असत्य है. मेरी पुत्री का सही नाम याम्या शुक्ला के स्थान पर आरना शुक्ला पुत्री श्री प्रसून शुक्ला माता श्रीमती जयश्री शुक्ला है. अतः मेरी पुत्री को प्रकाशन उपरांत से आरना शुक्ला पुत्री श्री प्रसून शुक्ला लिखा एवं पढ़ा जावे.

प्रार्थी

(प्रसून शुक्ला)

पुत्र-श्री राजेन्द्र शुक्ला.

(G-2194)

## नाम परिवर्तन

मैं, अभिषेक यादव पुत्र श्री आनंदीलाल यादव, निवासी-कटरा वार्ड बीना जिला सागर (म.प्र.). यह कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश घरेलू नाम मानवी यादव (MANVI YADAV) पुत्री श्री अभिषेक यादव नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि उसके जन्म प्रमाण-पत्र और शैक्षणिक दस्तावेजों में ईशा यादव (ESHA YADAV) पुत्री श्री अभिषेक यादव दर्ज है. जो कि सही है. अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में ईशा यादव (ESHA YADAV) पुत्री श्री अभिषेक यादव के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

प्रार्थी

(अभिषेक यादव)

पुत्र-श्री आनंदीलाल यादव.

(G-2195)

## नाम परिवर्तन

मैं, मनीष भावसार पिता स्वर्ग श्री कैलाशचन्द्र भावासार, निवासी-ग्राम उदयगढ़, तहसील जोबट, जिला अलीराजपुर (म.प्र.). मेरी पुत्री के शासकीय दस्तावेजों अंकसूची, जाति प्रमाण-पत्र एवं जन्म प्रमाण-पत्र में मेरी पुत्री का नाम गर्विता भावसार अंकित है, जो सही है. मेरी पुत्री का घरेलू बोलचाल का नाम गौरी भावसार त्रुटिवश कुछ दस्तावेजों में दर्ज हो गया. गर्विता भावसार पिता मनीष भावसार तथा गौरी भावसार पिता मनीष भावसार दोनों मेरी पुत्री अर्थात एक ही के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को गर्विता भावसार के नाम से ही जाना-पढ़ा व समझा जावे.

पुराना नाम

(गौरी भावासार)

नया नाम

(गर्विता भावसार)

पिता-मनीष भावसार

पिता-कैलाशचन्द्र भावसार.

(G-2196)

## नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री अनामिका वैस्य (ANAMIKA VAISY) पुत्री श्री जगदीश सिंह के नाम से जानी व पहचानी जाती है. जबकि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम दामिनी ठाकुर (DAMINI THAKUR) पुत्री श्री जगदीश सिंह अंकित है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन के उपरांत मेरी पुत्री का सही नाम अनामिका वैस्य (ANAMIKA VAISY) पुत्री श्री जगदीश सिंह के नाम से जाना एवं पहचाना तथा पढ़ा-लिखा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(दामिनी ठाकुर)

(DAMINI THAKUR)

नया नाम

(अनामिका वैस्य)

(ANAMIKA VAISY)

पुत्री श्री जगदीश सिंह.

(G-2197)

## नाम परिवर्तन

मैं, प्रवीण राव करनाके (PRAVEEN RAO KARNAKE) आत्मज-नामदेव राव करनाके (NAMDEV RAO KARNAKE), निवासी-मकान न. 28, सतगुरु काम्प्लेक्स, डी.आई.डी. बंगलो बैरसिया रोड, भोपाल. यह कि मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम प्रवीण राव (PRAVEEN RAO) प्रवीण करनाके (PRAVEEN KARNAKE) अंकित है. जबकि मेरा सही एवं वास्तविक नाम प्रवीण राव करनाके (PRAVEEN RAO KARNAKE) है, जिसे मैं, सुधरवाना चाहता हूँ. जबकि मेरा सही एवं वास्तविक नाम प्रवीण राव करनाके (PRAVEEN RAO KARNAKE) है, जिसे भविष्य में लिखा व पढ़ा जावे.

प्रार्थी

(प्रवीण राव करनाके)

आ.-नामदेव राव करनाके

(G-2198)

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम जतिन सिंह बैस, जो मेरे आधार कार्ड में अंकित है, मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम जतिन कुमार सिंह बैस है, तथा जतिन कुमार सिंह बैस व जतिन सिंह बैस एक ही व्यक्ति है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे जतिन सिंह बैस के नाम से जाना एवं पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(जतिन कुमार सिंह बैस)

(JATIN kumar singh BAIS)

नया नाम

(जतिन सिंह बैस)

(JATIN SINGH BAIS)

पता-14/अ, बैंक कालोनी के पास,

न्यू सारिकानगर, नगर आर्क पूरी, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2199)

## नाम परिवर्तन

मैं, अवतार सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह, निवासी-ग्राम आचवल, वार्ड बीना, जिला सागर (म.प्र.). यह कि मेरी माता जी के आधार कार्ड में त्रुटिवश घरेलू नाम कुसुम यादव (KUSUM YADAV) पत्नी श्री भगवान सिंह नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि उनके वोटर कार्ड में बेनी बाई (BENI BAI) पत्नी श्री भगवान सिंह दर्ज है. जो कि सही है. अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरी माता जी के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में बेनी बाई (BENI BAI) पत्नी श्री भगवान सिंह के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

प्रार्थी

(अवतार सिंह)

पुत्र-श्री भगवान सिंह.

(G-2200)

## नाम परिवर्तन

मैं, सकारिया सकारिया (SKARIAH SKARIAH) आत्मज-श्री तैकूट्टिल चांडी सकारिया (THYKOOTTATHIL CHANDY SKARIAH) पता-58, दुर्गेश विहार, जे.के. रोड, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). यह कि मेरे दस्तावेजों में मेरा नाम वर्तमान में सकारिया सकारिया (SKARIAH SKARIAH) दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर मेरा नाम वेल्लूर सकारिया सकारिया (VELOUR SKARIAH SKARIAH) लिखवाना चाहता हूँ. अतः मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम सकारिया सकारिया (SKARIAH SKARIAH) के स्थान पर वेल्लूर सकारिया सकारिया (VELOUR SKARIAH SKARIAH) अंकित किया जावे.

पुराना नाम

(सकारिया सकारिया)

(SKARIAH SKARIAH)

(G-2201)

नया नाम

(वेल्लूर सकारिया सकारिया)

(VELOUR SKARIAH SKARIAH).

## नाम परिवर्तन

मैं, भुवन देवी पति श्री रत्ती लाल है, निवासी-ग्राम लिधौराताल, तहसील जतारा, पोस्ट सगरवारा, जिला टीकमगढ़, (म.प्र.). मेरा वास्तविक नाम भुवन देवी है, जबकि आधार कार्ड में त्रुटिवश भूमानी बाई वर्मा पति रतीराम वर्मा अंकित हो गया है. जबकि मेरा सही नाम भुवन देवी पति श्री रत्ती लाल है. अतः प्रकाशन उपरांत से मुझे मेरे सही नाम भुवन देवी पति श्री रत्ती लाल के नाम से ही जाना-पहचाना जाएगा.

प्रार्थी

(भुवन देवी)

पति-श्री रत्ती लाल.

(G-2202)

## नाम परिवर्तन

मेरे आधार कार्ड व पैन कार्ड में भूलवश Saji Bai (सजी बाई) दर्ज हो गया है जो कि गलत है. जबकि मेरा सही नाम Sanjivan Lodhi (संजीवन लोधी) है, जो कि मेरे मूल निवासी प्रमाण-पत्र एवं मेरे बच्चों के शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम संजीवन लोधी W/o. ग्यारसी लाल लोधी से जाना-पहचाना एवं पढ़ा-लिखा, दर्ज किया जाए.

प्रार्थी

(संजीवन लोधी)

W/o. ग्यारसी लाल लोधी,

निवासी :- म.नं. 330, वार्ड नं. 14, सुल्तानपुर,

जिला- रायसेन (म.प्र.).

(G-2203)

## नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम INDRABHAN HUBBLAL YADAV (इन्द्रभान हुब्बलाल यादव), आत्मज-श्री हुब्बलाल यादव था जो कि डिमेट खाता में दर्ज है अब वर्तमान में मेरा नाम बदलकर पूरा एवं सही नाम INDRA BHAN YADAV ( इन्द्रभान यादव) आत्मज HUBBLAL YADAV श्री हुब्बलाल यादव हो गया है अब मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जाए.

प्रार्थी

(INDRA BHAN YADAV)

निवासी :- मकान नम्बर-ए/2, यशोदा विल्ला टैगोर नगर,

फेस-3, खजूरी कला, पिपलानी तहसील,

हुजूर, जिला भोपाल.

(G-2204)

## नाम परिवर्तन

मैं, PREETI (प्रीति) पुत्री Lt. SHIV BHUSHAN (स्व. श्री शिव भूषण), निवासी-मकान नं.-1113-14 एन/2, ई-सेक्टर, बरखेड़ा भेल, बरखेड़ा, एच.ई. भोपाल (म.प्र.). मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम KU. PREETI (कु. प्रीति) दर्ज है. तथा कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम PREETI (प्रीति) दर्ज है. जिस भी दस्तावेज में मेरा नाम KU. PREETI (कु. प्रीति) दर्ज है उसके स्थान पर मेरा नाम PREETI (प्रीति) सहित पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम

(कु. प्रीति)

KU. PREETI

नया नाम

(प्रीति)

PREETI

(G-2205)

### नाम परिवर्तन

मैं, अमेश बी पति सलीम अहमद, निवासी – मकान नं. 137, गली नं. 01, वी.आई.पी. गेस्ट हाऊस, बरेला गाँव, लालघाटी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरा पूर्व में नाम अकीला बी था जो कि मेरे कुछ दस्तावेजों में दर्ज है, उसके पश्चात् मेरा नाम बदलकर अमेश बी (AMESH BEE) पति सलीम अहमद हो गया है एवं अब मैं, इसी नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ और मेरे पहचान से संबंधित सभी दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड व पासपोर्ट में मेरा नाम अमेश बी (AMESH BEE) दर्ज होकर उपयोग में लाया जा रहा है. उपरोक्त दोनों ही नाम मेरे हैं. मेरे सभी दस्तावेजो एवं कार्यों में अकीला बी के स्थान पर अमेश बी (AMESH BEE) ही जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम  
(अकीला बी)  
(G-2206)

नया नाम  
(अमेश बी).

### नाम परिवर्तन

मैं, चंद्र मोहन पुत्र श्री सौबर सिंह, निवासी- प्लेट नं 601, विंग ई-1, एचआईजी टाईप, पारस हाईट्स भानपुर, हुजूर भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम सारा सिंह है. त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम सिफा दर्ज हो गया है. मैं, अपनी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम सारा सिंह लेख कराना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त पुराना नाम सिफा के जगह पर सारा सिंह के नाम से ही जानी-पहचानी जाएगी.

पुराना नाम  
(सिफा)  
(G-2207)

नया नाम  
(सारा सिंह).

### नाम परिवर्तन

मैं, अनिल बर्नार्ड किंडो पिता श्री मार्सेल किंडो, एवं श्रीमती कारमेल पूनम किंडो पत्नी श्री अनिल बर्नार्ड किंडो, निवासी-मकान क्रमांक 10, अनादि विला, शिवलोक ग्रीन्स, फेज-6, खजुरी कलां, भोपाल, मध्यप्रदेश. मेरा नाम आरव मार्सेल किंडो, पिता श्री अनिल बर्नार्ड किंडो के समस्त दस्तावेजों, जैसे कि आधार कार्ड एवं विद्यालय अभिलेखों में, हिंदी भाषा में आरव मार्सेल किंडो पिता श्री अनिल बर्नार्ड किंडो तथा अंग्रेजी भाषा में AARAV MARCEL KINDO S/o. ANIL BERNARD KINDO नाम दर्ज है. जन्म प्रमाण-पत्र में केवल आरव (AARAV) नाम दर्ज है. जो कि गलत है हमारे जन्म प्रमाण-पत्र में दर्ज नाम को आरव मार्सेल किंडो (AARAV MARCEL KINDO) के नाम से जाना और पहचाना जावे.

पुराना नाम  
(आरव)  
(G-2208)

नया नाम  
(आरव मार्सेल किंडो).

### नाम परिवर्तन

मैं, मुन्नी सत्या पत्नी कृष्ण गोपाल सत्या निवासी-म.नं. 981, गली नं. 1, रोशन बाग, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम लक्ष्मी सत्या पत्नी कृष्ण गोपाल सत्या दर्ज है. मुन्नी सत्या एवं लक्ष्मी सत्या मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे नाम लक्ष्मी सत्या पत्नी कृष्ण गोपाल सत्या के स्थान पर मुन्नी सत्या पत्नी कृष्ण गोपाल सत्या पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम  
(लक्ष्मी सत्या)  
(G-2209)

नया नाम  
(मुन्नी सत्या)  
पत्नी-कृष्ण गोपाल सत्या.

## नाम परिवर्तन

मैं, रक्षा राजा (RAKSHA RAJA) पत्नी त्रिलोक सिंह (TRILOK SINGH), निवासी- 1-ए, शंकर गार्डन, अशोका गार्डन, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम लड्डू राजा पत्नी त्रिलोक सिंह दर्ज है, जो कि गलत है. जहां कहीं भी मेरा नाम लड्डू राजा पत्नी त्रिलोक सिंह दर्ज है. उसके स्थान पर रक्षा राजा (RAKSHA RAJA) पत्नी त्रिलोक सिंह (TRILOK SINGH) पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम  
(लड्डू राजा)

नया नाम  
(रक्षा राजा)  
(RAKSHA RAJA)  
पत्नी-त्रिलोक सिंह  
(TRILOK SINGH).

(G-2210)

## नाम परिवर्तन

मैं, अदिति भार्गव (Aditi Bhargava) पत्नी अतूल भार्गव (Atul Bhargava), निवासी- 9-ए, फेस-1, आशाराम नगर, बागमुगालिया, भोपाल (म.प्र.). मेरी ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स शाखा, भोपाल एफ.डी. में मेरा बचपन का नाम नीलू (Neelu), नीलू भार्गव (Neelu Bhargava) उर्फ उषा भार्गव (Usha Bhargava) पुत्री सतीश भार्गव दर्ज है. जहां कहीं भी मेरा नाम नीलू (Neelu), नीलू भार्गव (Neelu Bhargava) उर्फ उषा भार्गव (Usha Bhargava) पुत्री सतीश भार्गव दर्ज है, उसके स्थान पर अदिति भार्गव पत्नी अतूल भार्गव पढ़ा एवं लिखा जावे.

प्रार्थिनी  
(अदिति भार्गव)  
(Aditi Bhargava)  
पत्नी-अतूल भार्गव  
(Atul Bhargava).

(G-2211)

## नाम परिवर्तन

मैं, RAMKUMAR KHOTE S/O- GHANSU KHOTE, निवासी-269, झील नगर, भेल भोपाल. मेरी पुत्री मोना खोटे (MONA KHOTE) पुत्री रामकुमार खोटे (RAMKUMAR KHOTE) के आधार कार्ड में उसका नाम मीना खोटे (MEENA KHOTE) पुत्री राम खुमार खोटे (RAM KHUMAR KHOTE) दर्ज है, जो कि गलत दर्ज है. जबकि अन्य सभी दस्तावेजों में मेरे पुत्री का नाम मोना खोटे (MONA KHOTE) पुत्री रामकुमार खोटे (RAMKUMAR KHOTE) दर्ज है. जहां कहीं भी मेरी पुत्री का नाम मीना खोटे (MEENA KHOTE) पुत्री राम खुमार खोटे (RAM KHUMAR KHOTE) दर्ज है उसके स्थान पर मोना खोटे (MONA KHOTE) पुत्री रामकुमार खोटे (RAMKUMAR KHOTE) पढ़ा एवं लिखा जावे.

आवेदक  
(RAMKUMAR KHOTE)  
S/o. GHANSU KHOTE.

(G-2212)

## नाम परिवर्तन

मैं, सावित्री रघुवंशी (SAVITRI RAGHUWANSHI) पत्नी श्री रामस्वरूप रघुवंशी, निवासी- 74/3, ग्राम टोंगा बरेली, रायसेन (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम मुन्नीबाई रघुवंशी पत्नी श्री रामस्वरूप रघुवंशी दर्ज है, जो कि गलत है. जहां कहीं भी मेरा नाम मुन्नीबाई रघुवंशी पत्नी श्री रामस्वरूप रघुवंशी दर्ज है उसके स्थान पर सावित्री रघुवंशी (SAVITRI RAGHUWANSHI) पत्नी श्री रामस्वरूप रघुवंशी पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम  
(मुन्नीबाई रघुवंशी)

नया नाम  
(सावित्री रघुवंशी)  
(SAVITRI RAGHUWANSHI)  
पत्नी-श्री रामस्वरूप रघुवंशी,

(G-2213)

**CHANGE OF NAME**

I, TAIYYEBA FATMA, Here by Declare That, I have Changed My Name as MADINA TAPYA D/o. ZAKIR ALI TAPYA. So, from now on and in future I will be known by my new name.

Applicant

**(MADINA TAPYA)**

D/o. ZAKIR ALI TAPYA

(G-2214)

ADD.-81, UDAPURA, JAWAHAR MARG,  
INDORE, (M.P.).**CHANGE OF NAME**

I, PARMANAND ARWAL, Here by Declare That, I have Changed My Name as AMIT ARWAL S/o. VIJAY ARWAL. So, from now on and in future I will be known by my new name.

Applicant

**(AMIT ARWAL)**

S/o. VIJAY ARWAL

(G-2215)

ADD.- GRAM MANGLIYA SADAK MANGLIYA,  
ARNIYA, INDORE, (M.P.).**CHANGE OF NAME**

I, JULE KHAN, Here by Declare That, I have Changed My Name as ZULEKHA KHATRI W/o. MOHAMMAD YUNUS KHATRI. So, from now on and in future I will be known by my new name.

Applicant

**(ZULEKHA KHATRI)**

W/o. MOHAMMAD YUNUS KHATRI

(G-2216)

ADD. - H.NO. 14 RANI PALACE DHAR ROAD,  
INDORE, (M.P.).**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम अनीशा बर्णवास था. जो कि अब बदलकर एलिशा बर्णवास पिता सुशील बर्णवास हो गया है. अतः मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम

(अनीशा बर्णवास)

नया नाम

(एलिशा बर्णवास)

पता : ग्राम मानपुर, पोस्ट मानपुर,  
तहसील महु, जिला इन्दौर.

(G-2217)

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम मदन था. जो कि अब बदलकर मदनलाल जोशी पिता गणेशीलाल जोशी हो गया है. अतः मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम

(मदन)

नया नाम

(मदनलाल जोशी)

पता : हाऊस नं. 687, ग्राम सांवेर, पोस्ट सांवेर,  
जिला इन्दौर.

(G-2218)

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम ऐश्वर्या था. जो कि अब बदलकर ऐश्वी पाटीदार पिता दिलीप पाटीदार हो गया है. अतः मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम  
(ऐश्वर्या)  
(G-2219)

नया नाम  
(ऐश्वी पाटीदार)  
पता-चौक मेरी, रूणजी गौतमपुरा, इन्दौर (म.प्र.).

## नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती सविता यादव, पत्नी श्री पवन यादव, निवासी-ग्राम खनपुरा, तहसील रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटिवश "अरियान यादव पुत्र श्री पवन यादव" दर्ज हो गया है, जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक और सही नाम "आर्यन यादव पुत्र श्री पवन यादव" है. मेरे पुत्र के अन्य सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में उसका नाम "आर्यन यादव पुत्र श्री पवन यादव" ही अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम "आर्यन यादव पुत्र श्री पवन यादव" है, जिसे भविष्य में सभी प्रकार के शासकीय/अशासकीय अभिलेखों प्रमाण-पत्रों, पत्राचार एवं दस्तावेजों में इसी नाम से जाना जाए.

(G-2220)

प्रार्थिनी  
(सविता यादव)  
पत्नी-श्री पवन यादव

## नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती राम कुमारी (Smt. Ram Kumari) पत्नी श्री उत्तमचंद शर्मा, मेरे पहचान-पत्र, बैंक पासबुक, बैंक खाता एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम श्रीमती राम कुमारी अंकित है एवं मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम श्रीमती राज कुमारी शर्मा (Smt. Raj Kumari Sharma) दर्ज है, ये दोनों ही नाम मेरे स्वयं के यानि एक ही महिला के नाम हैं, अतः मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम श्रीमती राज कुमारी शर्मा के स्थान पर श्रीमती राम कुमारी नाम पढ़ा जाये.

पुराना नाम  
(राज कुमारी शर्मा)  
(G-2221)

नया नाम  
(राम कुमारी)  
निवासी-वार्ड नंबर-15, गणेश कॉलोनी,  
खंडेलवाल फैक्टरी के पीछे,  
फतेहपुर, जिला शिवपुरी (म.प्र.).

## नाम परिवर्तन

हम, नरेन्द्र दुनानी आत्मज-स्व. श्री जेठानंद दुनानी एवं श्रीमती दिव्या दुनानी पत्नी श्री नरेन्द्र दुनानी, यह घोषित करते हैं कि हमारी पुत्री के शासकीय, अर्द्धशासकीय तथा शैक्षणिक अभिलेख जैसे-जन्म प्रमाण-पत्र इत्यादि में उसका नाम भूमि दुनानी (BHOOMI DUNANI) दर्ज है. अब हमने अपनी पुत्री का नाम विधिवत् रूप से परिवर्तित कर वामिका दुनानी (VAMIKA DUNANI) रख लिया है. अतः भविष्य में सभी संबंधित अभिलेखों में भूमि दुनानी (BHOOMI DUNANI) के स्थान पर वामिका दुनानी (VAMIKA DUNANI) अंकित किया जाए तथा आमजन एवं संबंधित विभाग हमारी पुत्री को वामिका दुनानी के नाम से ही जानें और संबोधित करें.

(G-2222)

आवेदकगण  
(नरेन्द्र दुनानी एवं श्रीमती दिव्या दुनानी)  
निवासी-170, वन ट्री हिल्स, संत हिरदाराम नगर,  
(बैरागढ़), जिला भोपाल (म.प्र.).

## नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री के शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में नाम व सरनेम शीतल (SHITAL) पुत्री श्री मोहन लाल (MOHANLAL) है. व अन्य शासकीय-अशासकीय दस्तावेजों में मेरी पुत्री का नाम रचना (RACHNA) पुत्री श्री मोहन लाल (MOHANLAL) है. मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश हिन्दी व अंग्रेजी में नाम शीतल (SHITAL) पुत्री श्री मोहन लाल (MOHANLAL) दर्ज हो गया है. मेरी पुत्री का सही नाम रचना (RACHNA) पुत्री श्री मोहन लाल (MOHANLAL) है एवं भविष्य में वह इसी नाम व सरनेम से जानी-पहचानी जावेगी.

प्रार्थी

(G-2223)

(मोहन लाल).

## CHANGE OF NAME

I, hereby declare that, my correct name is Alpana Kishor Kanungo, but in some of my old documents or in share certificates my name is written Alpana Kanungo. Henceforth in all of my documents my name shall be written as Alpana Kishor Kanungo for all purposes.

Old Name

New Name

(Alpana Kanungo)

(Alpana Kishor Kanungo)

Add :- 2, Radha Krishna Vihar,  
Pipliyahana, Indore (M.P.).

(G-2224)

## CHANGE OF NAME

I, hereby declare that, my correct name is Kishorkumar Madanlal Kanungo, but in some of my old documents or in share certificates my name is written Kishore kumar Madanlal Kanungo and in some of other written Kishor Kumar Kanungo. Henceforth in all of my documents my name shall be written as Kishorekumar Madanlal Kanungo for all purposes.

Old Name

New Name

(Kishore Kumar Madanlal Kanungo/  
Kishor Kumar Kanungo)

(Kishorkumar Madanlal Kanungo)

Add :- 2, Radha Krishna Vihar,  
Pipliyahana, Indore (M.P.).

(G-2225)

## CHANGE OF NAME

I, hereby declare that, my correct name is Rajesh Madanlal Kanungo, but in some of my old documents or in share certificates my name is written Rajesh Madanlal kanyalal Kanungo and in some of other written Rajesh Kumar Kanungo. Henceforth in all of my documents my name shall be written as Rajesh Madanlal Kanungo for all purposes.

Old Name

New Name

(Rajesh Madanlal Knyalal Kanungo/  
Rajesh Kumar Kanungo)

(Rajesh Madanlal Kanungo)

Add :- 19, Radha Krishna Vihar,  
Pipliyahana, Indore (M.P.).

(G-2226)

**CHANGE OF NAME**

I, hereby declare that, in some of my documents my name is written VIRENDRA SINGH MEHTA and in some of written VIRENDRA MEHTA. In which my middle name is missing. Henceforth in all of my documents my only name shall be read and written as VIRENDRA SINGH MEHTA for all purposes.

Old Name

**(VIRENDRA MEHTA)**

(G-2227)

New Name

**(VIRENDRA SINGH MEHTA)**Add. :- 44, Gulmohar Main, Saket,  
Indore (M.P.).**CHANGE OF SURNAME**

I, hereby declare that, my correct surname is Virendra Kumar Bihra, but in some of my old documents (Share certificate) my Surname was written Virendra Kumar Gupta. So I want to change it from Virendra Kumar Gupta to Virendra Kumar Bihra. Henceforth my Surname shall be written and read as Virendra Kumar Bihra for all purposes.

Old Name

**(Virendra Kumar Gupta)**

(G-2228)

New Name

**(Virendra Kumar Bihra)**Add. :- Jhanda Bazar, Ward No. 12,  
Pawai, Panna (M.P.).**CHANGE OF SURNAME**

I, hereby declare that, in some of my documents my name is written Surila Devi Khatri and in some of written Surila. In which my middle name and surname is missing. Henceforth in all of my documents my name shall be written as Surila Devi Khatri for all purposes.

Old Name

**(Surila)**

(G-2229)

New Name

**(Surila Devi Khatri)**Add. :- 4, Radha Nivas, Kshapnak Marg,  
Freeganj, Ujjain (M.P.).**CHANGE OF NAME**

I, hereby declare that, my correct name is Madhuri Jain but in my share certificate my name is written Alpa Deeli Pa Katkani. Which is my wrong or childhood name. Henceforth in all of my documents including share certificate my name shall be written as Madhuri Jain for all purposes.

Old Name

**(Alpa Deeli Pa Katkani)**

(G-2230)

New Name

**(Madhuri Jain)**Add. :- 9/1, Arvind Nagar,  
Opp. Hiramal Gat, Ujjain (M.P.).

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम नेहिका पति राहुल चौधरी है, जिसे सुधारकर मैंने मेरा नाम नेहिका चौधरी (NEHIKA CHOUDHARY) पति राहुल चौधरी रख लिया है। मुझे भविष्य में मेरे सही नाम नेहिका चौधरी (NEHIKA CHOUDHARY) के नाम से जाना व पहचाना व पढ़ा जावे।

पुराना नाम  
(नेहिका)

नया नाम  
(नेहिका चौधरी)  
(NEHIKA CHOUDHARY)  
पति-राहुल चौधरी  
निवासी-300, मेंडकी चक देवास,  
तहसील व जिला देवास (म.प्र.).

(G-2231)

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे वोटर कार्ड एवं पी.पी.ओ. में मेरा नाम स्नेहलता पत्नी श्री लक्ष्मण सिंह कुशवाह दर्ज है, जबकि मेरे पैन कार्ड में मेरा नाम स्नेह कुशवाह व आधार कार्ड में नाम स्नेह कुशवाह पत्नी श्री लक्ष्मण सिंह कुशवाह दर्ज है। मेरा सही नाम स्नेहलता (SNEHLATA) पत्नी श्री लक्ष्मण सिंह कुशवाह है जो कि सत्य व सही है। भविष्य में मुझे स्नेहलता पत्नी श्री लक्ष्मण सिंह कुशवाह के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा-लिखा व मान्य किया जावे।

प्रार्थिनी

(स्नेहलता)

पत्नी-श्री लक्ष्मण सिंह कुशवाह  
निवासी-मकान नंबर ई.एल, 132,  
दीनदयाल नगर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2232)

## PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that in the Partnership Firm M/S. Mask Business Associated Registered office at 239, Anil Nagar, MR-9, Near Sandhya Kirana, Indore (M.P.). 452001 and Registration No. is 03/27/01/0308/22, dated 01<sup>st</sup> November 2022, which was constituted vide Partnership deed executed on 15<sup>th</sup> June 2022. In this Partnership firm subsequently following changes have occurred on 14<sup>th</sup> May 2025, 1. Shri Sagar Khushalchand Keny S/o. Shri Khushalchand Keny and 2. Shri Kapil Dev Kaushik S/o. Shri Vijay Dev Kaushik have voluntarily retired from the Partnership firm and 1. Shri Varun Singh Solanki S/o. Shri Mangleshwar Singh Solanki and 2. Vandita Singh Solanki D/o. Shri Mangleshwar Singh Solanki have joined the firm as a new partner W.e.f. 14<sup>th</sup> May 2025. Now 1. Rajkumar Pandey 2. Ram Singh Khata 3. Sunil Purohit 4. Varun Singh Solanki and 5. Vandita Singh Solanki are the running Partners of the Partnership firm.

M/s. Mask Business Associates

**Sunil Purohit**

(Partner).

(G-2233)

## PUBLIC NOTICE

It is hereby notified that Mr. Prakash Sahu, S/o. Shri Lakhanlal Sahu, has retired from the registered firm M/S. FOOD SOL INDIA, located at Gram Adwar, Turki Khapa Road, Tehsil Mohkhed, Chhindwara-480107, Madhya Pradesh ( Reg. No. 04/17/0140/15, Year 2015-16, dated 19<sup>th</sup> October 2015, with effect from 8<sup>th</sup> August 2023. In his place, Mrs. Nidhi Tiwari, W/o. Shri Sanjay Tiwari and Mr. Kartik Mishra S/o. Shri Brajkishor Mishra, have been inducted as partners in the firm from the same date. Accordingly, the profit-sharing ratio of the firm has been restructured as follows: Mr. Sanjay Tiwari, S/o. Shri Abhilash Chanda Tiwari - 50%, Mrs. Nidhi Tiwari, W/o. Shri Sanjay Tiwari - 40% and Mr. Kartik Mishra, S/o. Shri Brajkishor Mishra - 10%, effective 8<sup>th</sup> August 2023. All concerned parties are requested to take note of this change.

M/S. FOOD SOL INDIA

**Sanjay Tiwari**

(Partner).

(G-2234)

## नाम परिवर्तन

मैं, दीपक नायक (Deepak Nayak) पुत्र श्री यशवंत सिंह नायक (Yashwant Singh Nayak), निवासी—मालवीय गंज आर.एम.एस. कॉलोनी, वार्ड नं. 16, इटारसी, नर्मदापुरम (म.प्र.). मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरे नाम दीपक नायक (Deepak Nayak) पुत्र यशवंत नायक (Yashwant Nayak) अंकित है अर्थात् पिता जी का नाम सही नहीं है, मेरे पिताजी के समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार उनका सही नाम यशवंत सिंह नायक (Yashwant Singh Nayak) है, और मेरा सही नाम दीपक नायक (Deepak Nayak) पुत्र श्री यशवंत सिंह नायक (Yashwant Singh Nayak) है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे दीपक नायक (Deepak Nayak) पुत्र श्री यशवंत सिंह नायक (Yashwant Singh Nayak) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये.

पुराना नाम  
(दीपक नायक)  
**(Deepak Nayak)**  
पुत्र—यशवंत नायक  
(Yashwant Nayak)  
(G-2235)

नया नाम  
(दीपक नायक)  
**(Deepak Nayak)**  
पुत्र—श्री यशवंत सिंह नायक  
(Yashwant Singh Nayak)

## नाम परिवर्तन

मैं, देवेन्द्र कुमार गुप्ता (Devendra Kumar Gupta) पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, मेरी पुत्री आध्या गुप्ता (Aadhya Gupta) है. जिसके आधार कार्ड व समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में उसका नाम मिशिका गुप्ता (Mishika Gupta) पुत्री देवेन्द्र कुमार गुप्ता (Devendra Kumar Gupta) अंकित है, किंतु अब मैं, अपनी पुत्री का नाम परिवर्तित कर आध्या गुप्ता (Aadhya Gupta) पुत्री देवेन्द्र कुमार गुप्ता (Devendra Kumar Gupta) कराना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को आध्या गुप्ता (Aadhya Gupta) पुत्री देवेन्द्र कुमार गुप्ता (Devendra Kumar Gupta) के नाम से जाना व पहचाना जाये एवं अभिलेखों में उसका यही नाम दर्ज किया जाये.

(G-2236)

आवेदक  
(देवेन्द्र कुमार गुप्ता)  
**(Devendra Kumar Gupta)**  
पुत्र—श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता  
पता—म.नं. 13/1 ए, साईनाथ नगर,  
कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.).

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विरेन्द्र सिसोदिया (Virendra Sisodiya) पुत्र श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया (Mahendra Singh Sisodiya), निवासी—ग्राम पोस्ट ढाबला घोसी तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर (म.प्र.). मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम विरेन्द्र राजोरा (Virendra Rajora) पुत्र श्री महेन्द्र सिंह (Mahendra Singh) अंकित है, किंतु मेरे संशोधित समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार मेरा सही नाम विरेन्द्र सिसोदिया (Virendra Sisodiya) पुत्र श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया (Mahendra Singh Sisodiya) है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही संशोधित नाम विरेन्द्र सिसोदिया (Virendra Sisodiya) श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया (Mahendra Singh Sisodiya) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये.

पुराना नाम  
(विरेन्द्र राजोरा)  
**(Virendra Rajora)**  
पुत्र—श्री महेन्द्र सिंह  
(Mahendra Singh)  
(G-2237)

नया नाम  
(विरेन्द्र सिसोदिया)  
**(Virendra Sisodiya)**  
पुत्र—श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया  
(Mahendra Singh Sisodiya)

## नाम परिवर्तन

मैं, दुर्गा अहिरवार (Durga Ahirwar) पुत्र श्री गिरधारी लाल (Girdhari Lal), निवासी— सी—355, प्यारेलाल खंडेलवाल परिसर, राहुल नगर, वार्ड नं. 28, तह. हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड व कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम दुर्गा प्रसाद विश्वकर्मा (Durga Prasad Vishwakarma) पुत्र श्री गिरधारी लाल (Girdhari Lal) एवं कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम दुर्गा अहिरवार (Durga Ahirwar) पुत्र श्री गिरधारी लाल (Girdhari Lal) अंकित है. उपरोक्त दोनों नाम मेरे स्वयं के अर्थात् एक ही व्यक्ति के हैं, जो कि मैं स्वयं हूँ, मैं, अपना नाम केवल दुर्गा अहिरवार (Durga Ahirwar) पुत्र श्री गिरधारी लाल (Girdhari Lal) करना चाहता हूँ. अब मैं, इसी नाम से जाना व पहचाना जाता हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे अहिरवार (Durga Ahirwar) पुत्र श्री गिरधारी लाल (Girdhari Lal) के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये.

पुराना नाम

(दुर्गा प्रसाद विश्वकर्मा)

(Durga Prasad Vishwakarma)

पुत्र—श्री गिरधारी लाल

(Girdhari Lal)

(G-2238)

नया नाम

(दुर्गा अहिरवार)

(Durga Ahirwar)

पुत्र—श्री गिरधारी लाल

(Girdhari Lal)

## नाम परिवर्तन

मैं, लाड़कीबाई धूर्वे (Ladkibai Dhurve) पत्नी श्री चंदू लाल धूर्वे (Chandu Lal Dhurve), निवासी—120, गुरिया मार्ग, हाटपीपल्या, देवास (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम लड़कीबाई धूर्वे (Ladakeebae Dhurve) पत्नी श्री चनुलाल धूर्वे (Chanoolal Dhurve) अंकित है, किंतु मेरा सही नाम लाड़कीबाई धूर्वे (Ladkibai Dhurve) पत्नी श्री चंदू लाल धूर्वे (Chandu Lal Dhurve) है. मैं, इसी नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे लाड़कीबाई धूर्वे (Ladkibai Dhurve) पत्नी श्री चंदू लाल धूर्वे (Chandu Lal Dhurve) के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये.

पुराना नाम

(लाड़कीबाई धूर्वे)

(Ladakeebae Dhurve)

पत्नी—श्री चनुलाल धूर्वे

(Chanoolal Dhurve)

(G-2239)

नया नाम

(लाड़कीबाई धूर्वे)

(Ladkibai Dhurve)

पत्नी—श्री चंदू लाल धूर्वे

(Chandu Lal Dhurve)

## नाम परिवर्तन

मैं, शांति देवी पत्नी स्व. श्री राम अभिलाष, निवासी—ग्राम डिहिया पड़ान, पोस्ट जुडमनिया, थाना नईगढ़ी, तहसील नईगढ़ी, जिला मउगंज (म.प्र.). पूर्व नाम चन्द्र काली गौतम पत्नी स्व. श्री राम अभिलाष, जो त्रुटिपूर्ण है. जबकि मेरा सही नाम शांति देवी पत्नी स्व. श्री राम अभिलाष, जिसको मैं, अपने समस्त दस्तावेजों में अंकित कराना चाहती हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम शांति देवी के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

आवेदिका

(शांति देवी)

पत्नी—स्व. श्री राम अभिलाष.

(G-2240)

## नाम परिवर्तन

मैं, मुकेश जाटव MUKESH JATAV पिता श्री हरज्ञान जाटव, जो कि मेरे आधार कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज आदि में दर्ज है। जबकि शासकीय अभिलेख में मेरा नाम मुकेश कुमार जाटव MUKESH KUMST JATAV अंकित है। उक्त दोनों ही नाम मुझ एक ही व्यक्ति के हैं। अतः भविष्य में मुझे मुकेश कुमार जाटव MUKESH KUMAR JATAV के स्थान पर मुकेश जाटव MUKESH JATAV के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा-लिखा एवं समस्त दस्तावेजों में दर्ज किया जावे।

प्रार्थी

(मुकेश जाटव)

(MUKESH JATAV)

पिता-श्री हरज्ञान जाटव,

निवासी-ढोलीबुआ का पुल, लोहागढ़ लेले की बगिया,  
लशकर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2241)

## नाम परिवर्तन

मैं, राघवेन्द्र सिंह RAGHAVENDRA SINGH पिता श्री राजू, निवासी-नदीपार टाल, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.). जो कि मेरे आधार कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज आदि में दर्ज है। जबकि शासकीय कार्यालयीन दस्तावेजों में मेरे नाम की स्पेलिंग राघवेन्द्र सिंह RAGHVENDERA SINGH त्रुटिवश अंकित है। उक्त दोनों ही नाम मुझ एक ही व्यक्ति के हैं। अतः मुझे भविष्य में राघवेन्द्र सिंह RAGHVENDERA SINGH के स्थान पर राघवेन्द्र सिंह RAGHAVENDRA SINGH के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा-लिखा एवं समस्त दस्तावेजों में दर्ज किया जावे।

प्रार्थी

(राघवेन्द्र सिंह)

पुत्र-श्री राजू

निवासी-नदीपार टाल, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2242)

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम निर्मल सिंह NIRMAL SINGH है। जिसे सुधारकर मैंने मेरा नाम निर्मल्या मलाकर NIRMALYA MALAKAR आत्मज-ग्यासिराम रख लिया है। अतः मुझे भविष्य में मेरे सही नाम निर्मल्या मलाकर NIRMALYA MALAKAR के नाम से जाना व पहचाना व पढ़ा जावे। सो विदित होवे।

पुराना नाम

(निर्मल सिंह)

(NIRMAL SINGH)

नया नाम

(निर्मल्या मलाकर)

(NIRMALYA MALAKAR)

आत्मज-ग्यासिराम

पता-ग्राम अकलोनी, मेहगांव, पोस्ट अकलोनी,

तहसील गोरमी, जिला-भिण्ड (म.प्र.).

(G-2243)

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अव्यस्क पुत्री का नाम आधार कार्ड में भूल व त्रुटिवश अंशु पाल ANSHU PAL लिखा गया है, जिसे सुधारकर मैंने मेरी पुत्री का नाम अनुष्का बघेल ANUSHKA BAGHEL आत्मज विनोद पाल रख लिया है। अतः भविष्य में मेरी पुत्री को अनुष्का बघेल ANUSHKA BAGHEL के नाम से जाना व पहचाना व पढ़ा जावे। सो विदित होवे।

पुराना नाम

(अंशु पाल)

(ANSHU PAL)

नया नाम

(अनुष्का बघेल)

(ANUSHKA BAGHEL)

पुत्री-विनोद पाल

पता-ग्राम मरु, पोस्ट जमाहर, जमाहर गिर्द,

जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2244)

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा अव्यस्क पुत्र का नाम के आधार कार्ड में भूल व त्रुटिवश बोबी शाक्य (BOBBY SHAKYA) लिखा गया है, जिसे सुधारकर मैंने मेरे पुत्र का नाम अनुज कुशवाह (ANUJ KUSHWAHA) आत्मज राजेंद्र कुशवाह रख लिया है. अतः भविष्य में मेरे पुत्र को अनुज कुशवाह (ANUJ KUSHWAHA) के नाम से जाना व पहचाना व पढ़ा जावे.

पुराना नाम  
(बोबी शाक्य)  
(BOBBY SHAKYA)

नया नाम  
(अनुज कुशवाह)  
(ANUJ KUSHWAHA)

पुत्र-राजेंद्र कुशवाह  
पता-ग्राम पंचायत दबोहा, पोस्ट दबोहा  
जिला भिण्ड (म.प्र.).

(G-2245)

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व का नाम विलाकीश (VILAKEESH) है. जिसे सुधारकर मैंने मेरा नाम बिलकीसा बानो (BILKEESA BANO) पत्नी सरदार खान रख लिया है. मुझे भविष्य में मेरे सही नाम बिलकीसा बानो (BILKEESA BANO) के नाम से जाना व पहचाना व पढ़ा जावे.

पुराना नाम  
(विलाकीश)  
(VILAKEESH)

नया नाम  
(बिलकीसा बानो)  
(BILKEESA BANO)

पत्नी-सरदार खान  
पता-ग्राम फूप खंड मार्ग, वार्ड नं. 07,  
फूप, तहसील अटेर, जिला भिण्ड (म.प्र.).

(G-2246)

## आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/S RAMAJAY BUILDER AND DEVELOPERS जो 202, JIWAJI NAGAR, THATIPUR, GWALIOR (M.P.) में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02/42/01/0291/24 दिनांक 12 मार्च 2024 है. जिसमें दिनांक 31 मार्च 2025 को भागीदार श्री विजय कुमार शर्मा पुत्र श्री मातादीन शर्मा, निवासी-415, सुरेश नगर ठाटीपुर, ग्वालियर, अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये हैं. एवं इसी दिनांक 31 मार्च 2025 को श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी श्री जय नारायण शर्मा, निवासी-428, सुरेश नगर ठाटीपुर, ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं. दिनांक 31 मार्च 2025 को फर्म का पता 202, JIWAJI NAGAR, THATIPUR, GWALIOR (M.P.) से 302, 3<sup>rd</sup> FLOOR MAA VAISHNO APARTMENT JIWAJI NAGAR, THATIPUR, GWALIOR, (M.P.) परिवर्तित कर दिया गया है.

M/S RAMAJAY BUILDER AND DEVELOPERS  
राघवेंद्र उपाध्याय  
(भागीदार).

(G-2247)

## नाम परिवर्तन

मैं, अजब सिंह (AJAB SINGH) पुत्र श्री बेनीराम, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र का पूर्व का नाम बेटू (BETU) था जो मेरे पुत्र के आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मेरे पुत्र रिशी (RISHI) पुत्र अजब सिंह के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाऊँगा. जो मेरे पुत्र के शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. रिशी एवं बेटू दोनों मेरे पुत्र के ही नाम हैं. अतः मेरे पुत्र के आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में मेरे पुत्र का नाम बेटू के स्थान पर रिशी लिखा एवं पढ़ा जावे.

प्रार्थी  
(अजब सिंह)  
पुत्र-श्री बेनीराम

(G-2248)

निवासी-ग्राम हरसिंघपुरा, पोस्ट कुथोडा, तेह. मेहगांव, भिण्ड (म.प्र.).

## नाम परिवर्तन

मैं, जीतेन्द्र पाल (JITENDRA PAL) पुत्र श्री राजवीर पाल, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम कुलदीप पटेल (KULDEEP PATEL) था. जो मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, जीतेन्द्र पाल पुत्र श्री राजवीर पाल के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा. जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. कुलदीप पटेल एवं जीतेन्द्र पाल दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम कुलदीप पटेल के स्थान पर जीतेन्द्र पाल लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम  
(कुलदीप पटेल)

(G-2249)

नया नाम  
(जीतेन्द्र पाल)  
पुत्र—श्री राजवीर पाल  
पता—बैजल कोठी, कैटू मंट, ऑफिस के सामने,  
मुरार, गिर्द ग्वालियर (म.प्र.).

## नाम परिवर्तन

मैं, दीपिका बंसल (DEEPIKA BANSAL) पत्नी श्री दीपक कुमार बंसल, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम सीमा बंसल (SEEMA BANSAL) था. जो मेरे लाइफ इन्श्योरेन्स, वोटर कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. जबकि वर्तमान एवं भविष्य में दीपिका बंसल पत्नी श्री दीपक कुमार बंसल के नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ, जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. सीमा बंसल एवं दीपिका बंसल दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः लाइफ इन्श्योरेन्स, वोटर कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम सीमा बंसल के स्थान पर दीपिका बंसल लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम  
(सीमा बंसल)

(G-2250)

नया नाम  
(दीपिका बंसल)  
पत्नी—श्री दीपक कुमार बंसल  
पता—लुहार गली, मुरैना (म.प्र.).

## नाम परिवर्तन

मैं, हेमन्त कुमार (HEMANT KUMAR) पुत्र श्री रवि कान्त, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम आदित्य त्यागी (ADITYA TYAGI) था. जो मेरी पॉलिसेी एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, हेमन्त कुमार पुत्र श्री रवि कान्त के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ, जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. हेमन्त कुमार एवं आदित्य त्यागी दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरी पॉलिसेी एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम आदित्य त्यागी के स्थान पर हेमन्त कुमार लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम  
(आदित्य त्यागी)

(G-2251)

नया नाम  
(हेमन्त कुमार)  
पुत्र—श्री रवि कान्त  
पता—वार्ड नं. 17, ग्राम चंदोखर,  
धर्मगढ, मुरैना (म.प्र.).

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम मंहगी बाई जन्घे हो गया है. मेरा वास्तविक नाम भागवती है जो कि मेरे सभी शासकीय/अशासकीय कार्यालय में मेरा नाम भागवती बाई दर्ज है, इसलिये मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम भागवती बाई दर्ज किया जावे.

पुराना नाम  
(मंहगी बाई जन्घेल)  
(Mahgee Bai Jan ghela)

(G-2252)

नया नाम  
(भागवती बाई)  
(Bhagabatee)

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेरे पुत्र का नाम जन्म प्रमाण-पत्र में SATYAPRAKASH MAHOR पिता का नाम ग्यादीन माहौर है। जब कि पुत्र के आधार कार्ड में SATYAPRAKASH MAHORE दर्ज है। अतः राजपत्र में प्रकाशन के उपरान्त मेरे पुत्र को SATYAPRAKASH MAHOR के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जाए।

प्रार्थिनी

(अनीता माहौर)

पता-वार्ड नं. 02, रेंज ऑफिस के सामने,  
तहसील बुदनी, जिला सीहोर (म.प्र.).

(G-2253)

## नाम परिवर्तन

पूर्व में आधार कार्ड में मेरा अधूरा नाम किशोर रावत (KISHORE RAWAT) पिता हिन्दूसिंह रावत, (S/o. HINDUSINGH RAWAT) था, जो मेरे आधार कार्ड में दर्ज है। जिसे अब मैं, अपना पूरा नाम किशोरीलाल रावत (KISHORILAL RAWAT) पिता हिन्दूसिंह रावत (S/o. HINDUSINGH RAWAT) जो मेरे शैक्षणिक आदि दस्तावेज में अंकित है। अतः अब मैं, अपने पूरे नाम किशोरीलाल रावत (KISHORILAL RAWAT) पिता हिन्दूसिंह रावत (S/o. HINDUSINGH RAWAT) के नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम  
(किशोर रावत)  
(KISHORE RAWAT)नया नाम  
(किशोरीलाल रावत)  
(KISHORILAL RAWAT)पिता-हिन्दूसिंह रावत  
S.o HINDUSINGH RAWAT  
पता-123, एल.आई.जी. सिविल लाईन,  
देवास (म.प्र.).

(G-2254)

## नाम परिवर्तन

विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं, श्रीमती मोनिता शर्मा पत्नी श्री राजवीर शर्मा, निवासी-दाने बाबा के पास सूर्य विहार कॉलोनी, पिन्टो पार्क, ग्वालियर. मेरा विवाह पूर्व नाम मोनिता लहरिया पुत्री श्री हनुमान लहरिया था परंतु, विवाह पश्चात् अब मेरा नाम मोनिता शर्मा MONITA SHARMA पत्नी श्री राजवीर शर्मा हो गया है। अब भविष्य में मुझे सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में श्रीमती मोनिता शर्मा MONITA SHARMA पत्नी श्री राजवीर शर्मा के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे।

पुराना नाम  
(मोनिता लहरिया)नया नाम  
(मोनिता शर्मा)

पति-श्री राजवीर शर्मा

(G-2255)

## नाम परिवर्तन

मैं, सुरेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री अर्जुन सिंह चौहान, निवासी-ग्राम चंदवाना, तहसील खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.). मेरे पुत्र का वास्तविक नाम ऋषभ सिंह चौहान (RISHABH SINGH CHOUHAN) है। आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम आराध्य चौहान (AARADHY CHOUHAN) हो गया है। अब मेरा पुत्र अपने वास्तविक व नये नाम ऋषभ सिंह चौहान (RISHABH SINGH CHOUHAN) के नाम से जाना जायेगा एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का यही नाम रहेगा।

पुराना नाम  
(आराध्य चौहान)  
(AARADHY CHOUHAN)नया नाम  
(ऋषभ सिंह चौहान)  
(RISHABH SINGH CHOUHAN)

(G-2256)

## नाम परिवर्तन

मैं, सुनील आत्मज श्री प्रहलाद सिंह, निवासी-ग्राम बडकुई, तहसील व जिला रायसेन (म.प्र.). मेरा वास्तविक नाम सुनील (SUNIL) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम सुतीश कुमार (SUTISH KUMAR) हो गया है. अब मैं, अपने वास्तविक व नये नाम सुनील (SUNIL) के नाम से जाना जाऊंगा एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम रहेगा.

पुराना नाम  
(सुतीश कुमार)  
(SUTISH KUMAR)  
(G-2257)

नया नाम  
(सुनील)  
(SUNIL).

## नाम परिवर्तन

मैं, गोपाल आत्मज मुन्नालाल, निवासी-ग्राम चुन्हेटिया, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन (म.प्र.). यह कि मेरा वास्तविक नाम गोपाल (GOPAL) है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम प्रेमनारायण (PREM NARAYAN) हो गया है. अब मैं, अपने वास्तविक व नये नाम गोपाल (GOPAL) के नाम से जाना जाऊंगा एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम रहेगा.

पुराना नाम  
(प्रेमनारायण)  
(PREM NARAYAN)  
(G-2258)

नया नाम  
(गोपाल)  
(GOPAL).

## नाम परिवर्तन

मैं, बिपिन सिंह परिहार आत्मज श्री आर. के. सिंह परिहार, निवासी-47, नीलकंठ नगर, महाराजा भवानी सिंह, जूदेव वार्ड क्र. 17, छतरपुर (म.प्र.). मेरा वास्तविक नाम बिपिन सिंह परिहार (BIPIN SINGH PARIHAR) है, त्रुटिवश आधार कार्ड में मेरा नाम विपिन सिंह परिहार (VIPIN SINGH PARIHAR) हो गया है. अब मैं, अपने वास्तविक व नये नाम बिपिन सिंह परिहार (BIPIN SINGH PARIHAR) के नाम से जाना जाऊंगा एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम रहेगा.

पुराना नाम  
(विपिन सिंह परिहार)  
(VIPIN SINGH PARIHAR)  
(G-2259)

नया नाम  
(बिपिन सिंह परिहार)  
(BIPIN SINGH PARIHAR).

## नाम परिवर्तन

मैं, कलेक्टर सिंह यादव पुत्र श्री मथुरा लाल, निवासी-म. न. 28, दौलतपुरा, तहसील लटेरी, जिला विदिशा (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश अंकेश (ANKESH) नाम दर्ज हो गया है, जबकि उसके जन्म प्रमाण-पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों पर भगवत सिंह यादव (BHAGWAT SINGH YDAV) पुत्र श्री कलेक्टर सिंह यादव नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में भगवत सिंह यादव (BHAGWAT SINGH YDAV) पुत्र श्री कलेक्टर सिंह यादव के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

(G-2260)

प्रार्थी  
(कलेक्टर सिंह यादव)  
पुत्र-श्री मथुरा लाल.

## नाम परिवर्तन

मैं, प्रेम सिंह यादव पुत्र श्री नानकराम, निवासी-ग्राम पाडल्याखेड़ी, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश कृष्ण कुमार (KRISHN KUMAR) नाम दर्ज हो गया है, जबकि उसके जन्म प्रमाण-पत्र एवं अन्य सभी शैक्षणिक दस्तावेजों पर कृष्णमोहन यादव (KRISHNAMOHAN YADAV) पुत्र श्री प्रेम सिंह यादव नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में कृष्णमोहन यादव (KRISHNAMOHAN YADAV) पुत्र श्री प्रेम सिंह यादव के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

प्रार्थी

(प्रेम सिंह यादव)

पुत्र-श्री नानकराम.

(G-2261)

## नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम पमीला मंशारामानी पिता नानक राम मंशारामानी (PAMILA MANSHARAMANI) था. मैंने अपना नाम परिवर्तन कर सोनल ढलवानी (SONAL DHALWANI) कर लिया है. अतः भविष्य में समस्त शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में मेरा नया नाम सोनल ढलवानी (SONAL DHALWANI) लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(पमीला मंशारामानी)

(G-2262)

नया नाम

(सोनल ढलवानी)

पता-6-ए/3, न्यू पलासिया, इन्दौर (म.प्र.).

## नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण-पत्र में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम नैत्विक आंजना (NETHWIK ANJANA) अंकित हो गया है, जबकि मेरे पुत्र का सही नाम अगस्त्य आंजना (AGASTYA ANJANA) है. अतः मेरे पुत्र के समस्त शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में मेरे पुत्र का सही नाम अगस्त्य आंजना (AGASTYA ANJANA) लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(नैत्विक आंजना)

(G-2263)

नया नाम

(अगस्त्य आंजना)

पिता-अंकित आंजना

पता-7, ग्राम खुरचन्या, चंद्रभान, उज्जैन (म.प्र.).

## नाम परिवर्तन

मेरा नाम राघवेन्द्र पुत्र श्री दिनेश सिंह जो कि जन्म के समय से चला आ रहा है. मैं, अपना एवं अपने पिताजी का पूरा नाम लिखना चाहता हूँ. अतः मेरे व मेरे पिता के नाम को परिवर्तित कर राघवेन्द्र सिंह सिकरवार पुत्र श्री दिनेश सिंह सिकरवार ही जाना जाये. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम राघवेन्द्र के स्थान पर राघवेन्द्र सिंह सिकरवार (RAGHVENDRA SINGH SIKARWAR) पुत्र श्री दिनेश सिंह सिकरवार ही रहेगा एवं मेरे सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में यही नाम से जाना-पहचाना व पढ़ा-लिखा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(राघवेन्द्र)

(RAGHVENDRA)

(G-2264)

नया नाम

(राघवेन्द्र सिंह सिकरवार)

(RAGHVENDRA SINGH SIKARWAR)

पुत्र-श्री दिनेश सिंह सिकरवार

निवासी-छोटेसिंह का पुरा, बागचीनी, मुरैना,  
जिला मुरैना.

## नाम परिवर्तन

मेरी अवयस्क पुत्री के आधार कार्ड व जन्म प्रमाण-पत्र में त्रुटिवश मेरी पुत्री का नाम विशी मेहता (VISHI MEHTA) अंकित हो गया है, जबकि मेरी पुत्री का सही नाम आराध्या मेहता (AARADHYA MEHTA) है. अतः मेरी पुत्री के समस्त शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में मेरी पुत्री का सही नाम आराध्या मेहता (AARADHYA MEHTA) लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम  
(विशी मेहता)

नया नाम  
(आराध्या मेहता)  
हेमलता मेहता

पता-355, क्लर्क कॉलोनी, काबरा जी की गली,  
इन्दौर (म.प्र.).

(G-2265)

## नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम आधार कार्ड में अनिका राठौर दर्ज है. माननीय न्यायालय द्वारा मेरे पति से मेरा विवाह विच्छेद हो गया है. इस कारण मेरी पुत्री को अनिका जैन के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

संरक्षिका माता कृतिका जैन  
पता-गर्ल्स कॉलेज की पीछे, मुरार.

(G-2266)

## नाम परिवर्तन

मैं, आशी हसन, मुझे निदा हसन पिता श्री आमिर हसन के नाम से भी जाना जाता है. आंशी हसन तथा निदा हसन दोनों एक ही व्यक्ति हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे आंशी हसन के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा-लिखा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(AASHEE HASAN)  
D/o. AAMIR HASAN,  
ADD.- H.N. 46, AFRIN COLONY,  
IDGAH HILLS, BHOPAL.

(G-2267)

## नाम परिवर्तन

मैं, सैयद शहवाज हसन अलवी, मुझे शाजिल हसन पिता आमिर हसन के नाम से भी जाना जाता है. सैयद शहवाज हसन अलवी तथा शाजिल हसन दोनों एक ही व्यक्ति हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे सैयद शहवाज हसन अलवी के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा-लिखा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(SYED SHABAZ HASAN ALVI)  
AAMIR HASAN,  
ADD.- H.N. 46, AFRIN COLONY,  
IDGAH HILLS, BHOPAL.

(G-2268)

## नाम परिवर्तन

मैं, रामलाल चौधरी पिता स्व. सुखराम चौधरी, उम्र 52 वर्ष, निवासी-क्वाटर नंबर 26-188, पुरानी फेमली लाइन, एसएएफ 6वीं बटालियन रॉड, मानेगांव खमरिया, जिला जबलपुर (म.प्र.). मेरे सर्विस बुक में मेरा नाम रामलाल पिता सुखराम दर्ज है. जो कि त्रुटिवश गलत अंकित हो गया है. मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम रामलाल चौधरी पिता स्व. सुखराम चौधरी दर्ज है. जो मेरा सही एवं वास्तविक नाम है. मेरे सर्विस बुक में मेरा नाम रामलाल पिता सुखराम की जगह रामलाल चौधरी पिता स्व. सुखराम चौधरी दर्ज किया जावे, एवं पढ़ा-लिखा एवं माना जावे.

पुराना नाम  
(रामलाल)  
पिता-सुखराम

नया नाम  
(रामलाल चौधरी)  
पिता-स्व. सुखराम चौधरी

(G-2269)

**नाम परिवर्तन**

मैं, राजेश राणोजा पुत्र रतनलाल, निवासी-म.नं. एन-254, वार्ड 10, गरौना, तह. खातेगाँव, देवास (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश पूजा राणोजा (POOJA RAANOJA) नाम दर्ज हो गया है जो कि गलत है, जबकि उसके जन्म प्रमाण-पत्र में ज्योति राणोजा (JYOTI RAANOJA) नाम दर्ज है जो कि सही है. अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में ज्योति राणोजा (JYOTI RAANOJA) पुत्री-राजेश राणोजा के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

प्रार्थी

(G-2270)

(राजेश राणोजा)

**नाम परिवर्तन**

मैं, मुकेश उइके पुत्र बाजुलाल उइके, निवासी-नाहरखेड़ा, रिथवार, सीहोर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश भयू उइके (BHAEYU UIKEY) नाम दर्ज हो गया है जो कि गलत है, जबकि उसके जन्म प्रमाण-पत्र में अनुराज (ANURAJ) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में अनुराज (ANURAJ) पुत्र मुकेश उइके के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

प्रार्थी

(G-2271)

(मुकेश उइके)

**नाम परिवर्तन**

मैं, राजेश मालवीय पुत्र लखन मालवीय, निवासी-वार्ड 9, गंभीर, सोमगांव, खण्डवा (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश पुनाल मालवीय (PUNAL MALVIYA) नाम दर्ज हो गया है जो कि गलत है, जबकि उसके जन्म प्रमाण-पत्र में कुनाल मालवीय (KUNAL MALVIY) नाम दर्ज है जो कि सही है. अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में कुनाल मालवीय (KUNAL MALVIY) पुत्र राजेश मालवीय के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

प्रार्थी

(G-2272)

(राजेश मालवीय)

**नाम परिवर्तन**

मैं, बरखा मैसी पत्नी मालविन मैसी, निवासी-कस्तूरबा गांधी वार्ड नं. 22, हुजूर, रीवा (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश बरखा भारती (BARKHA BHARTI) नाम दर्ज हो गया है जो कि गलत है, जबकि मेरे पैन कार्ड में बरखा मैसी (BARKHA MASSEY) नाम दर्ज है जो कि सही है. अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में बरखा मैसी (BARKHA MASSEY) पत्नी मालविन मैसी के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(बरखा भारती)

(BARKHA BHARTI)

(G-2273)

नया नाम

(बरखा मैसी)

(BARKHA MASSEY)

## नाम परिवर्तन

मैं, इम्तियाज अंसारी (Imtiyaz Ansari) पुत्र मोहम्मद नसरुद्दीन अंसारी (Mohammad Nasruddin Ansari), निवासी—म.नं. 1625-3, भीम नगर, तह. हुजूर सतपुड़ा, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम इम्तियाज (Imtyaz) पुत्र मोहम्मद नसरुद्दीन अंसारी (Mohd. Nasruddin Ansari) अंकित है, किंतु मेरा सही नाम इम्तियाज अंसारी (Imtiyaz Ansari) पुत्र मोहम्मद नसरुद्दीन अंसारी (Mohammad Nasruddin Ansari) है. मैं, इसी नाम से जाना जाता हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे इम्तियाज अंसारी (Imtiyaz Ansari) पुत्र मोहम्मद नसरुद्दीन अंसारी (Mohammad Nasruddin Ansari) के नाम से जाना-पहचाना एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये.

पुराना नाम

(इम्तियाज)

(Imtyaz)

पुत्र—मोहम्मद नसरुद्दीन अंसारी

(Mohd. Nasruddin Ansari)

(G-2274)

नया नाम

(इम्तियाज अंसारी)

(Imtiyaz Ansari)

पुत्र—मोहम्मद नसरुद्दीन अंसारी

(Mohammad Narruddin Ansari).

## नाम परिवर्तन

मैं, पिकी सेन (Pinky Sen) पत्नी श्री राजकुमार सेन (Rajkumar Sen), निवासी—म.नं. एफ-10-11, ईडब्ल्यूएस, ब्लॉक पेबल बे ग्राम कटारा, असनानी स्कूल के पास, तह. हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम हेमलता सेन (Hemlata Sen) पत्नी श्री राजकुमार सेन (Rajkumar Sen) अंकित है किंतु मेरे अन्य दस्तावेजों के अनुसार मेरा सही नाम पिकी सेन (Pinky Sen) पत्नी श्री राजकुमार सेन (Rajkumar Sen) है. मैं, इसी नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे पिकी सेन (Pinky Sen) पत्नी श्री राजकुमार सेन (Rajkumar Sen) के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये.

पुराना नाम

(हेमलता सेन)

(Hemlata Sen)

नया नाम

(पिकी सेन)

(Pinky Sen)

पत्नी—श्री राजकुमार सेन

(Rajkumar Sen).

(G-2275)

## उपनाम परिवर्तन

विवाह पूर्व मेरा नाम कुसुम जामोद (KUSUM JAMOD) पिता श्री टूलसिंह जामोद था, जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों एवं मेरे पूर्व के आधार कार्ड एवं पैन कार्ड पर अंकित है. श्री मालसिंह चौहान से विवाह के उपरान्त मेरा नाम कुसुम चौहान (KUSUM CHOUHAN) पति श्री मालसिंह चौहान हो गया है, जो मेरे वोटर कार्ड एवं स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र पर अंकित है. अतः भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर कुसुम जामोद के स्थान पर मेरा परिवर्तित नाम कुसुम चौहान (KUSUM CHOUHAN) पति श्री मालसिंह चौहान लिखा-पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम

(कुसुम जामोद)

(KUSUM JAMOD)

नया नाम

(कुसुम चौहान)

(KUSUM CHOUHAN)

पति—श्री मालसिंह चौहान

पता—95, ग्राम पाटरीपुरा, नाहवेल, पोस्ट बाग,  
तहसील कुक्षी, जिला धार (म.प्र.).

(G-2276)

### नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरे पुत्र का नाम भास्कर समेलिया (BHASKAR SAMILYA) पिता संजय समेलिया था, जो कि उसके आधार कार्ड पर अंकित है. किन्तु मैंने मेरे पुत्र का नाम परिवर्तित कर यश समेलिया (YASH SAMELIYA) कर लिया है. जो उसके जन्म प्रमाण-पत्र, निवासी प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र एवं उसके शैक्षणिक दस्तावेजों पर अंकित है. अतः भविष्य में मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजों पर भास्कर समेलिया के स्थान पर उसका परिवर्तित नाम यश समेलिया (YASH SAMELIYA) पिता संजय समेलिया लिखा-पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम  
(भास्कर समेलिया)  
(BHASKAR SAMILYA)

नया नाम  
(यश समेलिया)  
(YASH SAMELIYA)

पिता-संजय समेलिया  
पता-35, महावर नगर, अन्नपूर्णा रोड,  
इन्दौर (म.प्र.).

(G-2277)

### नाम परिवर्तन

विवाह पूर्व मेरा नाम ऋतू पाटनी (RITU PATNI) पिता श्री रमेश कुमार पाटनी था, किन्तु मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर त्रुटिवश मेरा नाम ऋजू पाटनी (RIJU PATNI) पिता श्री रमेश कुमार पाटनी दर्ज हो गया था. श्री मनोज काला से विवाह के उपरान्त मेरा नाम ऋतू काला (RITU KALA) पति श्री मनोज काला हो गया है, जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं वोटर कार्ड पर अंकित है. अतः भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर ऋतू पाटनी (RITU PATNI) एवं ऋजू पाटनी (RIJU PATNI) के स्थान पर ऋतू काला (RITU KALA) पति श्री मनोज काला लिखा-पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम  
[ऋतू (ऋजू) पाटनी]  
[RITU (RIJU) PATNI]

नया नाम  
(ऋतू काला)  
(RITU KALA)

पति-श्री मनोज काला  
पता-186, विन्ध्याचल नगर, इन्दौर (म.प्र.).

(G-2278)

### नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम जयेश कुमावत (JAYESH KUMAWAT) पिता श्री देवनारायण कुमावत था, जो मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों, आधार कार्ड एवं वोटर कार्ड पर अंकित है, किन्तु मैंने अपना नाम परिवर्तित कर जयदेव एस कुमावत (JEYDEVA S KUMAWAT) पिता श्री देवनारायण कुमावत कर लिया है. अतः भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर जयेश कुमावत के स्थान पर मेरा परिवर्तित नाम जयदेव एस कुमावत (JEYDEVA S KUMAWAT) पिता श्री देवनारायण कुमावत लिखा-पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम  
(जयेश कुमावत)  
(JAYESH KUMAWAT)

नया नाम  
(जयदेव एस कुमावत)  
(JEYDEVA S KUMAWAT)

पिता-श्री देवनारायण कुमावत  
पता-14-ए, वार्ड 19, राम नगर एक्सटेंशन, देवास (म.प्र.).

(G-2279)

## नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम चंदूलाल कोठारी (CHANDULAL KOTHARI) पिता श्री सुवालाल कोठारी था, जो मेरे आधार कार्ड पर अंकित है, किन्तु मैंने अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर पूज्यनीय मंहत 108 श्री किशनदास जी महाराज से सन्यास दीक्षा ग्रहण कर ली है। सन्यास दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात मेरा नाम परिवर्तित होकर हनुमानदास (HANUMANDAS) गुरु श्री किशनदास जी हो गया है, अतः भविष्य में मुझे मेरे परिवर्तित नाम हनुमानदास (HANUMANDAS) गुरु श्री किशनदास जी के नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जावे।

पुराना नाम  
(चंदूलाल कोठारी)  
(CHANDULAL KOTHARI)

नया नाम  
(हनुमानदास)  
(HANUMANDAS)

(G-2280)

पता-अलबेला हनुमान मंदिर, वार्ड न. 2, गुलझरा धामनोद,  
तहसील धरमपुरी, जिला धार (म.प्र.).

## नाम परिवर्तन

मैं, शिरीष रमेश अग्रवाल (SHIRISH RAMESH AGARWAL) आत्मज श्री रमेश चन्द्र गुप्ता, निवासी-61, लाला लाजपत राय कालोनी, रायसेन रोड, भोपाल (म.प्र.). मेरे शैक्षणिक अंक-सूची एवं जन्म प्रमाण-पत्र में मेरा नाम शिरीष गुप्ता (SHIRISH GUPTA) अंकित है। मैंने अपना नाम शिरीष गुप्ता (SHIRISH GUPTA) के स्थान पर शिरीष रमेश अग्रवाल (SHIRISH RAMESH AGARWAL) कर लिया है। मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिचय पत्र एवं पासपोर्ट में मेरा नाम शिरीष रमेश अग्रवाल (SHIRISH RAMESH AGARWAL) अंकित है और मैं, अब इसी नाम से जाना-पहचाना जाता हूँ।

पुराना नाम  
(शिरीष गुप्ता)  
(SHIRISH GUPTA)

नया नाम  
(शिरीष रमेश अग्रवाल)  
(SHIRISH RAMESH AGARWAL).

(G-2281)

## नाम परिवर्तन

मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश विन्दा बाई (Vinda Bai) अंकित हो गया है, जबकि मेरा सही नाम बोंदी बाई (Bondi Bai) है। मेरे जन्म प्रमाण-पत्र एवं मेरे परिचय पत्र (वोटर कार्ड) में मेरा नाम बोंदी बाई (Bondi Bai) अंकित है। मुझे बोंदी बाई (Bondi Bai) नाम से जाना व पहचाना जाता है।

पुराना नाम  
(विन्दा बाई)  
(Vinda Bai)

नया नाम  
(बोंदी बाई)  
(Bondi Bai)  
पति-रमेश चंद तिलक,  
पता-164, बड़झिरी, झागरिया खुर्द,  
जिला-भोपाल (म.प्र.).

(G-2282)

## नाम परिवर्तन

मैं, अवधनारायण धनगर पिता श्री गोपाल धनगर, निवासी-ग्राम गादिया, नरसिंहगढ़, आंदलहेड़ा, जिला राजगढ़ (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश राजा (RAJA) नाम दर्ज हो गया है जबकि उसके अन्य दस्तावेजों पर सोनु धनगर (Sonu Dhangar) पिता श्री अवधनारायण धनगर नाम दर्ज है। जो कि सही है। अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सोनु धनगर (Sonu Dhangar) पिता श्री अवधनारायण धनगर के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे।

पुराना नाम  
(राजा)  
(RAJA)

नया नाम  
(सोनु धनगर)  
(Sonu Dhangar)  
पिता-अवधनारायण धनगर.

(G-2283)

**CHANGE OF NAME**

I, Dilip Kumar Neema S/o Krishna Das Neema (Old Name) here by declare that I have changed My name as Dilip Neema S/o Krishna Das Neema (New Name) so, from now and in future I will be known by my new name Dilip Neema S/o Krishna Das Neema (New Name).

Old Name  
(Dilip Kumar Neema)

(G-2284)

New Name  
(Dilip Neema)

S/o. Krishna Das Neema  
Add :- 17, Shree Krishna Nagar, Airport Road,  
Indore, (M.P.).

**CHANGE OF NAME**

I, Ashutosh Nema S/o Hemant Kumar Nema here by declare that I have changed my name as Ashutosh Nema S/o Hemant Kumar Nema so, from now and in future I will be known by my new name Ashutosh Nema S/o Hemant Kumar Nema.

Old Name  
(Ashutosh Nema)

(G-2285)

New Name  
(Ashutosh Nema)

S/o. Hemant Kumar Nema  
Add :- 45, Kesharbag Road, Indore, (M.P.).

**CHANGE OF NAME**

I, MINAKSHI W/o. RAHUL PATHAK here by declare that I have changed my name as MADHURI PATHAK W/o. RAHUL PATHAK so, from now and in future I will be known by my new name MADHURI PATHAK W/o. RAHUL PATHAK.

Old Name  
(MINAKSHI)

(G-2286)

New Name  
(MADHURI PATAHK)

W/o. RAHUL PATHAK  
Add :- 1, Panjriya, Fufund, Mhow, Indore (M.P.).

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का नाम शुभांजली दुबे पिता श्री शुभम दुबे {पुराना नाम} है, जो कि उसके सभी शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है. भविष्य में मेरी पुत्री श्रेया दुबे पिता श्री शुभम दुबे {नया नाम} के नाम से जानी-पहचानी जावेगी.

आवेदक  
(शुभम दुबे).

(G-2287)

**CHANGE OF NAME**

It is to bring kind Notice to the people that my Daughter previous name Prinsy D/o Rakesh Rathore has been changed to Jayshree Rathore D/o Rakesh Rathore. Therefore, in future my Daughter will be known by the her new name only.

Old Name  
(Prinsy)

New Name  
(Jayshree Rathore)

D/o. Rakesh Rathore

Add :- Gram Chittoda, Po: Gautampura, Sub District: Depalpur,  
District: Indore, State: Madhya Pradesh.

(G-2288)

**CHANGE OF NAME**

It is to bring kind Notice to the people that my Son previous name Hussain S/o. Mustafa Hussain Mhowwala (Old Name) has been changed to Hussain Mhowwala S/o. Mustafa Mhowwala (New Name) Therefore, in future my Son will be known by his new name only.

Old Name  
(Hussain)

New Name  
(Hussain Mhowwala)

S/o. Mustafa Hussain Mhowwala

S/o. Mustafa Mhowwala

Add :- 24, Basant Puri Colony, A.B Road,  
Husain Villa, Rajendra Nagar, Indore (M.P.).

(G-2289)

**CHANGE OF NAME**

I, Tinu Mehta S/o Anandilal Mehta here by declare that I have changed my name as Sandeep Mehta S/o. Anandilal Mehta so, from now and in future I will be known by my new name Sandeep Mehta S/o Anandilal Mehta.

Old Name  
(Tinu Mehta)

New Name  
(Sandeep Mehta)

S/o. Anandilal Mehta

Add :- 189, Indrapuri Colony, G.P.O.,  
Juni Indore, Indore (M.P.).

(G-2290)

**नाम परिवर्तन**

मैं, डॉ. अशोक हरोर पिता हीरालालजी हरोर, निवासी-रत्नपुरी, रतलाम (म.प्र.). मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम अशोक कुमार हरोर अंकित है, किन्तु मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम अशोक हरोर पिता हीरालाल हरोर अंकित है. डॉ. अशोक हरोर एवं डॉ. अशोक कुमार हरोर दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे नये नाम से जाना-पहचाना एवं पढ़ा-लिखा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(डॉ. अशोक हरोर)

निवासी-रत्नपुरी रतलाम (म.प्र.).

(G-2291)

### नाम परिवर्तन

मैं, भान सिंह पुत्र चरन सिंह यादव, निवासी-ग्राम पाटन, डमडमा, जिला अशोकनगर (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश संजीव (SANJEEV) नाम दर्ज हो गया है जो कि गलत है, जबकि मेरे मूल निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में भान सिंह (BHAN SINGH) पुत्र चरन सिंह यादव, नाम दर्ज है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में भान सिंह (BHAN SINGH) पुत्र चरन सिंह यादव, के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम  
(संजीव)  
(SANJEEV)

(G-2292)

नया नाम  
(भान सिंह)  
(BHAN SINGH)

पुत्र-चरन सिंह यादव.

### नाम परिवर्तन

मैं, रमेश कुमार विश्वकर्मा पिता श्री रामसुंदर विश्वकर्मा, निवासी-वार्ड न. 11, ग्राम गढ़ा, पोस्ट देवतलाब के पास थाना व तहसील मउगंज, देवतलाब, जिला रीवा (म.प्र.). यह कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम प्रजल विश्वकर्मा अंकित हो गया है, जो कि गलत है. जबकि उसका सही नाम प्रज्जवल विश्वकर्मा (Prajjwal Vishwakarma) पुत्र रमेश कुमार विश्वकर्मा (Ramesh Kumar Vishwakarma) है जो कि उसके जन्म प्रमाण-पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके सही नाम प्रज्जवल विश्वकर्मा (Prajjwal Vishwakarma) पुत्र रमेश कुमार विश्वकर्मा (Ramesh Kumar Vishwakarma) के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

(G-2293)

आवेदक  
(रमेश कुमार विश्वकर्मा)

### नाम परिवर्तन

मेरा नाम “नीतेश तिवारी आ. श्री नरोत्तम राम तिवारी” है जबकि मेरे कुछ शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम त्रुटिवश “मिन्दू तिवारी आ. नरोत्तम तिवारी” अंकित है. जबकि मेरा वास्तविक एवं प्रचलित नाम “नीतेश तिवारी आ. श्री नरोत्तम राम तिवारी” है, जो कि मेरे आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त से मैं, “नीतेश तिवारी आ. श्री नरोत्तम राम तिवारी” के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा-लिखा, दर्ज किया जावेगा.

पुराना नाम  
(मिन्दू तिवारी )

आ. नरोत्तम तिवारी  
(G-2294)

नया नाम  
(नीतेश तिवारी )  
आ.- श्री नरोत्तम राम तिवारी

### नाम परिवर्तन

मैं, रमेश चंद चौधरी, निवासी-इंदिरा पार्क, वार्ड नंबर 19, अशोकनगर (म.प्र.). मैंने अपना नाम रमेश चंद चौधरी से बदलकर रमेश कुमार चौधरी कर लिया है. अब से भविष्य में मुझे रमेश कुमार चौधरी नाम से जाना जाएगा.

पुराना नाम  
(रमेश चंद चौधरी)

(G-2295)

नया नाम  
(रमेश कुमार चौधरी)

### CHANGE OF SURNAME

The general is informed that in the past my name was GOPAL SHARMA and in the present my name is GOPAL JANGID. So should be known and known by my new name GOPAL JANGID, My residence address is :-198/4, Solanki Nagar, Vijay Nagar (M.P.).

(G-2296)

Applicant  
(GOPAL JANGID)

## विविध

### न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं लोक न्यास, पंजीयक, सागर जिला सागर

मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 19 मई 2025

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) तथा मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1951 का नियम 5 का उपनियम (1) देखिए]

रा.प्र.क्र. 004-बी-113- वर्ष 2024-25.- जैसा कि माँ हरसिद्धि ट्रस्ट समिति, बाघराज वार्ड, सागर, जिला सागर के अध्यक्ष रमेश कुमार चंदेल, निवासी-नरयावली नाका वार्ड सागर, तहसील व जिला सागर के द्वारा मध्यप्रदेश ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1961 के नियम 2 के तहत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने हेतु निवेदन किया गया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक 19 मई 2015 को विचार किया जायेगा, कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वे इस सूचना के प्रकाशन के पन्द्रह दिनों के अंदर अपनी आपत्ति या सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा:-

### अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

1. ट्रस्ट का नाम : "माँ हरसिद्धि ट्रस्ट मंदिर समिति बाघराज वार्ड, सागर, जिला सागर"
2. अचल सम्पत्ति : मूर्तियां, जेवर, आदि.  
ग्राम बगौधा, तह. शाहगढ़ दान भूमि 0.40 है.
3. चल सम्पत्ति : 18,880/-रु.

(G-2297)

अदिती यादव, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

## अन्य सूचनाएं

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 25 अप्रैल 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के उपनियम 57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन-2025.- कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक / दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	राज राजेश्वरी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	43 / 5-9-2013	2009 / 31-3-2023
2.	राहिल साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	66 / 5-9-2013	2010 / 31-3-2023
3.	रिलेटिव्ह मेडिकल रिलीफ साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	85 / 5-9-2013	2011 / 31-3-2023
4.	रानीपुरा साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	120 / 5-9-2023	2012 / 31-3-2023
5.	रानी अवंतिबाई साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2100 / 11-12-2022	2081 / 31-3-2023
6.	राष्ट्रीय एकता साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1168 / 30-3-1983	2082 / 31-3-2023
7.	राजा बख्तावरराम नगर सिंह साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	1920 / 3-11-1998	2083 / 31-3-2023
8.	रुचि साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	550 / 30-5-1980	2084 / 31-3-2023
9.	रणथम्भौर साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	1206 / 17-5-1994	2085 / 31-3-2023
10.	रजनी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	901 / 3-5-1989	2086 / 31-3-2023

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57(1) (सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह कि अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तदानुसार समिति की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 25 मार्च 2025 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(G-2298)

श्याम चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

इन्दौर, दिनांक 16 नवम्बर 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज के नियम, 1962 के उपनियम 57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन-2024.- कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुडर	665/3-8-1982	1831/31-03-2023
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुलावट	2485/2-2-2011	1854/31-03-2023
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जलालपुर	927/19-7-1990	1839/31-03-2023
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नेवेरी	732/30-7-1983	1827/31-03-2023
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कृलिम्बोदागिरी	2740/22-10-14	1837/31-03-2023
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोतमपुरा	2609/30-7-2013	1840/31-03-2023

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57(1) (सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह कि अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तदानुसार समिति की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 नवम्बर 2024 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(G-2299)

विजय दशोरिया, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

बहुउद्देशीय, प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, कोडिया, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

[पंजीयक क्रमांक SHR1512 दिनांक 3 सितम्बर 1956]

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2025

विशेष साधारण सभा की सूचना

एजेण्डा

क्र.-पुनर्गठन वि. आमसभा-2025.- संस्था के समस्त सम्माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कार्यालय उप रजिस्टार सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के पत्र क्रमांक साख-विधि-2025-397, दिनांक 20 फरवरी 2025 से निर्देशित किया गया है कि संस्था के पुनर्गठन के संबंध में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के धारा 16 की उपधारा 3 एवं सपठित धारा 16 (5) के अंतर्गत अध्यापेक्षा जारी करते हुए संस्था की विशेष साधारण सभा आहूत करने हेतु निर्देश दिये गये हैं. उक्त निर्देशों के परिपालन में संस्था की विशेष साधारण सभा दिनांक 12 मई 2025, समय दोपहर 12 बजे, स्थान संस्था कार्यालय कोडिया पर आयोजित की गई है जिसमें समस्त सदस्यों की उपस्थित प्राथनीय है.

निर्धारित समय स्थान पर कोरम के अभाव में विशेष साधारण सभा आधे घण्टे स्थगित की जाकर पुनः उसी स्थान पर विशेष साधारण सभा का आयोजन किया जायेगा. जिसमें गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी.

### विशेष साधारण सभा की विषय वस्तु

1. संस्था के पुनर्गठन हेतु पूर्व आयोजित साधारण सभा में शेष रहे बिंदुओं पर विचार एवं निर्णय
2. संस्था के पुनर्गठन से नवीन परिणामी समिति के गठन पर विचार
3. संस्था के पुनर्गठन से नवीन परिणामी समितियां:-
  1. बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., मुंगालिया छाप प्रस्तावित के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित होने वाले ग्राम - मुंगालिया छाप, लखापुर, बीलखेडा, सिकन्दराबाद, रसुलिया गुसाई, एव.
  2. बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., बडझिरी प्रस्तावित के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित होने वाले ग्राम - बडझिरी, खुरचनी, आमला, सरवर, झागरिया खुर्द, मुण्डला, बावडीखेडा तथा मुख्यालय के संबंध में विचार एवं निर्णय.
4. संस्था के पुनर्गठन के उपरान्त प्रभावित समिति बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., कोडिया के कार्य क्षेत्र में आने वाले ग्रामों के नाम कोडिया, खारपा, खारपी, कल्याणपुर, देहरियाकलां पर विचार एवं निर्णय
5. प्रभावित समिति में उपविधि संशोधन एवं परिणामी समिति की उपविधि को अंगीकृत करने पर विचार एवं निर्णय.
6. परिणामी समिति के कार्य संचालन हेतु नामांकित कमेटी के गठन पर विचार एवं निर्णय
7. परिणामी संस्था की पांच वर्ष की कार्य योजना पर विचार एवं निर्णय
8. पुनर्गठन के संबंध में प्रारूप अ ब स पर अनुमोदन
9. अन्य विषय प्रशासक की अनुमति से.

### विशेष साधारण सभा की सूचना

क्र.-पुनर्गठन वि. आमसभा-2025.- संस्था के समस्त सम्माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कार्यालय उप रजिस्टार सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल के पत्र क्रमांक साख-विधि-2025-397, दिनांक 20 फरवरी 2025 से निर्देशित किया गया है कि संस्था के पुनर्गठन के संबंध में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के धारा 16 की उपधारा 3 एवं सपठित धारा 16 (5) के अंतर्गत अध्यापेक्षा जारी करते हुए संस्था की विशेष साधारण सभा आहूत करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देशों के परिपालन में संस्था की विशेष साधारण सभा दिनांक 12 मई 2025, समय दोपहर 12 बजे, स्थान संस्था कार्यालय कोडिया पर आयोजित की गई है जिसमें समस्त सदस्यों की उपस्थित प्राथनीय है।

संस्था के समस्त सदस्यों को विशेष साधारण सभा का एजेण्डा साधारण डाक से प्रेषित किया गया है। यदि किसी सदस्य को डाक प्राप्त नहीं होती है तो इस विज्ञप्ति को ही सूचना मान्य की जावे।

(G-2300)

अखिलेश नैन, व.स.नि.

कार्यालय, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 10 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन-2025-373.- दुर्गा बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सानौधा, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1229, दिनांक 6 दिसम्बर 2006 है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-2013-699, दिनांक 24 अप्रैल 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। कु. दीप्ति गुजरया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः, मैं, नैन्सी रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 की द्वितीय अनुसूची के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुर्गा बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सानौधा, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1229, दिनांक 6 दिसम्बर 2006 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 10 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-2301)

सागर, दिनांक 10 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन-2025-378.- मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या., जालमपुर, पोस्ट गूगराखुर्द, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक-1466, दिनांक 16 सितम्बर 2013 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-2024-143, दिनांक 9 फरवरी 2024 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. श्री रामजी खरे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, नैन्सी रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 की द्वितीय अनुसूची के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या., जालमपुर, पोस्ट गूगराखुर्द, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1466, दिनांक 16 सितम्बर 2013 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2302)

सागर, दिनांक 10 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन-2025-379.- चाँदपुर तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चाँदपुर, विकासखण्ड रहली, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक-488, दिनांक 11 अक्टूबर 1990 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-2013-732, दिनांक 24 अप्रैल 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. श्री राधे श्याम गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, नैन्सी रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 की द्वितीय अनुसूची के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चाँदपुर तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चाँदपुर, विकासखण्ड रहली, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 488, दिनांक 11 अक्टूबर 1990 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2303)

सागर, दिनांक 10 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन-2025-380.- अम्बेडकर मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., बिलहरा, विकासखण्ड जैसीनगर जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक-433, दिनांक 10 मार्च 1987 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-2000-1964, दिनांक 4 सितम्बर 2000 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. श्री रिदम जैन, सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, नैन्सी रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह 1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 की द्वितीय अनुसूची के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अम्बेडकर मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., बिलहरा, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक-433, दिनांक 10 मार्च 1987 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2304)

सागर, दिनांक 10 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन-2025-381.- बलराम प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., इन्द्रानगर सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक-670, दिनांक 21 फरवरी 1997 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-2023-643, दिनांक 28 अप्रैल 2023 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. श्री देवेन्द्र कुमार चन्द्राकर, सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, नैन्सी रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी दिनांक 26 जुलाई 1999 की द्वितीय अनुसूची के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बलराम प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., इन्द्रानगर सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक-670, दिनांक 21 फरवरी 1997 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2305)

सागर, दिनांक 10 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2025—377.— महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मुहली, विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक—944, दिनांक 25 सितम्बर 2002 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन—2010—1585, दिनांक 20 अगस्त 2010 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. श्री भगवतशरण चौबे, उप अंकेक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, नैन्सी रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 की द्वितीय अनुसूची के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मुहली, विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक—944, दिनांक 25 सितम्बर 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2306)

सागर, दिनांक 10 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2025—376.— माणिक बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शाहपुर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक—159, दिनांक 28 सितम्बर 2012 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन—2023—939, दिनांक 3 मई 2023 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. श्री रामजी खरे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, नैन्सी रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 की द्वितीय अनुसूची के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माणिक बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शाहपुर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक—159, दिनांक 28 सितम्बर 2012 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2307)

सागर, दिनांक 10 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन-2025-375.- समृद्धि बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरखेरा गौतम, विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक-1462, दिनांक 8 जुलाई 2013 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-2023-665, दिनांक 28 अप्रैल 2023 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. श्री राकेश कुमार जैन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, नैन्सी रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 की द्वितीय अनुसूची के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समृद्धि बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरखेरा गौतम, विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक-1462, दिनांक 8 जुलाई 2013 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2308)

सागर, दिनांक 10 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन-2025-374.- हरिओम बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., मेनपानी, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक-1237, दिनांक 6 सितम्बर 2007 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-2016-868, दिनांक 15 मार्च 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. कु. दीप्ति गुजरया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, नैन्सी रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 की द्वितीय अनुसूची के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरिओम बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., मेनपानी, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक-1237, दिनांक 6 सितम्बर 2007 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2309)

सागर, दिनांक 10 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2025—372.— शारदा महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., सिविल लाईन वार्ड सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक—657, दिनांक 23 नवम्बर 1996 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन—2023—655, दिनांक 28 अप्रैल 2023 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. श्री रिदम जैन, सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, नैन्सी रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ—5—1—99—पन्द्रह—1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 की द्वितीय अनुसूची के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शारदा महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., सिविल लाईन वार्ड सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक—657, दिनांक 23 नवम्बर 1996 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2310)

सागर, दिनांक 10 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2025—363.— कक्काजू बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सेमराकाछी, विकासखण्ड मालथौन, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक—1512, दिनांक 15 अक्टूबर 2014 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक—परिसमापन—2023—667, दिनांक 28 अप्रैल 2023 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. श्री राकेश कुमार जैन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, नैन्सी रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ—5—1—99—पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 की द्वितीय अनुसूची के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कक्काजू बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सेमराकाछी, विकासखण्ड मालथौन, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक—1512, दिनांक 15 अक्टूबर 2014 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2311)

सागर, दिनांक 10 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन-2025-364.- बलवंत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पगारा, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक-1480 दिनांक 23 जुलाई 2014 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-2023-666, दिनांक 28 अप्रैल 2023 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. श्री राकेश कुमार जैन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, नैन्सी रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 की द्वितीय अनुसूची के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बलवंत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या, पगारा, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक-1480, दिनांक 23 जुलाई 2014 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2312)

सागर, दिनांक 10 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन-2025-365.- शहीद साबूलाल प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., रामपुरा वार्ड सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक-655, दिनांक 20 नवम्बर 1996 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-2023-642, दिनांक 28 अप्रैल 2023 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. श्री देवेन्द्र कुमार चन्द्राकर, सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, नैन्सी रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 की द्वितीय अनुसूची के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शहीद साबूलाल प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., रामपुरा वार्ड सागर, विकासखण्ड सागर जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक-655, दिनांक 20 नवम्बर 1996 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2313)

सागर, दिनांक 10 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन-2025-366.- मछुआ सहकारी समिति मर्या., खैराना, विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक-1530, दिनांक 15 दिसम्बर 2015 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-2024-147, दिनांक 9 फरवरी 2024 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. श्री सी.एस. झा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, नैन्सी रघुवंशी, सहायक, रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 की द्वितीय अनुसूची के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मछुआ सहकारी समिति मर्या. खैराना विकासखण्ड रहली जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक-1530, दिनांक 15 दिसम्बर 2015 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2314)

सागर, दिनांक 10 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन-2025-371.- महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या, ढाबरी, विकासखण्ड मालथौन, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक-1104, दिनांक 25 मार्च 2004 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-2024-178, दिनांक 9 फरवरी 2024 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. श्री एम.एल. कोरी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, नैन्सी रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 की द्वितीय अनुसूची के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या, ढाबरी, विकासखण्ड मालथौन, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक-1104, दिनांक 25 मार्च 2004 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2315)

सागर, दिनांक 10 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन-2025-370.- रेंवझा दुग्ध सहकारी समिति मर्या., रेंवझा, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक-1395, दिनांक 9 दिसम्बर 2011 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-2016-898, दिनांक 16 मार्च 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. श्री एम.एल. कोरी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, नैन्सी रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 की द्वितीय अनुसूची के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये रेंवझा दुग्ध सहकारी समिति मर्या., रेंवझा, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक-1395, दिनांक 9 दिसम्बर 2011 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करती हैं.

यह आदेश आज दिनांक 10 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2316)

सागर, दिनांक 10 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन-2025-369.- अनु.जा. महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बांदरी, विकासखण्ड मालथौन, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक-1054, दिनांक 8 जुलाई 2003 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-2024-174, दिनांक 9 फरवरी 2024 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. श्री एम.एल. कोरी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, नैन्सी रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 की द्वितीय अनुसूची के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अनु.जा. महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. बांदरी विकासखण्ड मालथौन, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक-1054, दिनांक 8 जुलाई 2003 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2317)

सागर, दिनांक 10 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन-2025-368.- बीडी उद्योग सहकारी समिति मर्या., पाटई, विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक-1280, दिनांक 13 फरवरी 2008 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-2016-852, दिनांक 15 मार्च 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. श्री भगवतशरण चौबे, उप अंकेक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, नैन्सी रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 की द्वितीय अनुसूची के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बीडी उद्योग सहकारी समिति मर्या, पाटई, विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक-1280, दिनांक 13 फरवरी 2008 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2318)

सागर, दिनांक 10 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन-2025-367.- श्री निषादराज मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., रहली/तिन्सी, विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक-1310, दिनांक 18 जून 2008 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक-परिसमापन-2012-2326, दिनांक 6 नवम्बर 2012 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. श्री सी.एस. झा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं नैन्सी रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 की द्वितीय अनुसूची के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री निषादराज मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., रहली/तिन्सी, विकासखण्ड रहली, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक-1310, दिनांक 18 जून 2008 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2319)

सागर, दिनांक 10 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन-2025-362.- माँ वैष्णवी ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., पिपरिया चउदा, वि.ख. शाहगढ़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक-1308, दिनांक 9 जून 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), को अकार्यशील होने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र.-परिसमापन-2025-102 सागर दिनांक 14 जनवरी 2025 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, नैन्सी रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 की द्वितीय अनुसूची के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह.सो.अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत माँ वैष्णवी ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., पिपरिया चउदा, वि.खं. शाहगढ़, जिला सामर पंजीयन क्रमांक-1308, दिनांक 9 जून 2008 को परिसमापन में लाती है साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री अनिल कामड़े, उप अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2320)

सागर, दिनांक 27 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति

मर्या. (बी-पैक्स), ऐरन मिर्जापुर, शाखा-राहतगढ़.

क्र.-पंजीयन-2025-484.- कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-1265, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु निर्धारित मापदण्ड ऋण व्यवसाय 03 करोड़, 1000 सदस्य संख्या पूर्ति 03 वर्ष में पूर्ण करने की शर्त के साथ नवीन पैक्स पुनर्गठित की जावे. पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है.

संयुक्त कार्य समिति (JWC) की बैठक दिनांक 26 मार्च 2025 में सागर जिले की 05 पैक्स समितियों का कार्यक्षेत्र अत्याधिक होने के कारण पुनर्गठन योजना को अनुमोदित किया गया है.

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या. (बी-पैक्स) ऐरन मिर्जापुर, पंजीयन क्रमांक 892 दिनांक 19 जून 1967 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है) को आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के निर्देश एवं संयुक्त कार्य समिति (JWC) में लिये गये निर्णय के परिपालन में एवं समिति कार्यक्षेत्र के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16 (2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार प्रभावित सोसायटी को दो सोसायटियों ऐरन मिर्जापुर एवं रजवांस में विभाजित करके पुनर्गठन करें.

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 की द्वितीय अनुसूची के द्वारा सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16 (3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 11 अप्रैल 2025 तक मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 27 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(G-2321)

सागर, दिनांक 27 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति

मर्या. (बी-पैक्स), बगरोही, शाखा-शाहगढ़.

क्र.-पंजीयन-2025-485.- कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-1265, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु निर्धारित मापदण्ड ऋण व्यवसाय 03 करोड़, 1000 सदस्य संख्या पूर्ति 03 वर्ष में पूर्ण करने की शर्त के साथ नवीन पैक्स पुनर्गठित की जावे. पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत् पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है.

संयुक्त कार्य समिति (JWC) की बैठक दिनांक 26 मार्च 2025 में सागर जिले की 05 पैक्स समितियों का कार्यक्षेत्र अत्याधिक होने के कारण पुनर्गठन योजना को अनुमोदित किया गया है.

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) बगरोही, पंजीयन क्रमांक 925 दिनांक 6 मार्च 1956 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है), को आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देश एवं संयुक्त कार्य समिति (JWC) में लिये गये निर्णय के परिपालन में एवं समिति कार्यक्षेत्र के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16 (2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की रकौम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार प्रभावित सोसायटी को दो सोसायटियों बगरोही एवं नरवां में विभाजित करके पुनर्गठन करें.

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 की द्वितीय अनुसूची के द्वारा सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश, सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16 (3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम, 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 11 अप्रैल 2025 तक मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 27 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(G-2322)

सागर, दिनांक 27 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति

मर्या. (बी-पैक्स), टड़ाखास, शाखा-केसली.

क्र.-पंजीयन-2025-486.- कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-1265, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु निर्धारित मापदण्ड ऋण व्यवसाय 03 करोड़, 1000 सदस्य संख्या पूर्ति 03 वर्ष में पूर्ण करने की शर्त के साथ नवीन पैक्स पुनर्गठित की जावे. पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्यस्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है.

संयुक्त कार्य समिति (JWC) की बैठक दिनांक 26 मार्च 2025 में सागर जिले की 05 पैक्स समितियों का कार्यक्षेत्र अत्याधिक होने के कारण पुनर्गठन योजना को अनुमोदित किया गया है.

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या. (बी-पैक्स) टड़ाखास, पंजीयन क्रमांक 750 दिनांक 24 फरवरी 1955 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है), को आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के निर्देश एवं संयुक्त कार्य समिति (JWC) में लिये गये निर्णय के परिपालन में एवं समिति कार्यक्षेत्र के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार प्रभावित सोसायटी को दो सोसायटियों टड़ाखास एवं तुलसीपार में विभाजित नरके पुनर्गठन करें.

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 की द्वितीय अनुसूची के द्वारा सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16 (6) एवं धारा 16 (3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 11 अप्रैल 2025 तक मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 27 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(G-2323)

सागर, दिनांक 27 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति

मर्या., (बी-पैक्स), बरायठा, शाखा-शाहगढ़.

क्र.-पंजीयन-2025-487.- कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-1265, भोपाल दिनांक 2 मई 2023 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु निर्धारित मापदण्ड ऋण व्यवसाय 03 करोड़, 1000 सदस्य संख्या पूर्ति 03 वर्ष में पूर्ण करने की शर्त के साथ नवीन पैक्स पुनर्गठित की जावे. पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत् पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्य स्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है.

संयुक्त कार्य समिति (JWC) की बैठक दिनांक 26 मार्च 2025 में सागर जिले की 05 पैक्स समितियों का कार्यक्षेत्र अत्याधिक होने के कारण पुनर्गठन योजना को अनुमोदित किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., (बी-पैक्स) बरायठा पंजीयन क्रमांक 890, दिनांक 3 मार्च 1956 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है), को आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश, भोपाल के निर्देश एवं संयुक्त कार्य समिति (JWC) में लिये गये निर्णय के परिपालन में एवं समिति कार्यक्षेत्र के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16 (2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार प्रभावित सोसायटी को दो सोसायटियों बरायठा एवं बरेठी में विभाजित करके पुनर्गठन करें.

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 की द्वितीय अनुसूची के द्वारा सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16(6) एवं धारा 16 (3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझावों को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 11 अप्रैल 2025 तक मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 27 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(G-2324)

सागर, दिनांक 27 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक/सहायक समिति प्रबंधक

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति

मर्या. (बी-पैक्स), बीना बारहा, शाखा-देवरी.

क्र.-पंजीयन-2025-488.- कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-1265, भोपाल दिनांक 2 मई 2023 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु निर्धारित मापदण्ड ऋण व्यवसाय 03 करोड़, 1000 सदस्य संख्या पूर्ति 03 वर्ष में पूर्ण करने की शर्त के साथ नवीन पैक्स पुनर्गठित की जावे. पैक्स पुनर्गठन के प्रथम चरण में नवीन एवं पूर्व से कार्यरत् पैक्स को मिलाकर 10,000 पैक्स के गठन का राज्य स्तरीय लक्ष्य नियत किया गया है.

संयुक्त कार्य समिति (JWC) की बैठक दिनांक 26 मार्च 2025 में सागर जिले की 05 पैक्स समितियों का कार्यक्षेत्र अत्याधिक होने के कारण पुनर्गठन योजना को अनुमोदित किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3) के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या. (बी पैक्स) बीना बारहा पंजीयन, क्रमांक 601 दिनांक 5 मई 1967 (जिसे प्रभावित सोसायटी कहा गया है), को आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देश एवं संयुक्त कार्य समिति (JWC) में लिये गये निर्णय के परिपालन में एवं समिति कार्यक्षेत्र के कृषकों के लोकहित में यह आवश्यक है कि प्रभावित सोसायटी धारा 16(2) की उपधारा (सी/ग) के अनुसार स्वयं को धारा 16(7) के अनुसार पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार प्रभावित सोसायटी को दो सोसायटियों बीना बारहा एवं समनापुर सेठ में विभाजित करके पुनर्गठन करें.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह 1 सी, दिनांक 28 जुलाई 1999 की द्वितीय अनुसूची के द्वारा सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर को प्राप्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित सोसायटी को यह सूचना-पत्र जारी कर पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रभावित सोसायटी से यह अपेक्षा करता हूँ कि प्रभावित सोसायटी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) एवं 16 (6) एवं धारा 16(3) के अधीन पुनर्गठन योजना के प्रारूप पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 11(7) के अनुसार अपने किसी सदस्य/सदस्यों के वर्ग से अथवा कोई साहूकार या साहूकार के वर्ग से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करें एवं ऐसी आपत्तियों या सुझाव को प्रभावित सोसायटी की राय सहित दिनांक 11 अप्रैल 2025 तक मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 27 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(G-2325)

नैन्सी रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार.

## कार्यालय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2025

:: अध्यापेक्षा ::

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (5) के अंतर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित,

अमरावत कला, जिला भोपाल.

द्वारा:- प्रशासन/प्रबंधक

विषय:- संस्था के पुनर्गठन के संबंध में जारी अध्यापेक्षा-पत्र पंजीयन-2025-1910, भोपाल दिनांक 13 जुलाई 2023 के संबंध में कार्यवाही बावत्.

संदर्भ:- आमसभा दिनांक 25 फरवरी 2025 में पारित निर्णय क्र.-01

क्र.-परिसमापन-2025-876.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स के मुख्यालय न हो वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. उक्त परिप्रेक्ष्य में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था का पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला भोपाल से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 26 जून 2023 द्वारा नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के गठन हेतु चिन्हांकन किया गया था.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-1265-2023. भोपाल दिनांक 2 मई 2023 अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था का पुनर्गठन हेतु 1000 सदस्य एवं 3.00 करोड़ के ऋण व्यवसाय की पूर्ति नहीं होने पर आगामी 03 वर्षों में पूर्ति करने तथा 10 कि.मी. की परिधि एवं 5000 हेक्टेयर कृषि भूमि की बाध्यता समाप्त की गई है. इसी परिप्रेक्ष्य में भोपाल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, भोपाल के पत्र क्रमांक-फिल्ड-69-2023-1066 भोपाल, दिनांक 30 जून 2023 से जिला स्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 26 जून 2023 के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार पुनर्गठन हेतु चिन्हांकित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, अमरावत कला, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक एस.एव.आर.-208, दिनांक 13 मार्च 1962 के कार्यक्षेत्र अन्तर्गत ग्राम 18 में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, गोल, जिला भोपाल के गठन की अनुशंसा की गई है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अनुकूल होने व सोसायटी के युक्तियुक्त प्रबंधन व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से निम्नांकित कॉलम 06 में वर्णित ग्रामों को सम्मिलित करते हुए नवीन सोसायटी का गठन किया जाना लोकहित में प्रथम दृष्ट्या युक्तियुक्त परिलक्षित हो रहा है.

क्र.	वर्तमान का समिति का नाम (पञ्चायत)	समिति के अन्तर्गत ग्राम के नाम	ग्राम पंचायत का नाम	नवीन पैक्स का नाम (परिधानी संस्था)	नवीन पैक्स में सम्मिलित ग्राम के नाम	पञ्चायत नवीन संस्था से सम्मिलित ग्राम की दूरी	ग्राम पंचायत के नाम	अनुमानित सदस्य संख्या	अनुमानित ऋण स्वरुप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	अमरावत कला	गोल	गोल	गोल	गोल	5 कि.मी.	गोल	254	2.50 करोड़
2.		इमलिया			इमलिया				
3.		धुआखेड़ा			धुआखेड़ा				
4.		सेमरी			सेमरी				
5.		अमरावतकला	अमरावतकला						
6.		शोभापुर	जहेज	सुरैयानगर					
7.		बंदोरी	पिपलिया	रानी					
8.		भोजनगर							
9.		पचामा							
10.		पिपलिया	रानी						
11.		पिपलिया	केशा						
12.		कोटरा							
13.		कौडी							
14.		खांडाबड़							
15.		खडवमूलिया							
16.		सेवनिया							
17.		पिपलिया	बेरखेड़ी						
18.		सुरैयान							

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) 16 (5) के अन्तर्गत अध्यापेक्षा जारी की थी कि इस अध्यापेक्षा जारी होने के एक माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथा स्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के सदस्य की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं. तदोपरान्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुर्नगठन की कार्यवाही की जावेगी. तदानुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-पंजीयन-208, दिनांक 13 मार्च 1962 से उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी.

संस्था की आमसभा दिनांक 25 फरवरी 2025 में संस्था के पुनर्गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है. जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा अध्यापेक्षा-पत्र दिनांक 13 जुलाई 2023 के अनुसार सहमति प्रदान कर दी गई है. चूंकि उक्त आमसभा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 सहपतित नियम 11 एवं कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र-साख-विधि-2017-3159, भोपाल दिनांक 8 सितम्बर 2017 के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु जारी परिपत्र अनुसार प्रारूप "अ" प्रारूप "ब" एवं प्रारूप "स" में प्रस्तावित समिति के पुनर्गठन हेतु जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. अतः इस अध्यापेक्षा-पत्र के माध्यम से पुन अवसर प्रदान किया जा रहा है.

उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में मैं, आर.एस. विश्वकर्मा उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-1999 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अन्तर्गत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 13 जुलाई 2023 के संबंध में संस्था की आमसभा दिनांक 25 फरवरी 2025 में दी गई आपकी सहमति के तारतम्य में पुनः अवसर प्रदान करता हूँ कि आप इस अध्यापेक्षा जारी होने के 15 दिवस के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जायें अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रभावित/परिणामी संस्था के सदस्य बने रहने/बनने हेतु सहमत हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी.

यह अध्यापेक्षा आज दिनांक 8 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-2326)

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2025

:: अध्यापेक्षा ::

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (5) के अंतर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित,

कोड़िया, जिला भोपाल.

द्वारा:- प्रशासन/प्रबंधक

विषय:- संस्था के पुर्नगठन के संबंध में जारी अध्यापेक्षा-पत्र पंजीयन-2025-1910, भोपाल दिनांक 13 जुलाई 2023 के संबंध में कार्यवाही बावत्.

संदर्भ:- आमसभा दिनांक 20 फरवरी 2025 में पारित निर्णय क्र.-01

क्र.-परिसमापन-2025-875.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स के मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. उक्त परिपेक्ष्य में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था का पुनर्गठन हेतु कलेक्टर जिला भोपाल से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 26 जून 2023 द्वारा नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के गठन हेतु चिन्हांकन किया गया था.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-1265-2023, भोपाल दिनांक 2 मई 2023 अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था का पुनर्गठन हेतु 1000 सदस्य एवं 3.00 करोड़ के ऋण व्यवसाय की पूर्ति नहीं होने पर आगामी 03 वर्षों में पूर्ति करने तथा 10 कि.मी. की परिधि एवं 5000 हेक्टेयर कृषि भूमि की बाध्यता समाप्त की गई है। इसी परिपेक्ष्य में भोपाल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, भोपाल के पत्र क्रमांक-फिल्ड-69-2023-1066, भोपाल, दिनांक 30 जून 2023 से जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 26 जून 2023 के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार पुनर्गठन हेतु चिन्हांकित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, कोड़िया, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक एस.एच.आर. 151, दिनांक 3 सितम्बर 1956 के कार्यक्षेत्र अन्तर्गत ग्राम 17 में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बड़झिरी एवं मुंगालिया छाप जिला भोपाल के गठन की अनुशंसा की गई है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अनुकूल होने व सोसायटी के युक्तियुक्त प्रबंधन व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से निम्नांकित कॉलम 06 में वर्णित ग्रामों को सम्मिलित करते हुए नवीन सोसायटी का गठन किया जाना लोकहित में प्रथम दृष्टया युक्तियुक्त परिलक्षित हो रहा है:-

क्र	वर्तमान का समिति का नाम (प्रस्तावित संस्था)	समिति के अन्तर्गत ग्राम के नाम	ग्राम पंचायत का नाम	नवीन बैंक्स का नाम (परिणामी संस्था)	नवीन बैंक्स में सम्मिलित ग्राम के नाम	प्रस्तावित नवीन संस्था से ग्राम की दूरी	ग्राम पंचायत के नाम	अनुमानित सदस्य संख्या	अनुमानित ऋण व्यवसाय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	कोड़िया	बड़झिरी	बड़झिरी	बड़झिरी	बड़झिरी	13 कि.मी.	बड़झिरी	536	4.67 करोड़
2.		खुरचनी	खुरचनी		खुरचनी		खुरचनी		
3.		आमला	आमला		आमला		आमला		
4.		सरवर	सरवर		सरवर		सरवर		
5.		झागरिया	मुण्डला		झागरिया		मुण्डला		
6.		मुण्डला			मुण्डला				
7.		बावड़ीखोड़ा			बावड़ीखोड़ा				
8.		मुंगालिया छाप	मुंगालिया छाप	मुंगालिया छाप	मुंगालिया छाप	6 कि.मी.	मुंगालिया छाप	523	4.63 करोड़
9.		लखापुर	सिकन्दाबाद		लखापुर		सिकन्दाबाद		
10.		वीलखोड़ा	ईटखोड़ी छाप		वीलखोड़ा		ईटखोड़ी छाप		
11.		सिकन्दाबाद	वीलखोड़ा		सिकन्दाबाद		वीलखोड़ा		
12.		रसुलिया गुसाई			रसुलिया गुसाई				
13.		कोड़िया	कोड़िया						
14.		खारपा	सेमरी वाज्याफल						
15.		खारपी	नांदनी						
16.		कल्याणपुर	मुण्डला						
17.		देहरियाकलां							

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) 16 (5) के अन्तर्गत अध्यापेक्षा जारी की थी कि इस अध्यापेक्षा जारी होने के एक माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथा स्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के सदस्य की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं. तदोपरान्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की कार्यवाही की जावेगी. तदनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-पंजीयन-151, दिनांक 3 सितम्बर 1956 से उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी. संस्था की आमसभा दिनांक 20 फरवरी 2025 में संस्था के पुनर्गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है. जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 13 जुलाई 2023 के अनुसार सहमति प्रदान कर दी गई है. चूंकि, उक्त आमसभा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 सहपठित नियम 11 एवं कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र-साख-विधि-2017-3159, भोपाल दिनांक 8 सितम्बर 2017 के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु जारी परिपत्र अनुसार प्रारूप "अ" प्रारूप "ब" एवं प्रारूप "स" में प्रस्तावित समिति के पुनर्गठन हेतु जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. अतः इस अध्यापेक्षा-पत्र के माध्यम से पुनः अवसर प्रदान किया जा रहा है.

उपरोक्त कड़िका में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में मैं, आर.एस. विश्वकर्मा उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-1999 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अन्तर्गत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा-पत्र दिनांक 13 जुलाई 2023 के संबंध में संस्था की आमसभा दिनांक 20 फरवरी 2025 में दी गई आपकी सहमति के तारतम्य में पुनः अवसर प्रदान करता हूँ कि आप इस अध्यापेक्षा जारी होने के 15 दिवस के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रभावित/परिणामी संस्था के सदस्य बने रहने/बनने हेतु सहमत है तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी.

यह अध्यापेक्षा आज दिनांक 8 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-2327)

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2025

## अध्यापेक्षा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (5) के अंतर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित,

पिपालिया जहीरपीर चौपड़ा जिला भोपाल.

द्वारा:-

प्रशासन/ प्रबंधक

विषय:-

संस्था के पुनर्गठन के संबंध में जारी अध्यापेक्षा पत्र पंजीयन-2025-1910, भोपाल दिनांक 13 जुलाई 2023 के संबंध में कार्यवाही बावत्.

संदर्भ:-

आमसभा दिनांक 25 फरवरी 2025 में पारित निर्णय क्र.-01

क्र.-पंजी.-2025-874.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स के मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. उक्त परिपेक्ष्य में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था का पुनर्गठन हेतु कलेक्टर जिला भोपाल से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 26 जून 2023 द्वारा नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के गठन हेतु चिन्हांकन किया गया था.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-1265-2023. भोपाल दिनांक 2 मई 2023 अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था का पुनर्गठन हेतु 1000 सदस्य एवं 3.00 करोड़ के ऋण व्यवसाय की पूर्ति नहीं होने पर आगामी 03 वर्षों में पूर्ति करने तथा 10 कि.मी. की परिधि एवं 5000 हेक्टेयर कृषि भूमि की बाध्यता समाप्त की गई है. इसी परिपेक्ष्य में भोपाल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, भोपाल के पत्र क्रमांक-फिल्ड-69-2023-1066, भोपाल, दिनांक 30 जून 2023 से जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 26 जून 2023 के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार पुनर्गठन हेतु चिन्हांकित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, पिपालिया जहीरपीर चौपड़ा जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक एस.एच.आर.-1711, दिनांक 15 दिसम्बर 1959 के कार्यक्षेत्र अन्तर्गत ग्राम 15 में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सूखीसेवनिया जिला भोपाल के गठन की अनुशंसा की गई है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अनुकूल होने व सोसायटी के युक्तियुक्त प्रबंधन व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से निम्नांकित कॉलम 06 में वर्णित ग्रामों को सम्मिलित करते हुए नवीन सोसायटी का गठन किया जाना लोकहित में प्रथम दृष्टया युक्तियुक्त परिलक्षित हो रहा है:-

क्र	वर्तमान का समिति का नाम (प्रस्तावित संस्था)	समिति के अन्तर्गत ग्राम के नाम	ग्राम पंचायत का नाम	नवीन पैक्स का नाम (परिणामी संस्था)	नवीन पैक्स में सम्मिलित ग्राम के नाम	प्रस्तावित नवीन संस्था से सम्मिलित ग्राम की दूरी	ग्राम पंचायत के नाम	अनुमानित सदस्य संख्या	अनुमानित ऋण व्यवसाय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	पिपालिया	जहीरपीर	चौपड़ाकलां	चौपड़ाकलां					
2.		चौपड़ा	पिपालिया	जहीरपीर	पिपालिया				
3.		कल्याणपुर	कानासैया						
4.		सेवनिया	ओमकारा	अरेडी					
5.		कानासैया							
6.		अरेडी							
7.		सूखीसेवनिया	बरखेड़ी	अबदुल्ला	सूखीसेवनिया	3 कि.मी.	बरखेड़ी	अबदुल्ला 1559	5 करोड़
8.		डोव	बालमपुर		डोव		बालमपुर		
9.		बरखेड़ी	अबदुल्ला	अमोनी	बरखेड़ी	अबदुल्ला	अमोनी		
10.		बालमपुर	प्रेमपुरा		बालमपुर		प्रेमपुरा		
11.		देहरी	सूखीसेवनिया		देहरी		सूखीसेवनिया		
12.		रुसल्ली	चुगर	डोव	रुसल्ली	चुगर	डोव		
13.		अमोनी			अमोनी				
14.		गडमुरा			गडमुरा				
15.		प्रेमपुरा			प्रेमपुरा				

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) 16 (5) के अन्तर्गत अध्यापेक्षा जारी की थी कि इस अध्यापेक्षा जारी होने के एक माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथा स्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के सदस्य की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं. तदोपरांत मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की कार्यवाही की जावेगी. तदानुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-पंजीयन-1711, दिनांक 15 दिसम्बर 1959 से उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी.

संस्था की आमसभा दिनांक 25 फरवरी 2025 में संस्था के पुनर्गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा अध्यापेक्षा-पत्र दिनांक 13 जुलाई 2023 के अनुसार सहमति प्रदान कर दी गई है। चूंकि उक्त आमसभा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 सहपठित नियम 11 एवं कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र.-साख-विधि-2017-3159, भोपाल दिनांक 8 सितम्बर 2017 के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु जारी परिपत्र अनुसार प्रारूप "अ" प्रारूप "ब" एवं प्रारूप "स" में प्रस्तावित समिति के पुनर्गठन हेतु जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः इस अध्यापेक्षा-पत्र के माध्यम से पुन अवसर प्रदान किया जा रहा है।

उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में मैं, आर.एस. विश्वकर्मा उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-1999 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अन्तर्गत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा-पत्र दिनांक 13 जुलाई 2023 के संबंध में संस्था की आमसभा दिनांक 25 फरवरी 2025 में दी गई आपकी सहमति के तारतम्य में पुनः अवसर प्रदान करता हूँ कि आप इस अध्यापेक्षा जारी होने के 15 दिवस के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जायें अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें। निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रभावित/परिणामी संस्था के सदस्य बने रहने/बनने हेतु सहमत हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी।

यह अध्यापेक्षा आज दिनांक 8 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है।

(G-2328)

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2025

अध्यापेक्षा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (5) के अंतर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित,

परबलिया सड़क, जिला भोपाल.

द्वारा:- प्रशासन/प्रबंधक

विषय:- संस्था के पुनर्गठन के संबंध में जारी अध्यापेक्षा-पत्र पंजीयन-2025-1910, भोपाल दिनांक 13 जुलाई 2023 के संबंध में कार्यवाही बावत्.

संदर्भ:- आमसभा दिनांक 3 मार्च 2025 में पारित निर्णय क्र.-01

क्र.-पंजी.-2025-873.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहां पैक्स के मुख्यालय न हो वहां नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था का पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला भोपाल से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 26 जून 2023 द्वारा नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के गठन हेतु चिन्हांकन किया गया था।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-1265-2023, भोपाल दिनांक 2 मई 2023 अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था का पुनर्गठन हेतु 1000 सदस्य एवं 3.00 करोड़ के ऋण व्यवसाय की पूर्ति नहीं होने पर आगामी 03 वर्षों में पूर्ति करने तथा 10 कि.मी. की परिधि एवं 5000 हेक्टेयर कृषि भूमि की बाध्यता समाप्त की गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में भोपाल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, भोपाल के पत्र क्रमांक-फिल्ड-69-2023-1066, भोपाल, दिनांक 30 जून 2023 से जिला स्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 26 जून 2023 के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार पुनर्गठन हेतु चिन्हांकित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, परबलिया सड़क जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक-एस.एच.आर.-299, दिनांक 31 अगस्त 1964 के कार्यक्षेत्र अन्तर्गत ग्राम 22 में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, तारासेवनिया, जिला भोपाल के गठन की अनुशंसा की गई है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अनुकूल होने व सोसायटी के युक्तियुक्त प्रबंधन व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से निम्नांकित कॉलम 06 में वर्णित ग्रामों को सम्मिलित करते हुए नवीन सोसायटी का गठन किया जाना लोकहित में प्रथमदृष्टया युक्तियुक्त परिलक्षित हो रहा है।

क्र	वर्तमान का समिति का नाम (प्रस्तावित संस्था)	समिति के अन्तर्गत ग्राम के नाम	ग्राम पंचायत का नाम	नवीन पैक्स का नाम (परिणामी संस्था)	नवीन पैक्स में सम्मिलित ग्राम के नाम	प्रस्तावित संस्था से ग्राम की दूरी	ग्राम पंचायत के सम्मिलित नाम	अनुमानित सदस्य संख्या	अनुमानित ऋण ध्यवसाय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	परबलिया सड़क	परबलिया सड़क	परबलिया सड़क						
2.		शाहपुर	पुराछिन्द्वारा						
3.		रातीबड़	मुंगालिया हाट						
4.		शेखपुरा	झिरनिया						
5.		मुगालिया हाट	मुबारक पुर						
6.		झिरनिया	चंदुखेड़ी						
7.		दौलतपुर	ठीकरिया	रसूलिया पठार					
8.		बदरखा सड़क							
9.		चंदुखेड़ी							
10.		कलांखेड़ी							
11.		नीलबड़							
12.		मोगरा							
13.		रसूलिया पठार							
14.		तारासेवनिया	तारासेवनिया	तारासेवनिया	तारासेवनिया	4 कि.मी.	तारासेवनिया	716	3.35 करोड़
15.		पिपलिया छपरबंद	मनीखेड़ी			पिपलिया छपरबंद			
16.		पृथ्वीपुरा	बगोनिया		पृथ्वीपुरा		बगोनिया		
17.		जोगीबरी			जोगीबरी		पुराछिन्द्वारा		
18.		गुराडिया			गुराडिया		गुराडिया		
19.		बगोनिया			बगोनिया				
20.		झापडिया			झापडिया				
21.		पुराछिन्द्वारा			पुराछिन्द्वारा				
22.		मनीखेड़ी							

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) 16 (5) के अन्तर्गत अध्यापेक्षा जारी की थी कि इस अध्यापेक्षा जारी होने के एक माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथा स्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के सदस्य की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं. तदोपरान्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की कार्यवाही की जावेगी. तदनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-पंजीयन-299, दिनांक 31 अगस्त 1964 से उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी.

संस्था की आमसभा दिनांक 25 फरवरी 2025 में संस्था के पुनर्गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है. जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा अध्यापेक्षा-पत्र दिनांक 13 जुलाई 2023 के अनुसार सहमति प्रदान कर दी गई है. चूंकि उक्त आमसभा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 सहपठित नियम 11 एवं कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र.-साख-विधि-2017-3159, भोपाल दिनांक 8 सितम्बर 2017 के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु जारी परिपत्र अनुसार प्रारूप "अ" प्रारूप "ब" एवं प्रारूप "स" में प्रस्तावित समिति के पुनर्गठन हेतु जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. अतः इस अध्यापेक्षा-पत्र के माध्यम से पुन अवसर प्रदान किया जा रहा है.

उपरोक्त कड़िका में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में मैं, आर.एस. विश्वकर्मा उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-1999 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अन्तर्गत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा-पत्र दिनांक 13 जुलाई 2023 के संबंध में संस्था की आमसभा दिनांक 25 फरवरी 2025 में दी गई आपकी सहमति के तारतम्य में पुनः अवसर प्रदान करता हूँ कि आप इस अध्यापेक्षा जारी होने के 15 दिवस के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जायें अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रभावित/परिणामी संस्था के सदस्य बने रहने/बनने हेतु सहमत हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी.

यह अध्यापेक्षा आज दिनांक 8 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-2329)

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2025

## अध्यापेक्षा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (5) के अंतर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित,  
सोहाया जिला भोपाल.

द्वारा:- प्रशासक/प्रबंधक

विषय:- संस्था के पुनर्गठन के संबंध में जारी अध्यापेक्षा पत्र पंजीयन-2025-1910, भोपाल दिनांक 13 जुलाई 2023 के संबंध में कार्यवाही बावत्.

संदर्भ:- आमसभा दिनांक 27 फरवरी 2025 में पारित निर्णय क्र.-01

क्र.-पंजी-2025-878.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स के मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. उक्त परिपेक्ष्य में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था का पुनर्गठन हेतु कलेक्टर जिला भोपाल से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 26 जून 2023 द्वारा नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के गठन हेतु चिन्हांकन किया गया था.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-1265-2023. भोपाल दिनांक 2 मई 2023 अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था का पुनर्गठन हेतु 1000 सदस्य एवं 3.00 करोड़ के ऋण व्यवसाय की पूर्ति नहीं होने पर आगामी 03 वर्षों में पूर्ति करने तथा 10 कि.मी. की परिधि एवं 5000 हेक्टेयर कृषि भूमि की बाध्यता समाप्त की गई है. इसी परिपेक्ष्य में भोपाल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, भोपाल के पत्र क्रमांक-फिल्ड-69-2023-1066, भोपाल, दिनांक 30 जून 2023 से जिला स्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 26 जून 2023 के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार पुनर्गठन हेतु चिन्हांकित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सोहाया जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक एस.एच.आर.-1574, दिनांक 17 जनवरी 1958 के कार्यक्षेत्र अन्तर्गत ग्राम 15 में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, जमुसरकला जिला भोपाल के गठन की अनुशंसा की गई है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अनुकूल होने व सोसायटी के युक्तियुक्त प्रबंधन व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से निम्नांकित कॉलम 06 में वर्णित ग्रामों को सम्मिलित करते हुए नवीन सोसायटी का गठन किया जाना लोकहित में प्रथम दृष्टया युक्तियुक्त परिलक्षित हो रहा है.

क्र	वर्तमान का समिति का नाम (प्रस्तावित संस्था)	समिति के अन्तर्गत ग्राम के नाम	ग्राम पंचायत का नाम	नवीन पैक्स का नाम (परिणामी संस्था)	नवीन पैक्स में सम्मिलित ग्राम के नाम	प्रस्तावित नवीन संस्था सं सम्मिलित ग्राम की दूरी	ग्राम पंचायत के नाम	अनुमानित सदस्य संख्या	अनुमानित ऋण व्यवसाय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	सोहाया	सोहाया	सोहाया						
2.		परसौरिया	परसौरिया						
3.		बराई	बराई						
4.		दोहाया	दोहाया						
5.		मानपुरा	दोहाया						
6.		हिनातीया पिरान	हिनातीया पिरान						
7.		जमुसरखुर्द	जमुसरखुर्द	जमुसरकला	जमुसरखुर्द	4 कि.मी.	जमुसरखुर्द	840	414.96 करोड़
8.		जमुसरकला	जमुसरकला		जमुसरकला		जमुसरकला		
9.		खोजडा मिश्र	जमुसरखुर्द		खोजडा मिश्र		जमुसरखुर्द		
10.		तरावली खुर्द	तरावली खुर्द		तरावली खुर्द		तरावली खुर्द		
11.		इन्दरपुरा	तरावली खुर्द		इन्दरपुरा		तरावली खुर्द		
12.		मुडला चट्टान	तरावली खुर्द		मुडला चट्टान		तरावली खुर्द		
13.		हिनातीया घाट	दोहाया		हिनातीया घाट		दोहाया		
14.		लालूखोडी	जमुसरखुर्द		लालूखोडी		जमुसरखुर्द		
15.		भूरीपठार	जमुसर खुर्द		भूरीपठार		जमुसर खुर्द		

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) 16 (5) के अन्तर्गत अध्यापेक्षा जारी की थी कि इस अध्यापेक्षा जारी होने के एक माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथा स्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के सदस्य की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत है. तदोपरांत मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की कार्यवाही की जावेगी. तदनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-पंजीयन-1574, दिनांक 17 जनवरी 1958 से उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी.

संस्था की आमसभा दिनांक 27 फरवरी 2025 में संस्था के पुनर्गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 13 जुलाई 2023 के अनुसार सहमति प्रदान कर दी गई है। चूंकि उक्त आमसभा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 सहपठित नियम 11 एवं कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र-साख-विधि-2017-3159, भोपाल दिनांक 8 सितम्बर 2017 के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु जारी परिपत्र अनुसार प्रारूप "अ" प्रारूप "ब" एवं प्रारूप "स" में प्रस्तावित समिति के पुनर्गठन हेतु जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः इस अध्यापेक्षा पत्र के माध्यम से पुनः अवसर प्रदान किया जा रहा है।

उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में मैं, आर.एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-1999 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अन्तर्गत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 13 जुलाई 2023 के संबंध में संस्था की आमसभा दिनांक 27 फरवरी 2025 में दी गई आपकी सहमति के तारतम्य में पुनः अवसर प्रदान करता हूँ कि आप इस अध्यापेक्षा जारी होने के 15 दिवस के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें। निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रभावित/परिणामी संस्था के सदस्य बने रहने/ बनने हेतु सहमत है तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी।

यह अध्यापेक्षा आज दिनांक 8 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है।

((G-2330))

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2025

अध्यापेक्षा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (5) के अंतर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित,

ललरिया जिला भोपाल.

द्वारा:- प्रशासक/प्रबंधक

विषय:- संस्था के पुनर्गठन के संबंध में जारी अध्यापेक्षा पत्र पंजीयन-2025-1910, भोपाल दिनांक 13 जुलाई 2023 के संबंध में कार्यवाही बावत्.

संदर्भ:- आमसभा दिनांक 27 फरवरी 2025 में पारित निर्णय क्र.-01

क्र.-पंजी-2025-877.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स के मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था का पुनर्गठन हेतु कलेक्टर जिला भोपाल से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 26 जून 2023 द्वारा नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के गठन हेतु चिन्हांकन किया गया था।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-1265-2023. भोपाल दिनांक 2 मई 2023 अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था का पुनर्गठन हेतु 1000 सदस्य एवं 3.00 करोड़ के ऋण व्यवसाय की पूर्ति नहीं होने पर आगामी 03 वर्षों में पूर्ति करने तथा 10 कि.मी. की परिधि एवं 5000 हेक्टेयर कृषि भूमि की बाध्यता समाप्त की गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में भोपाल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, भोपाल के पत्र क्रमांक-फिल्ड-69-2023-1066, भोपाल, दिनांक 30 जून 2023 से जिला स्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 26 जून 2023 के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार पुनर्गठन हेतु चिन्हांकित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, ललरिया जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक एस.एच.आर.-1526, दिनांक 18 जनवरी 1957 के कार्यक्षेत्र अन्तर्गत ग्राम 14 में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, दामखेड़ा जिला भोपाल के गठन की अनुशंसा की गई है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अनुकूल होने व सोसायटी के युक्तियुक्त प्रबंधन व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से निम्नांकित कॉलम 06 में वर्णित ग्रामों को सम्मिलित करते हुए नवीन सोसायटी का गठन किया जाना लोकहित में प्रथम दृष्टया युक्तियुक्त परिलक्षित हो रहा है।

क्र	वर्तमान का समिति का नाम (प्रस्तावित संस्था)	समिति के अन्तर्गत ग्राम के नाम	ग्राम पंचायत का नाम	नवीन पैक्स का नाम (परिणामी संस्था)	नवीन पैक्स में सम्मिलित ग्राम के नाम	प्रस्तावित नवीन संस्था से ग्राम की दूरी	ग्राम पंचायत के सम्मिलित नाम	अनुमानित सदस्य संख्या	अनुमानित ऋण व्यवसाय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	ललरिया	ललरिया	ललरिया						
2.		नरेला	दामादार	नरेला	दामादार				
3.		हमीदखेडी	बरखेडा	याकूब					
4.		चंदनखेडी	ललरिया						
5.		लतीपुर	झिकरिया						
6.		छपरयाई	झिकरिया						
7.		झिकरिया	झिकरिया						
8.		इमलिया नरेन्द्र	इमलिया नरेन्द्र	दामखेडा	इमलिया नरेन्द्र	6 कि.मी.	इमलिया नरेन्द्र	693	329.11 करोड़
9.		खोजडा कमला	झिकरिया		खोजडा कमला		झिकरिया		
10.		दामखेड़	दामखेड़		दामखेड़		दामखेड़		
11.		लंगरपुर	लंगरपुर		लंगरपुर		लंगरपुर		
12.		विनेका	लंगरपुर		विनेका		लंगरपुर		
13.		डंगरोली	लंगरपुर		डंगरोली		लंगरपुर		
14.		चारपहड़ी	लंगरपुर		चारपहड़ी		लंगरपुर		

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) 16 (5) के अन्तर्गत अध्यापेक्षा जारी की थी कि इस अध्यापेक्षा जारी होने के एक माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथा स्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के सदस्य की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं. तदोपरान्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की कार्यवाही की जावेगी. तदानुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-पंजीयन-1526, दिनांक 18 जनवरी 1957 से उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी.

संस्था की आमसभा दिनांक 27 फरवरी 2025 में संस्था के पुनर्गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है. जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 13 जुलाई 2023 के अनुसार सहमति प्रदान कर दी गई है. चूंकि उक्त आमसभा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 सहपठित नियम 11 एवं कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र-साख-विधि-2017-3159, भोपाल दिनांक 8 सितम्बर 2017 के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु जारी परिपत्र अनुसार प्रारूप "अ" प्रारूप "ब" एवं प्रारूप "स" में प्रस्तावित समिति के पुनर्गठन हेतु जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. अतः इस अध्यापेक्षा पत्र के माध्यम से पुनः अवसर प्रदान किया जा रहा है.

उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में मैं, आर.एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-1999 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अन्तर्गत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 13 जुलाई 2023 के संबंध में संस्था की आमसभा दिनांक 27 फरवरी 2025 में दी गई आपकी सहमति के तारतम्य में पुनः अवसर प्रदान करता हूँ कि आप इस अध्यापेक्षा जारी होने के 15 दिवस के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रभावित/परिणामी संस्था के सदस्य बने रहने/बनने हेतु सहमत हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी.

यह अध्यापेक्षा आज दिनांक 8 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-2331)

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2025

## अध्यापेक्षा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (5) के अंतर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित,

पिपलखेड़ी जिला भोपाल.

द्वारा:— प्रशासक/प्रबंधक

विषय:— संस्था के पुनर्गठन के संबंध में जारी अध्यापेक्षा पत्र पंजीयन-2025-1910, भोपाल दिनांक 13 जुलाई 2023 के संबंध में कार्यवाही बावत्.

संदर्भ:— आमसभा दिनांक 27 फरवरी 2025 में पारित निर्णय क्र.-01

क्र.-पंजी-2025-879.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स के मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. उक्त परिपेक्ष्य में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था का पुनर्गठन हेतु कलेक्टर जिला भोपाल से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 26 जून 2023 द्वारा नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के गठन हेतु चिन्हांकन किया गया था.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-1265-2023. भोपाल दिनांक 2 मई 2023 अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था का पुनर्गठन हेतु 1000 सदस्य एवं 3.00 करोड़ के ऋण व्यवसाय की पूर्ति नहीं होने पर आगामी 03 वर्षों में पूर्ति करने तथा 10 कि.मी. की परिधि एवं 5000 हेक्टेयर कृषि भूमि की बाध्यता समाप्त की गई है. इसी परिप्रेक्ष्य में भोपाल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, भोपाल के पत्र क्रमांक-फिल्ड-69-2023-1066, भोपाल, दिनांक 30 जून 2023 से जिला स्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 26 जून 2023 के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार पुनर्गठन हेतु चिन्हांकित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, पिपलखेड़ी जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक एस.एच.आर.-1611, दिनांक 20 अगस्त 1958 के कार्यक्षेत्र अन्तर्गत ग्राम 15 में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, अर्वावती जिला भोपाल के गठन की अनुशंसा की गई है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अनुकूल होने व सोसायटी के युक्तियुक्त प्रबंधन व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से निम्नांकित कॉलम 06 में वर्णित ग्रामों को सम्मिलित करते हुए नवीन सोसायटी का गठन किया जाना लोकहित में प्रथम दृष्टया युक्तियुक्त परिलक्षित हो रहा है.

क्र	वर्तमान का समिति का नाम (प्रस्तावित संस्था)	समिति के अन्तर्गत ग्राम के नाम	ग्राम पंचायत का नाम	नवीन पैक्स का नाम (परिणामी संस्था)	नवीन पैक्स में सम्मिलित ग्राम के नाम	प्रस्तावित नवीन संस्था से सम्मिलित ग्राम की दूरी	ग्राम पंचायत के नाम	अनुमानित सदस्य संख्या	अनुमानित ऋण व्यवसाय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	पिपलखेड़ी	बरखेड़ा बरामद	बरखेड़ा बरामद						
2.		बरोड़ी	बरोड़ी						
3.		सगोनी	गरेंटिया						
4.		गरेंटिया	गरेंटिया						
5.		चारपहाड़ी	बरखेड़ा बरामद						
6.		रोंजिया	रोंजिया	अर्वावती	रोंजिया	6.50 कि.मी.	रोंजिया	902	624.22 करोड़
7.		खेजडा	रोंजिया		रोंजिया		रोंजिया		
8.		पीपलखेड़ी	पीपलखेड़ी		पीपलखेड़ी		पीपलखेड़ी		
9.		अर्वावती	अर्वावती		अर्वावती		अर्वावती		
10.		खूजाखेड़ी	पीपलखेड़ी		पीपलखेड़ी		पीपलखेड़ी		
11.		दरबाजी	पीपलखेड़ी		पीपलखेड़ी		पीपलखेड़ी		
12.		सपौआ	सेमराकलां		सेमराकलां		सेमराकलां		
13.		झिकडिया	सेमराकलां		सेमराकलां		सेमराकलां		
14.		चटौआ	अर्वावती		अर्वावती		अर्वावती		
15.		सेमराकलां	सेमराकलां		सेमराकलां		सेमराकलां		

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) 16 (5) के अन्तर्गत अध्यापेक्षा जारी की थी कि इस अध्यापेक्षा जारी होने के एक माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथा स्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के सदस्य की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत है. तदोपरांत मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की कार्यवाही की जावेगी. तदनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-पंजीयन-1651, दिनांक 20 अगस्त 1958 से उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी.

संस्था की आमसभा दिनांक 27 फरवरी 2025 में संस्था के पुनर्गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है. जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 13 जुलाई 2023 के अनुसार सहमति प्रदान कर दी गई है. चूंकि उक्त आमसभा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 सहपठित नियम 11 एवं कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र-साख-विधि-2017-3159, भोपाल दिनांक 8 सितम्बर 2017 के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु जारी परिपत्र अनुसार प्रारूप "अ" प्रारूप "ब" एवं प्रारूप "स" में प्रस्तावित समिति के पुनर्गठन हेतु जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. अतः इस अध्यापेक्षा पत्र के माध्यम से पुनः अवसर प्रदान किया जा रहा है.

उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में मैं, आर.एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-1999 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अन्तर्गत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 13 जुलाई 2023 के संबंध में संस्था की आमसभा दिनांक 27 फरवरी 2025 में दी गई आपकी सहमति के तारतम्य में पुनः अवसर प्रदान करता हूँ कि आप इस अध्यापेक्षा जारी होने के 15 दिवस के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रभावित/परिणामी संस्था के सदस्य बने रहने/बनने हेतु सहमत है तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी.

यह अध्यापेक्षा आज दिनांक 8 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-2332)

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2025

अध्यापेक्षा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (5) के अंतर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित,

बबचिया जिला भोपाल.

द्वारा:- प्रशासक/प्रबंधक

विषय:- संस्था के पुनर्गठन के संबंध में जारी अध्यापेक्षा पत्र पंजीयन-2025-1910, भोपाल दिनांक 13 जुलाई 2023 के संबंध में कार्यवाही बावत्.

संदर्भ:- आमसभा दिनांक 27 फरवरी 2025 में पारित निर्णय क्र.-01

क्र.-पंजी-2025-880.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स के मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. उक्त परिपेक्ष्य में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था का पुनर्गठन हेतु कलेक्टर जिला भोपाल से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 26 जून 2023 द्वारा नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के गठन हेतु चिन्हांकन किया गया था.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-1265-2023. भोपाल दिनांक 2 मई 2023 अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था का पुनर्गठन हेतु 1000 सदस्य एवं 3.00 करोड़ के ऋण व्यवसाय की पूर्ति नहीं होने पर आगामी 03 वर्षों में पूर्ति करने तथा 10 कि.मी. की परिधि एवं 5000 हेक्टेयर कृषि भूमि की बाध्यता समाप्त की गई है. इसी परिप्रेक्ष्य में भोपाल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, भोपाल के पत्र क्रमांक-फिल्ड-69-2023-1066, भोपाल, दिनांक 30 जून 2023 से जिला स्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 26 जून 2023 के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार पुनर्गठन हेतु चिन्हांकित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बबचिया जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक एस.एच.आर.-63, दिनांक 24 अप्रैल 1960 के कार्यक्षेत्र अन्तर्गत ग्राम 16 में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, धतुरिया जिला भोपाल के गठन की अनुशंसा की गई है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अनुकूल होने व सोसायटी के युक्तियुक्त प्रबंधन व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से निम्नांकित कॉलम 06 में वर्णित ग्रामों को सम्मिलित करते हुए नवीन सोसायटी का गठन किया जाना लोकहित में प्रथम दृष्टया युक्तियुक्त परिलक्षित हो रहा है.

क्र	वर्तमान का समिति का नाम (प्रस्तावित संस्था)	समिति के अन्तर्गत ग्राम के नाम	ग्राम पंचायत का नाम	नवीन पैक्स का नाम (परिणामी संस्था)	नवीन पैक्स में सम्मिलित ग्राम के नाम	प्रस्तावित नवीन संस्था से सम्मिलित ग्राम की दूरी	ग्राम पंचायत के नाम	अनुमानित सदस्य संख्या	अनुमानित ऋण व्यवसाय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	बबचिया	बबचिया	बबचिया						
2.		मूडलाचन्द	मूडलाचन्द						
3.		खाजूरीकलां	मूडलाचन्द						
4.		खोजडाघाट	अर्जुनखोडी						
5.		उमरीया	चन्दनखोडी						
6.		लहारपुर	मूडलाचन्द						
7.		बरखोडायकूब	बरखोडायकूब						
8.		धतुरिया	धतुरिया	धतुरिया	धतुरिया	7 कि.मी.	धतुरिया	822	437.33 करोड़
9.		विछनई	धतुरिया		विछनई		धतुरिया		
10.		खाईखोडा	धतुरिया		खाईखोडा		धतुरिया		
11.		दोज्याई	धतुरिया		दोज्याई		धतुरिया		
12.		खोजडा परिहार	हिगोनी		खोजडा परिहार		हिगोनी		
13.		अर्जुनखोडी	अर्जुनखोडी		अर्जुनखोडी		अर्जुनखोडी		
14.		रानीखाजूरी	रानीखाजूरी		रानीखाजूरी		रानीखाजूरी		
15.		पुराखाना	रानीखाजूरी		पुराखाना		रानीखाजूरी		
16.		हिगोनी	हिगोनी		हिगोनी		हिगोनी		

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) 16 (5) के अन्तर्गत अध्यापेक्षा जारी की थी कि इस अध्यापेक्षा जारी होने के एक माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथा स्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के सदस्य की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं. तदोपरांत मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की कार्यवाही की जावेगी. तदनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-पंजीयन-63, दिनांक 24 अप्रैल 1960 से उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी.

संस्था की आमसभा दिनांक 27 फरवरी 2025 में संस्था के पुनर्गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है. जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 13 जुलाई 2023 के अनुसार सहमति प्रदान कर दी गई है. चूंकि उक्त आमसभा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 सहपठित नियम 11 एवं कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र-साख-विधि-2017-3159, भोपाल दिनांक 8 सितम्बर 2017 के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु जारी परिपत्र अनुसार प्रारूप "अ" प्रारूप "ब" एवं प्रारूप "स" में प्रस्तावित समिति के पुनर्गठन हेतु जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. अतः इस अध्यापेक्षा पत्र के माध्यम से पुन अवसर प्रदान किया जा रहा है.

उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में मैं, आर.एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-1999 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अन्तर्गत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 13 जुलाई 2023 के संबंध में संस्था की आमसभा दिनांक 27 फरवरी 2025 में दी गई आपकी सहमति के तारतम्य में पुनः अवसर प्रदान करता हूँ कि आप इस अध्यापेक्षा जारी होने के 15 दिवस के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रभावित/परिणामी संस्था के सदस्य बने रहने/बनने हेतु सहमत हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी.

यह अध्यापेक्षा आज दिनांक 8 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-2333)

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2025

## अध्यापेक्षा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (5) के अंतर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित,

डुंगरिया, जिला भोपाल.

द्वारा:- प्रशासक/प्रबंधक

विषय:- संस्था के पुनर्गठन के संबंध में जारी अध्यापेक्षा-पत्र पंजीयन-2025-1910, भोपाल दिनांक 13 जुलाई 2023 के संबंध में कार्यवाही बावत्.

संदर्भ:- आमसभा दिनांक 27 फरवरी 2025 में पारित निर्णय क्र.-01

क्र.-पंजी-2025-881.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स के मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. उक्त परिप्रेक्ष्य में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था का पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला भोपाल से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 26 जून 2023 द्वारा नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के गठन हेतु चिन्हांकन किया गया था.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-1265-2023. भोपाल दिनांक 2 मई 2023 अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था का पुनर्गठन हेतु 1000 सद्रस्य एवं 3.00 करोड़ के ऋण व्यवसाय की पूर्ति नहीं होने पर आगामी 03 वर्षों में पूर्ति करने तथा 10 कि.मी. की परिधि एवं 5000 हेक्टेयर कृषि भूमि की बाध्यता समाप्त की गई है. इसी परिप्रेक्ष्य में भोपाल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, भोपाल के पत्र क्रमांक-फिल्ड-69-2023-1066, भोपाल, दिनांक 30 जून 2023 से जिला स्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 26 जून 2023 के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार पुनर्गठन हेतु चिन्हांकित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, डुंगरिया, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक एस.एच.आर.-63, दिनांक 24 अप्रैल 1960 के कार्यक्षेत्र अन्तर्गत ग्राम 13 में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, मेंगराकलां, जिला भोपाल के गठन की अनुशंसा की गई है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अनुकूल होने व सोसायटी के युक्तियुक्त प्रबंधन व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से निम्नांकित कॉलम 06 में वर्णित ग्रामों को सम्मिलित करते हुए नवीन सोसायटी का गठन किया जाना लोकहित में प्रथम दृष्टया युक्तियुक्त परिलक्षित हो रहा है.

क्र	वर्तमान का संघिता का नाम (प्रस्तावित संस्था)	संघिता के अन्तर्गत ग्राम के नाम	ग्राम पंचायत का नाम	नवीन पैक्स का नाम (परिणामी संस्था)	नवीन पैक्स में सम्मिलित ग्राम के नाम	प्रस्तावित संस्था से सम्मिलित ग्राम की दूरी	ग्राम पंचायत के नाम	अनुमानित सदस्य संख्या	अनुमानित ऋण व्यवसाय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	डुंगरिया	डुंगरिया	डुंगरिया						
2.		परवरिया	बैरागढ़						
3.		बरेलाखेडा	बैरागढ़						
4.		बैरागढ़	बैरागढ़						
5.		मनखयाई	मनखयाई						
6.		अराईराय	बराई						
7.		कुल्होर	कुल्होर						
8.		गरटिया	मनखयाई						
9.		बरी छीरखेडा	बरी छीरखेडा	मेंगराकलां	बरी छीरखेडा	5 कि.मी.	बरी छीरखेडा	528	322.53 करोड़
10.		भौरासा	बरी छीरखेडा		भौरासा		बरी छीरखेडा		
11.		मेंगरा कलां	मेंगरा कलां						
12.		करारिया	करारिया		मेंगरा कलां		मेंगरा कलां		
13.		सेमरीखुर्द	करारिया		करारिया		करारिया		

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) 16 (5) के अन्तर्गत अध्यापेक्षा जारी की थी कि इस अध्यापेक्षा जारी होने के एक माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथा स्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के सदस्य की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं. तदनुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की कार्यवाही की जावेगी. तदनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-पंजीयन-63, दिनांक 24 अप्रैल 1960 से उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी.

संस्था की आमसभा दिनांक 27 फरवरी 2025 में संस्था के पुनर्गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा अध्यापेक्षा-पत्र दिनांक 13 जुलाई 2023 के अनुसार सहमति प्रदान कर दी गई है। चूंकि उक्त आमसभा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 सहपठित नियम 11 एवं कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र.-साख-विधि-2017-3159, भोपाल दिनांक 8 सितम्बर 2017 के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु जारी परिपत्र अनुसार प्रारूप "अ" प्रारूप "ब" एवं प्रारूप "स" में प्रस्तावित समिति के पुनर्गठन हेतु जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः इस अध्यापेक्षा-पत्र के माध्यम से पुनः अवसर प्रदान किया जा रहा है।

उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में मैं, आर.एस. विश्वकर्मा उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-1999 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अन्तर्गत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा-पत्र दिनांक 13 जुलाई 2023 के संबंध में संस्था की आमसभा दिनांक 27 फरवरी 2025 में दी गई आपकी सहमति के तारतम्य में पुनः अवसर प्रदान करता हूँ कि आप इस अध्यापेक्षा जारी होने के 15 दिवस के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जायें अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें। निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रभावित/परिणामी संस्था के सदस्य बने रहने/ बनने हेतु सहमत हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी।

यह अध्यापेक्षा आज दिनांक 8 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है।

(G-2334)

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2025

अध्यापेक्षा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (5) के अंतर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित,

ललोई, जिला भोपाल.

द्वारा:- प्रशासन/प्रबंधक

विषय:- संस्था के पुनर्गठन के संबंध में जारी अध्यापेक्षा-पत्र पंजीयन-2025-1910, भोपाल दिनांक 13 जुलाई 2023 के संबंध में कार्यवाही बावत्.

संदर्भ:- आमसभा दिनांक 27 फरवरी 2025 में पारित निर्णय क्र.-01

क्र.-पंजी-2025-882.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स के मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था का पुनर्गठन हेतु कलेक्टर जिला भोपाल से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 26 जून 2023 द्वारा नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के गठन हेतु चिन्हांकन किया गया था।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-1265-2023. भोपाल दिनांक 2 मई 2023 अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था का पुनर्गठन हेतु 1000 सदस्य एवं 3.00 करोड़ के ऋण व्यवसाय की पूर्ति नहीं होने पर आगामी 03 वर्षों में पूर्ति करने तथा 10 कि.मी. की परिधि एवं 5000 हेक्टेयर कृषि भूमि की बाध्यता समाप्त की गई है. इसी परिप्रेक्ष्य में भोपाल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, भोपाल के पत्र क्रमांक-फिल्ड-69-2023-1066, भोपाल, दिनांक 30 जून 2023 से जिला स्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 26 जून 2023 के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार पुनर्गठन हेतु चिन्हांकित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, ललाई, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक एस.एच.आर.-40, दिनांक 27 जनवरी 1960 के कार्यक्षेत्र अन्तर्गत ग्राम 21 में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रमपुरा, जिला भोपाल के गठन की अनुशंसा की गई है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अनुकूल होने व सोसायटी के युक्तियुक्त प्रबंधन व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से निम्नांकित कॉलम 06 में वर्णित ग्रामों को सम्मिलित करते हुए नवीन सोसायटी का गठन किया जाना लोकहित में प्रथमदृष्टया युक्तियुक्त परिलक्षित हो रहा है.

क्र.	वर्तमान का समिति का नाम (प्रस्तावित संस्था)	समिति के अन्तर्गत ग्राम के नाम	ग्राम पंचायत का नाम	नवीन पेंस का नाम (परिणामी संस्था)	नवीन पेंस में सम्मिलित ग्राम का नाम	प्रस्तावित नवीन संस्था से सम्मिलित ग्राम की दूरी	ग्राम पंचायत के नाम	अनुमानित सदस्य संख्या	अनुमानित ऋण व्यवसाय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	ललोई	ललोई	ललोई						
2.		बरेलाखोडा	दौलतपुरा						
3.		दौलतपुरा	दौलतपुरा						
4.		चपडिया	खुकरिया						
5.		रमगढा	रमगढा						
6.		रीछई	कडैय्या चंवर						
7.		गोजापुरा	रमगढा						
8.		गगापुरा	दौलतपुरा						
9.		कडैय्या चंवर	कडैय्या चंवर						
10.		कडैय्या खो	कडैय्या चंवर						
11.		करनपुरा	दौलतपुरा	रमपुरा	करनपुरा	9 कि.मी.	दौलतपुरा	863	5.73 करोड़
12.		झिरनिया काकड़	दौलतपुरा		झिरनिया काकड़		कचनारिया		
13.		कचनारिया	कचनारिया		कचनारिया		रमपुरा		
14.		रमपुरा	रमपुरा		रमपुरा		रमपुरा		
15.		बालाचौन	रमपुरा		रमपुरा		रमपुरा		
16.		बाबडीखार	रमपुरा		बालाचौन		रमपुरा		
17.		अजबपुरा	दौलतपुरा		बाबडीखार		दौलतपुरा		
18.		मोतियाखोडा	कडैय्या चंवर		अजबपुरा		कडैय्या चंवर		
19.		अगरा	दौलतपुरा		मोतियाखोडा		दौलतपुरा		
20.		गोडिया	कचनारिया		अगरा		कचनारिया		
21.		गंगापिपल्या	गंगापिपल्या		गोडिया		गंगापिपल्या		

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) 16 (5) के अन्तर्गत अध्यापेक्षा जारी की थी कि इस अध्यापेक्षा जारी होने के एक माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथा स्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के सदस्य की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत है. तदोपरांत मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की कार्यवाही की जावेगी. तदनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-पंजीयन-40, दिनांक 27 जनवरी 1960 से उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी.

संस्था की आमसभा दिनांक 27 फरवरी 2025 में संस्था के पुनर्गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है. जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा अध्यापेक्षा-पत्र दिनांक 13 जुलाई 2023 के अनुसार सहमति प्रदान कर दी गई है. चूंकि उक्त आमसभा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 सहपठित नियम 11 एवं कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र.-साख-विधि-2017-3159, भोपाल दिनांक 8 सितम्बर 2017 के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु जारी परिपत्र अनुसार प्रारूप "अ" प्रारूप "ब" एवं प्रारूप "स" में प्रस्तावित समिति के पुनर्गठन हेतु जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. अतः इस अध्यापेक्षा-पत्र के माध्यम से पुनः अवसर प्रदान किया जा रहा है.

उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में मैं, आर.एस. विश्वकर्मा उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-1999 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अन्तर्गत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा-पत्र दिनांक 13 जुलाई 2023 के संबंध में संस्था की आमसभा दिनांक 27 फरवरी 2025 में दी गई आपकी सहमति के तारतम्य में पुनः अवसर प्रदान करता हूँ कि आप इस अध्यापेक्षा जारी होने के 15 दिवस के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जायें अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रभावित/परिणामी संस्था के सदस्य बने रहने/बनने हेतु सहमत हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी.

यह अध्यापेक्षा आज दिनांक 8 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-2335)

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2025

## अध्यापेक्षा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (5) के अंतर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित,

कृषक बैरसिया, जिला भोपाल.

द्वारा:- प्रशासक/प्रबंधक

विषय:- संस्था के पुनर्गठन के संबंध में जारी अध्यापेक्षा-पत्र पंजीयन-2025-1910, भोपाल दिनांक 13 जुलाई 2023 के संबंध में कार्यवाही बावत्.

संदर्भ:- आमसभा दिनांक 27 फरवरी 2025 में पारित निर्णय क्र.-01

क्र.-पंजी-2025-883.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स के मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. उक्त परिप्रेक्ष्य में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था का पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला भोपाल से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 26 जून 2023 द्वारा नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के गठन हेतु चिन्हांकन किया गया था.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-1265-2023. भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था का पुनर्गठन हेतु 1000 सदस्य एवं 3.00 करोड़ के ऋण व्यवसाय की पूर्ति नहीं होने पर आगामी 03 वर्षों में पूर्ति करने तथा 10 कि.मी. की परिधि एवं 5000 हेक्टेयर कृषि भूमि की बाध्यता समाप्त की गई है. इसी परिप्रेक्ष्य में भोपाल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, भोपाल के पत्र क्रमांक-फिल्ड-69-2023-1066, भोपाल, दिनांक 30 जून 2023 से जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 26 जून 2023 के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार पुनर्गठन हेतु चिन्हांकित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, कृषक बैरसिया जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक एस.एच.आर.-45, दिनांक 15 फरवरी 1960 के कार्यक्षेत्र अन्तर्गत ग्राम 44 में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, चाटाहेड़ी एवं तरावली, जिला भोपाल के गठन की अनुशंसा की गई है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अनुकूल होने व सोसायटी के युक्तियुक्त प्रबंधन व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से निम्नांकित कॉलम 06 में वर्णित ग्रामों को सम्मिलित करते हुए नवीन सोसायटी का गठन किया जाना लोकहित में प्रथमदृष्टया युक्तियुक्त परिलक्षित हो रहा है:-

क्र.	वर्तमान का समिति का नाम (प्रस्तावित संस्था)	समिति के अन्तर्गत ग्राम के नाम	ग्राम पंचायत का नाम	नवीन पैक्स का नाम (परिणामी संस्था)	नवीन पैक्स में सम्मिलित ग्राम के नाम	प्रस्तावित नवीन संस्था से सम्मिलित ग्राम की दूरी	ग्राम पंचायत के नाम	अनुमानित सदस्य संख्या	अनुमानित ऋण व्यवसाय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	कृषक बैरसिया	इबाहिमपुरा	नगरपालिका	चाटाहेड़ी	चाटाहेड़ी	7 कि.मी.	चाटाहेड़ी	946	5.08 करोड़
2.		बैरसिया	नगरपालिका		ढेकपुर		चाटखोडी		
3.		वसई	नगरपालिका		रमपुरा		कढ़ैयाशाह		
4.		मैरोपुरा	नगरपालिका		कढ़ैयाशाह		कढ़ैयाशाह		
5.		कीटखोडी	देवलखोडा		गंगाखोडी		चाटखोडी		
6.		बरखोडा मोजी	देवलखोडा		निदानपुर		निदानपुर		
7.		देवलखोडा	देवलखोडा		मोनपुरा		चाटाखोडी		
8.		इमलियास्वरूप	देवलखोडा		सलोई संगराज		चांदासलोई		
9.		टिकनखोडी	नगरपालिका		चांदासलोई		चांदासलोई		
10.		हबीबगंज	हबीबगंज		शाहपुर		गोडीपुरा		
11.		खजूरिया रामदास	खजूरिया रामदास		गोडीपुरा		गोडीपुरा		
12.		विरहश्याम खोडी	विरहश्याम खोडी		छितमास		छितमास		
13.		रहटई	विरहश्याम खोडी		जूनापानी		छितमास		
14.		नरैला	खजूरिया रामदास		बागापुरा		छितमास		
15.		नदगांव	खजूरिया रामदास		बोरपुरा		छितमास		
16.		बिरहई	विरहश्याम खोडी		पथरिया		छितमास		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
17.	हाजीपुरा	खजूरिया रामदास	तरावली		तरावली कला	9 कि.मी.	तरावली कलां	785	4.44 करोड़
18.		पिपिलियाहसनाबाद	पिपिलियाहसनाबाद		हिरनखोडी		हिरनखोडी		
19.		महुआखोडा	विरहरयाम खोडी		भैंसोदा		भैंसोदा		
20.		खोजडागोपी	पिपिलियाहसनाबाद		खुकरिया		खुकरिया		
21.		चाटखोडी	चाटखोडी		चाकखोडा		हिरनखोडी		
22.		ढेंकपुर	चाटखोडी		सोनकछ		सोनकछ		
23.		रमपुरा	कढैयाशाह		नलखोडा		नलखोडा		
24.		कढैयाशाह	कढैयाशाह		मदनई		नलखोडा		
25.		गंगाखोडी	चाटखोडी						
26.		निदानपुर	निदानपुर						
27.		मोनपुरा	चाटखोडी						
28.		सलोई संगराज	चांदासलोई						
29.		चांदासलोई	चांदासलोई						
30.		शाहपुर	गोडीपुरा						
31.		गोडीपुरा	गोडीपुरा						
32.		खितमास	खितमास						
33.		जूनापानी	खितमास						
34.		बागपुरा	खितमास						
35.		बोरपुरा	खितमास						
36.		पथारिया	खितमास						
37.		तरावली कलां	तरावली कलां						
38.		हिरनखोडी	हिरनखोडी						
39.		भैंसोदा	भैंसोदा						
40.		खुकरिया	खुकरिया						
41.		चाकखोडा	हिरनखोडी						
42.		सोनकछ	सोनकछ						
43.		नलखोडा	नलखोडा						
44.		मदनई	नलखोडा						

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) 16 (5) के अन्तर्गत अध्यापेक्षा जारी की थी कि इस अध्यापेक्षा जारी होने के एक माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथा स्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के सदस्य की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं. तदोपरांत मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की कार्यवाही की जावेगी. तदनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-पंजीयन-1917, दिनांक 13 जुलाई 2023 से उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी.

संस्था की आमसभा दिनांक 25 फरवरी 2025 में संस्था के पुनर्गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है. जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा अध्यापेक्षा-पत्र दिनांक 13 जुलाई 2023 के अनुसार सहमति प्रदान कर दी गई है. चूंकि उक्त आमसभा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 सहपठित नियम 11 एवं कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र.-साख-विधि-2017-3159, भोपाल दिनांक 8 सितम्बर 2017 के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु जारी परिपत्र अनुसार प्रारूप "अ" प्रारूप "ब" एवं प्रारूप "स" में प्रस्तावित समिति के पुनर्गठन हेतु जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. अतः इस अध्यापेक्षा-पत्र के माध्यम से पुनः अवसर प्रदान किया जा रहा है.

उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में मैं, आर.एस. विश्वकर्मा उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-1999 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अन्तर्गत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा-पत्र दिनांक 13 जुलाई 2023 के संबंध में संस्था की आमसभा दिनांक 25 फरवरी 2025 में दी गई आपकी सहमति के तारतम्य में पुनः अवसर प्रदान करता हूँ कि आप इस अध्यापेक्षा जारी होने के 15 दिवस के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रभावित/परिणामी संस्था के सदस्य बने रहने/बनने हेतु सहमत हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी.

यह अध्यापेक्षा आज दिनांक 8 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-2336)

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2025

## अध्यापेक्षा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (5) के अंतर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित,

दिल्लौद, जिला भोपाल.

द्वारा:- प्रशासक/प्रबंधक

विषय:- संस्था के पुनर्गठन के संबंध में जारी अध्यापेक्षा पत्र पंजीयन-2025-1910, भोपाल दिनांक 13 जुलाई 2023 के संबंध में कार्यवाही बावत्.

संदर्भ:- आमसभा दिनांक 27 फरवरी 2025 में पारित निर्णय क्र.-01

क्र.-पंजी-2025-884.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स के मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. उक्त परिप्रेक्ष्य में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था का पुनर्गठन हेतु कलेक्टर जिला भोपाल से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 26 जून 2023 द्वारा नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के गठन हेतु चिन्हांकन किया गया था.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-1265-2023. भोपाल दिनांक 2 मई 2023 अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था का पुनर्गठन हेतु 1000 सदस्य एवं 3.00 करोड़ के ऋण व्यवसाय की पूर्ति नहीं होने पर आगामी 03 वर्षों में पूर्ति करने तथा 10 कि.मी. की परिधि एवं 5000 हेक्टेयर कृषि भूमि की बाध्यता समाप्त की गई है. इसी परिप्रेक्ष्य में भोपाल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, भोपाल के पत्र क्रमांक-फिल्ड-69-2023-1066, भोपाल, दिनांक 30 जून 2023 से जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 26 जून 2023 के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार पुनर्गठन हेतु चिन्हांकित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, दिल्लौद, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक-एस.एच.आर.-1580, दिनांक 5 अगस्त 1957 के कार्यक्षेत्र अन्तर्गत ग्राम 17 में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, हर्राखेड़ा जिला भोपाल के गठन की अनुशंसा की गई है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अनुकूल होने व सोसायटी के युक्तियुक्त प्रबंधन व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से निम्नांकित कॉलम 06 में वर्णित ग्रामों को सम्मिलित करते हुए नवीन सोसायटी का गठन किया जाना लोकहित में प्रथमदृष्टया युक्तियुक्त परिलक्षित हो रहा है:-

क्र.	वर्तमान का समिति का नाम (प्रस्तावित संस्था)	समिति के अन्तर्गत ग्राम के नाम	ग्राम पंचायत का नाम	नवीन पैक्स का नाम (परिणामी संस्था)	नवीन पैक्स में सम्मिलित ग्राम के नाम	प्रस्तावित नवीन संस्था से ग्राम की दूरी	ग्राम पंचायत के सम्मिलित नाम	अनुमानित सदस्य संख्या	अनुमानित ऋण व्यवसाय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	दिल्लौद	हर्राखेड़ा	हर्राखेड़ा	हर्राखेड़ा	हर्राखेड़ा	2.8 कि.मी.	हर्राखेड़ा	1028	12.37 करोड़
2.		हिनोतीसड़क	हिनोतीसड़क		हिनोतीसड़क		हिनोतीसड़क		
3.		सेमरी	सेमरीकलां		सेमरी		सेमरीकलां		
4.		कोलूखेडी	सेमरीकलां		कोलूखेडी		सेमरीकलां		
5.		केशुखेडी	सेमरीकलां		केशुखेडी		सेमरीकलां		
6.		ऊटखेड़ा	ऊटखेड़ा		ऊटखेड़ा		ऊटखेड़ा		
7.		बगराज	ऊटखेड़ा		बगराज		ऊटखेड़ा		
8.		बरीं	बरीं		बरीं		बरीं		
9.		बुधोरकलां	बरीं		बुधोरकलां		बरीं		
10.		दिल्लौद	दिल्लौद						
11.		रुसल्ली	कादमपुर						
12.		कादमपुर	कादमपुर						
13.		इजगिरी	इजगिरी						
14.		रोड़िया	रोड़िया						
15.		जाफराबाद	रोड़िया						
16.		बरखेडी	रोड़िया						
17.		पीपलखेड़ा	पीपलखेड़ा						

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) 16 (5) के अन्तर्गत अध्यापेक्षा जारी की थी कि इस अध्यापेक्षा जारी होने के एक माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के सदस्य की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत है. तदोपरान्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की कार्यवाही की जावेगी. तदानुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-पंजीयन-1580, दिनांक 5 अगस्त 1957 से उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी.

संस्था की आमसभा दिनांक 27 फरवरी 2025 में संस्था के पुनर्गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है. जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा अध्यापेक्षा-पत्र दिनांक 13 जुलाई 2023 के अनुसार सहमति प्रदान कर दी गई है. चूंकि उक्त आमसभा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 सहपठित नियम 11 एवं कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र.-साख-विधि-2017-3159, भोपाल दिनांक 8 सितम्बर 2017 के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु जारी परिपत्र अनुसार प्रारूप "अ" प्रारूप "ब" एवं प्रारूप "स" में प्रस्तावित समिति के पुनर्गठन हेतु जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. अतः इस अध्यापेक्षा-पत्र के माध्यम से पुनः अवसर प्रदान किया जा रहा है.

उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में मैं, आर.एस. विश्वकर्मा उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-1999 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अन्तर्गत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा-पत्र दिनांक 13 जुलाई 2023 के संबंध में संस्था की आमसभा दिनांक 27 फरवरी 2025 में दी गई आपकी सहमति के तारतम्य में पुनः अवसर प्रदान करता हूँ कि आप इस अध्यापेक्षा जारी होने के 15 दिवस के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जायें अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रभावित/परिणामी संस्था के सदस्य बने रहने/बनने हेतु सहमत हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी.

यह अध्यापेक्षा आज दिनांक 8 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.  
(G-2337)

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2025

अध्यापेक्षा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (5) के अंतर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित,

गुनगा, जिला भोपाल.

द्वारा:- प्रशासक/प्रबंधक

विषय:- संस्था के पुनर्गठन के संबंध में जारी अध्यापेक्षा-पत्र पंजीयन-2025-1910, भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2023 के संबंध में कार्यवाही बावत्.

संदर्भ:- आमसभा दिनांक, 27 फरवरी 2025 में पारित निर्णय क्र.-01

क्र.-पंजी-2025-885.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स के मुख्यालय ने हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. उक्त परिप्रेक्ष्य में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था का पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला भोपाल से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 26 जून 2023 द्वारा नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के गठन हेतु चिन्हांकन किया गया था.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-1265-2023. भोपाल दिनांक 2 मई 2023 अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था का पुनर्गठन हेतु 1000 सदस्य एवं 3.00 करोड़ के ऋण व्यवसाय की पूर्ति नहीं होने पर आगामी 03 वर्षों में पूर्ति करने तथा 10 कि.मी. की परिधि एवं 5000 हेक्टेयर कृषि भूमि की बाध्यता समाप्त की गई है. इसी परिप्रेक्ष्य में भोपाल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, भोपाल के पत्र क्रमांक-फिल्ड-69-2023-1066, भोपाल, दिनांक 30 जून 2023 से जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 26 जून 2023 के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार पुनर्गठन हेतु चिन्हांकित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, गुनगा जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक एस.एच.आर.-112, दिनांक 28 सितम्बर 1960 के कार्यक्षेत्र अन्तर्गत ग्राम 11 में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, कुठकीपुरा जिला भोपाल के गठन की अनुशंसा की गई है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अनुकूल होने व सोसायटी के युक्तियुक्त प्रबंधन व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से निम्नांकित कॉलम 06 में वर्णित ग्रामों को सम्मिलित करते हुए नवीन सोसायटी का गठन किया जाना लोकहित में प्रथम दृष्टया युक्तियुक्त परिलक्षित हो रहा है:-

क्र.	वर्तमान का समिति का नाम (प्रस्तावित संस्था)	समिति के अन्तर्गत ग्राम के नाम	ग्राम पंचायत का नाम	नवीन बैंक्स का नाम (परिणामी संस्था)	नवीन बैंक्स में सम्मिलित ग्राम के नाम	प्रस्तावित नवीन संस्था से सम्मिलित नाम ग्राम की दूरी	ग्राम पंचायत के नाम	अनुमानित सदस्य संख्या	अनुमानित ऋण व्यवसाय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	गुनगा	गुनगा	गुनगा						
2.		चौचबड़ कदीम	जैतपुरा						
3.		नमीखोड़ी	नमीखोड़ी						
4.		करोंदिया	करोंदिया						
5.		खोड़ी	कुठकीपुरा						
6.		कुठकीपुरा	कुठकीपुरा	कुठकीपुरा	कुठकीपुरा	4.0 कि.मी.	कुठकीपुरा	637	5.58 करोड़
7.		नामदारपुरा	कुठकीपुरा		नामदारपुरा		कुठकीपुरा		
8.		उनीदा	उनीदा		उनीदा		उनीदा		
9.		भुंगियाई	उनीदा		भुंगियाई		उनीदा		
10.		कलारा	कलारा		कलारा		कलारा		
11.		जूनापानी	जूनापानी		जूनापानी		जूनापानी		

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) 16 (5) के अन्तर्गत अध्यापेक्षा जारी की थी कि इस अध्यापेक्षा जारी होने के एक माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथा स्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के सदस्य की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत है. तदोपरान्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की कार्यवाही की जावेगी. तदनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-पंजीयन-112, दिनांक 28 सितम्बर 1960 से उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी.

संस्था की आमसभा दिनांक 27 फरवरी 2025 में संस्था के पुनर्गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है. जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 13 जुलाई 2023 के अनुसार सहमति प्रदान कर दी गई है. चूंकि उक्त आमसभा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 सहपठित नियम 11 एवं कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र-साख-विधि-2017-3159, भोपाल दिनांक 8 सितम्बर 2017 के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु जारी परिपत्र अनुसार प्रारूप "अ" प्रारूप "ब" एवं प्रारूप "स" में प्रस्तावित समिति के पुनर्गठन हेतु जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. अतः इस अध्यापेक्षा पत्र के माध्यम से पुनः अवसर प्रदान किया जा रहा है.

उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में मैं, आर.एस. विश्वकर्मा उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-1999 पन्नाह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अन्तर्गत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 13 जुलाई 2023 के संबंध में संस्था की आमसभा दिनांक 27 फरवरी 2025 में की गई आपकी सहमति के तारतम्य में पुनः अवसर प्रदान करता हूँ कि आप इस अध्यापेक्षा जारी होने के 15 दिवस के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रभावित/परिणामी संस्था के सदस्य बने रहने/बनने हेतु सहमत है तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी.

यह अध्यापेक्षा आज दिनांक 8 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-2338)

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2025

## अध्यापेक्षा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (5) के अंतर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित,

बागसी, जिला भोपाल.

द्वारा:- प्रशासक/प्रबंधक

विषय:- संस्था के पुनर्गठन के संबंध में जारी अध्यापेक्षा-पत्र पंजीयन-2025-1910, भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2023 के संबंध में कार्यवाही बावत्.

संदर्भ:- आमसभा दिनांक 25 फरवरी 2025 में पारित निर्णय क्र.-01

क्र.-पंजी-2025-886.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में, भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स के मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. उक्त परिप्रेक्ष्य में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था का पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला भोपाल से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 26 जून 2023 द्वारा नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के गठन हेतु चिन्हांकन किया गया था.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-1265-2023. भोपाल दिनांक 2 मई 2023 अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था का पुनर्गठन हेतु 1000 सदस्य एवं 3.00 करोड़ के ऋण व्यवसाय की पूर्ति नहीं होने पर आगामी 03 वर्षों में पूर्ति करने तथा 10 कि.मी. की परिधि एवं 5000 हेक्टेयर कृषि भूमि की बाध्यता समाप्त की गई है. इसी परिप्रेक्ष्य में भोपाल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, भोपाल के पत्र क्रमांक-फिल्ड-69-2023-1066, भोपाल, दिनांक 30 जून 2023 से जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 26 जून 2023 के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार पुनर्गठन हेतु चिन्हांकित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बागसी, जिला भोपाल, जिसका पंजीयन क्रमांक एस.एच.आर.-179, दिनांक 11 अगस्त 1961 के कार्यक्षेत्र अन्तर्गत ग्राम 38 में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, रुनाहा एवं परसोरा, जिला भोपाल के गठन की अनुशंसा की गई है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अनुकूल होने व सोसायटी के युक्तियुक्त प्रबंधन व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से निम्नांकित कॉलम 06 में वर्णित ग्रामों को सम्मिलित करते हुए नवीन सोसायटी का गठन किया जाना लोकहित में प्रथमदृष्टया युक्तियुक्त परिलक्षित हो रहा है:-

क्र.	वर्तमान का समिति का नाम (प्रस्तावित संस्था)	समिति के अन्तर्गत ग्राम के नाम	ग्राम पंचायत का नाम	नवीन पैक्स का नाम (परिणामी संस्था)	नवीन पैक्स में सम्मिलित ग्राम के नाम	प्रस्तावित नवीन संस्था से सम्मिलित नाम ग्राम की दूरी	ग्राम पंचायत के सम्मिलित नाम	अनुमानित सदस्य संख्या	अनुमानित ऋण व्यवसाय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	बागसी	रुनाहा	रुनाहा	रुनाहा	रुनाहा	6 कि.मी.	रुनाहा	1390	8.51 करोड़
2.		आंकिया	आंकिया	आंकिया	आंकिया		आंकिया		
3.		भुजपुरा खुर्द		भुजपुरा खुर्द	भुजपुरा खुर्द				
4.		भकवाह		भकवाह	भकवाह				
5.		कडैयाखुर्द		कडैयाखुर्द	कडैयाखुर्द				
6.		मंगलगढ़	मंगलगढ़	मंगलगढ़	मंगलगढ़		मंगलगढ़		
7.		बड़ली		बड़ली	बड़ली				
8.		पाडली		पाडली	पाडली				
9.		कडैया ब्राम्हण		कडैया ब्राम्हण	कडैया ब्राम्हण				
10.		मनयारी		मनयारी	मनयारी				
11.		बांडीखेडी		बांडीखेडी	बांडीखेडी				
12.		बिजावन		बिजावन	बिजावन				
13.		सुमेर		सुमेर	सुमेर				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
14.		बागसी	बागसी						
15.		जाजनखेड़ी							
16.		कालापीपल							
17.		मनीखेड़ी	मनीखेड़ी						
18.		भाऊपुरा							
19.		लक्ष्मणपुरा							
20.		गोंदाखेड़ी							
21.		बिजावन खुर्द							
22.		मेंगरानवीन	मेंगरानवीन						
23.		पारासोन							
24.		धूतखेड़ी	धूतखेड़ी						
25.		झिरनिया	झिरनिया						
26.		छापरी							
27.		परसोरा	परसोरा	परसोरा	परसोरा	12 कि.मी.	परसोरा	1508	9.68 करोड़
28.		कोटरा	कोटरा		कोटरा		कोटरा		
29.		धनौरा			धनौरा				
30.		सेमरा भैरापुरा	सेमरा भैरापुरा		सेमरा भैरापुरा		सेमरा भैरापुरा		
31.		नेतापुरा			नेतापुरा				
32.		रामटेक			रामटेक				
33.		शुकला	शुकला		शुकला		शुकला		
34.		भमोरा			भमोरा				
35.		कोलूखेड़ी	कोलूखेड़ी		कोलूखेड़ी		कोलूखेड़ी		
36.		हिनातिया			हिनातिया				
37.		जगल्यापुरा			जगल्यापुरा				
38.		सुनगा	सुनगा		सुनगा		सुनगा		

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) 16 (5) के अन्तर्गत अध्यापेक्षा जारी की थी कि इस अध्यापेक्षा जारी होने के एक माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथा स्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के सदस्य की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं. तदोपरान्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की कार्यवाही की जावेगी. तदानुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-पंजीयन-179, दिनांक 11 अगस्त 1961 से उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी.

संस्था की आमसभा दिनांक 27 फरवरी 2025 में संस्था के पुनर्गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है. जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा अध्यापेक्षा-पत्र दिनांक 13 जुलाई 2023 के अनुसार सहमति प्रदान कर दी गई है. चूंकि उक्त आमसभा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 सहपठित नियम 11 एवं कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र.-साख-विधि-2017-3159, भोपाल दिनांक 8 सितम्बर 2017 के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु जारी परिपत्र अनुसार प्रारूप "अ" प्रारूप "ब" एवं प्रारूप "स" में प्रस्तावित समिति के पुनर्गठन हेतु जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. अतः इस अध्यापेक्षा-पत्र के माध्यम से पुनः अवसर प्रदान किया जा रहा है.

उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में मैं, आर.एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-1999 पन्ड्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अन्तर्गत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा-पत्र दिनांक 13 जुलाई 2023 के संबंध में संस्था की आमसभा दिनांक 27 फरवरी 2025 में दी गई आपकी सहमति के तारतम्य में पुनः अवसर प्रदान करता हूँ कि आप इस अध्यापेक्षा जारी होने के 15 दिवस के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जायें अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रभावित/परिणामी संस्था के सदस्य बने रहने/बनने हेतु सहमत हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी.

यह अध्यापेक्षा आज दिनांक 8 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-2339)

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2025

## अध्यापेक्षा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (5) के अंतर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित,

नायसमंद, जिला भोपाल.

द्वारा:- प्रशासक/प्रबंधक

विषय:- संस्था के पुनर्गठन के संबंध में जारी अध्यापेक्षा-पत्र पंजीयन-2025-1910, भोपाल दिनांक 13 जुलाई 2023 के संबंध में कार्यवाही बावत्.

संदर्भ:- आमसभा दिनांक 25 फरवरी 2025 में पारित निर्णय क्र.-01

क्र.-पंजी-2025-888.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स के मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. उक्त परिप्रेक्ष्य में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था का पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला भोपाल से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 26 जून 2023 द्वारा नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के गठन हेतु चिन्हांकन किया गया था.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-1265-2023. भोपाल दिनांक 2 मई 2023 अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था का पुनर्गठन हेतु 1000 सदस्य एवं 3.00 करोड़ के ऋण व्यवसाय की पूर्ति नहीं होने पर आगामी 03 वर्षों में पूर्ति करने तथा 10 कि.मी. की परिधि एवं 5000 हेक्टेयर कृषि भूमि की बाध्यता समाप्त की गई है. इसी परिप्रेक्ष्य में भोपाल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, भोपाल के पत्र क्रमांक-फिल्ड-69-2023-1066, भोपाल, दिनांक 30 जून 2023 से जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 26 जून 2023 के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार पुनर्गठन हेतु चिन्हांकित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, नायसमंद, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक-एस.एच.आर.-244, दिनांक 29 मार्च 1963 के कार्यक्षेत्र अन्तर्गत ग्राम 21 में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बीलखो, जिला भोपाल के गठन की अनुशंसा की गई है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अनुकूल होने व सोसायटी के युक्तियुक्त प्रबंधन व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से निम्नांकित कॉलम 06 में वर्णित ग्रामों को सम्मिलित करते हुए नवीन सोसायटी का गठन किया जाना लोकहित में प्रथमदृष्टया युक्तियुक्त परिलक्षित हो रहा है:-

क्र.	वर्तमान का समिति का नाम (प्रस्तावित संस्था)	समिति के अन्तर्गत ग्राम के नाम	ग्राम पंचायत का नाम	नवीन पैक्स का नाम (परिणामी संस्था)	नवीन पैक्स में सम्मिलित ग्राम के नाम	प्रस्तावित नवीन संस्था से सम्मिलित नाम ग्राम की दूरी	ग्राम पंचायत के	अनुमानित सदस्य संख्या	अनुमानित ऋण व्यवसाय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	नायसमंद	नायसमंद	नायसमंद						
		दारिया							
		गुजरटोडी	गुजरटोडी						
		कढ़ैयाकोटा	कढ़ैयाकोटा						
		मानाकुण्ड	मानाकुण्ड						
		नेकली							
		शयारकला							
		हरिपुर							
		महुआखोड़ा							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		सुजानपुरा							
		खोरखोडा	बीलखो						
		बीलखो							
		बडवेलीखुर्द		बीलखो	बीलखो				
		बंदरूआ	बंदरूआ		बडवेलीखुर्द	8 कि.मी.	बंदरूआ	561	4.10 करोड़
		बैरखोडी			बैरखोडी				
		भानपुर			भानपुर				
		कादीखोडी			कादीखोडी				
		मलकारी	मलकारी		मलकारी		मलकारी		
		ठिकरिया			ठिकरिया				
		बरखोडीखुर्द			बरखोडीखुर्द				
		ढोकापुरा			ढोकापुरा				

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) 16 (5) के अन्तर्गत अध्यापेक्षा जारी की थी कि इस अध्यापेक्षा जारी होने के एक माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जायें अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के सदस्य की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं. तदोपरांत मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की कार्यवाही की जावेगी. तदानुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-पंजीयन-244, दिनांक 29 मार्च 1963 से उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी.

संस्था की आमसभा दिनांक 27 फरवरी 2025 में संस्था के पुनर्गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है. जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा अध्यापेक्षा-पत्र दिनांक 13 जुलाई 2023 के अनुसार सहमति प्रदान कर दी गई है. चूंकि उक्त आमसभा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 सहपठित नियम 11 एवं कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र-साख-विधि-2017-3159, भोपाल दिनांक 8 सितम्बर 2017 के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु जारी परिपत्र अनुसार प्रारूप "अ" प्रारूप "ब" एवं प्रारूप "स" में प्रस्तावित समिति के पुनर्गठन हेतु जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. अतः इस अध्यापेक्षा-पत्र के माध्यम से पुनः अवसर प्रदान किया जा रहा है.

उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में मैं, आर.एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-1999 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अन्तर्गत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा-पत्र दिनांक 13 जुलाई 2023 के संबंध में संस्था की आमसभा दिनांक 27 फरवरी 2025 में दी गई आपकी सहमति के तारतम्य में पुनः अवसर प्रदान करता हूँ कि आप इस अध्यापेक्षा जारी होने के 15 दिवस के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जायें अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रभावित/परिणामी संस्था के सदस्य बने रहने/बनने हेतु सहमत हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी.

यह अध्यापेक्षा आज दिनांक 8 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-2340)

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2025

## अध्यापेक्षा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (5) के अंतर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित,

गोदरमऊ, जिला भोपाल.

द्वारा:- संस्था के पुनर्गठन के संबंध में जारी मुख्यालय का पत्र क्र.-साख-विधि-680 भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 के संबंध में कार्यवाही बावत्.

क्र.-पंजी-2025-889.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स के मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. उक्त परिप्रेक्ष्य में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था का पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला भोपाल से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 26 जून 2023 द्वारा नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के गठन हेतु चिन्हांकन किया गया था.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-1265-2023. भोपाल दिनांक 2 मई 2023 अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था का पुनर्गठन हेतु 1000 सदस्य एवं 3.00 करोड़ के ऋण व्यवसाय की पूर्ति नहीं होने पर आगामी 03 वर्षों में पूर्ति करने तथा 10 कि.मी. की परिधि एवं 5000 हेक्टेयर कृषि भूमि की बाध्यता समाप्त की गई है. इसी परिप्रेक्ष्य में भोपाल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, भोपाल के पत्र क्रमांक-फिल्ड-69-2023-1066, भोपाल, दिनांक 30 जून 2023 से जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 26 जून 2023 के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार पुनर्गठन हेतु चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, गोदरमऊ, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक-एस.एच.आर.-1413, दिनांक 1 जनवरी 1954 के कार्यक्षेत्र अन्तर्गत ग्राम 09 है इसमें तारा सेवनिया से एक ग्राम मनीखेड़ी को जोड़ने की अनुशंसा की गई है. जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अनुकूल होने व सोसायटी के युक्तियुक्त प्रबंधन व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से निम्नांकित कॉलम 06 में वर्णित ग्रामों को सम्मिलित करते हुए नवीन सोसायटी का गठन किया जाना लोकहित में प्रथमदृष्टया युक्तियुक्त परिलक्षित हो रहा है:-

क्र.	वर्तमान का नाम (प्रस्तावित संस्था)	समिति के ग्राम के नाम	अन्तर्गत	ग्राम पंचायत का नाम	नवीन पैक्स का नाम (परिणामी संस्था)	नवीन पैक्स में सम्मिलित ग्राम के नाम	प्रस्तावित संस्था से ग्राम की दूरी	नवीन ग्राम पंचायत के सम्मिलित नाम	अनुमानित सदस्य संख्या	अनुमानित ऋण व्यवसाय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.	गोदरमऊ	9	5	गोदरमऊ	10	7	6	99	552.30	

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 सहपठित नियम 11 एवं कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र.-साख-विधि-2017-3159, भोपाल दिनांक 8 सितम्बर 2017 के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. अतः इस अध्यापेक्षा-पत्र के माध्यम से अवसर प्रदान किया जा रहा है.

उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में मैं, आर.एस. विवकर्मा उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-1-1999-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा 16(5) के अन्तर्गत अवसर प्रदान करता हूँ कि आप इस अध्यापेक्षा जारी होने के 15 दिवस के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जायें अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या श्रेष्ठों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रभावित/परिणामी संस्था के सदस्य बने रहने/बनने हेतु सहमत हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी.

यह अध्यापेक्षा आज दिनांक 8 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-2341)

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2025

अध्यापेक्षा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (5) के अंतर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित,

कुठार निपानिया जाट, जिला भोपाल.

द्वारा:- प्रशासक/प्रबंधक

विषय:- संस्था के पुनर्गठन के संबंध में जारी अध्यापेक्षा-पत्र पंजीयन-2025-1910, भोपाल दिनांक 13 जुलाई 2023 के संबंध में कार्यवाही बावत्.

संदर्भ:- आमसभा दिनांक 3 मार्च 2025 में पारित निर्णय क्र.-01

क्र.-पंजी-2025-872.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स के मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. उक्त परिप्रेक्ष्य में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था का पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला भोपाल से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 26 जून 2023 द्वारा नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के गठन हेतु चिन्हांकन किया गया था.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-1265-2023. भोपाल दिनांक 2 मई 2023 अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था का पुनर्गठन हेतु 1000 सदस्य एवं 3.00 करोड़ के ऋण व्यवसाय की पूर्ति नहीं होने पर आगामी 03 वर्षों में पूर्ति करने तथा 10 कि.मी. की परिधि एवं 5000 हेक्टेयर कृषि भूमि की बाध्यता समाप्त की गई है. इसी परिप्रेक्ष्य में भोपाल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, भोपाल के पत्र क्रमांक-फिल्ड-69-2023-1066, भोपाल, दिनांक 30 जून 2023 से जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 26 जून 2023 के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार पुनर्गठन हेतु चिन्हांकित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, कुठार निपानिया जाट, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक-एस.एच.आर.-1713, दिनांक 13 मार्च 1959 के कार्यक्षेत्र अन्तर्गत ग्राम 14 में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, निपानिया जाट, जिला भोपाल के गठन की अनुशंसा की गई है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अनुकूल होने व सोसायटी के युक्तियुक्त प्रबंधन व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से निम्नांकित कॉलम 06 में वर्णित ग्रामों को सम्मिलित करते हुए नवीन सोसायटी का गठन किया जाना लोकहित में प्रथमदृष्टया युक्तियुक्त परिलक्षित हो रहा है:-

क्र.	वर्तमान का समिति का नाम (प्रस्तावित संस्था)	समिति के अन्तर्गत ग्राम के नाम	ग्राम पंचायत का नाम	नवीन पैक्स का नाम (परिणामी संस्था)	नवीन पैक्स में सम्मिलित ग्राम के नाम	प्रस्तावित संस्था से ग्राम की दूरी	ग्राम पंचायत के सम्मिलित नाम	अनुमानित सदस्य संख्या	अनुमानित ऋण व्यवसाय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	कुठार निपानिया जाट	कुठार	निपानिया जाट						
2.		बरखेडी हज्जाम	बरखेडी हज्जाम						
3.		सागोनी	काछी बरखेडा						
4.		काछी बरखेडा	शाहपुर						
5.		देवपुर							
6.		शाहपुर							
7.		चंदेरी	चंदेरी	निपानिया जाट	निपानिया जाट	3 कि.मी.	चंदेरी	845	4.04 करोड़
8.		खजूरी	खजूरी		बरखेडी हज्जाम खजूरी				
9.		रातातल	निपानिया सूख		सागोनी		निपानिया सूख		
10.		निपानिया सूखा	निपानिया जाट	काछी बरखेडा	निपानिया जाट				
11.		निपानिया जाट			हिनोतिया जागीर				
12.		करदई			खजूरी				
13.		रोजीबेग			रातातल				
14.		हिनोतिया जागीर							

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) 16 (5) के अन्तर्गत अध्यापेक्षा जारी की थी कि इस अध्यापेक्षा जारी होने के एक माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथा स्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के सदस्य की मांग करें निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं। तदनुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की कार्यवाही की जावेगी। तदनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-पंजीयन-1713, दिनांक 13 मार्च 1959 से उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी।

संस्था की आमसभा दिनांक 27 फरवरी 2025 में संस्था के पुनर्गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा अध्यापेक्षा-पत्र दिनांक 13 जुलाई 2023 के अनुसार सहमति प्रदान कर दी गई है। चूंकि उक्त आमसभा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 सहपठित नियम 11 एवं कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र.-साख-विधि-2017-3159, भोपाल दिनांक 8 सितम्बर 2017 के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु जारी परिपत्र अनुसार प्रारूप "अ" प्रारूप "ब" एवं प्रारूप "स" में प्रस्तावित समिति के पुनर्गठन हेतु जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः इस अध्यापेक्षा-पत्र के माध्यम से पुनः अवसर प्रदान किया जा रहा है।

उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में मैं, आर.एस. विश्वकर्मा उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-1999 पन्डह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अन्तर्गत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा-पत्र दिनांक 13 जुलाई 2023 के संबंध में संस्था की आमसभा दिनांक 27 फरवरी 2025 में दी गई आपकी सहमति के तारतम्य में पुनः अवसर प्रदान करता हूँ कि आप इस अध्यापेक्षा जारी होने के 15 दिवस के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जायें अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें। निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रभावित/परिणामी संस्था के सदस्य बने रहने/बनने हेतु सहमत हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी।

यह अध्यापेक्षा आज दिनांक 8 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है।

(G-2342)

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2025

अध्यापेक्षा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (5) के अंतर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित,

नजीराबाद, जिला भोपाल.

द्वारा:- प्रशासक/प्रबंधक

विषय:- संस्था के पुनर्गठन के संबंध में जारी अध्यापेक्षा पत्र पंजीयन-2025-1910, भोपाल दिनांक 13 जुलाई 2023 के संबंध में कार्यवाही बावत्.

संदर्भ:- आमसभा दिनांक 25 फरवरी 2025 में पारित निर्णय क्र.-01

क्र.-पंजी-2025-887.- आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स के मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है. उक्त परिपेक्ष्य में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था का पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला भोपाल से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 26 जून 2023 द्वारा नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के गठन हेतु चिन्हांकन किया गया था.

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-1265-2023. भोपाल दिनांक 2 मई 2023 अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था का पुनर्गठन हेतु 1000 सदस्य एवं 3.00 करोड़ के ऋण व्यवसाय की पूर्ति नहीं होने पर आगामी 03 वर्षों में पूर्ति करने तथा 10 कि.मी. की परिधि एवं 5000 हेक्टेयर कृषि भूमि की बाध्यता समाप्त की गई है. इसी परिपेक्ष्य में भोपाल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, भोपाल के पत्र क्रमांक-फिल्ड-69-2023-1066, भोपाल, दिनांक 30 जून 2023 से जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 26 जून 2023 के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार पुनर्गठन हेतु चिन्हांकित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, नजीराबाद, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक एस.एच.आर.-1573, दिनांक 18 जनवरी 1958 के कार्यक्षेत्र अन्तर्गत ग्राम 43 में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बहरावल, खाताखेड़ी, सिन्धोडा जिला भोपाल के गठन की अनुशंसा की गई है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अनुकूल होने व सोसायटी के युक्तियुक्त प्रबंधन व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से निम्नांकित कॉलम 06 में वर्णित ग्रामों को सम्मिलित करते हुए नवीन सोसायटी का गठन किया जाना लोकहित में प्रथम दृष्टया युक्तियुक्त परिलक्षित हो रहा है:-

क्र.	वर्तमान का समिति का नाम (प्रस्तावित संस्था)	समिति के अन्तर्गत ग्राम के नाम	ग्राम पंचायत का नाम	नवीन पैक्स का नाम (परिणामी संस्था)	नवीन पैक्स में सम्मिलित ग्राम के नाम	प्रस्तावित नवीन संस्था से सम्मिलित ग्राम की दूरी	ग्राम पंचायत के नाम	अनुमानित सदस्य संख्या	अनुमानित ऋण व्यवसाय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	नजीराबाद	नजीराबाद	नजीराबाद						
2.		खोजडाघाट	खोजडाघाट						
3.		खोरखेडी	बडबेली						
4.		घोघपुर	कढ़ैयाकलां						
5.		धामनटोडी	रमाह						
6.		बडबेली							
7.		कढ़ैयाकलां							
8.		मैनापुरा							
9.		बरखेडाखुर्द							
10.		रमाह							
11.		भीमकण्ड							
12.		खोजडा	कल्यानपुर						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13.	बहरावल	बहरावल	बहरावल	बहरावल	बहरावल	4 कि.मी.	बहरावल	693	7.80 करोड़
14.	डोगरगांव	भुजपुरा			डोगरगांव		भुजपुरा		
15.	भाटनी	अमरपुर			भाटनी		अमरपुर		
16.	मझैडा	खजूरियाकलां			मझैडा		खजूरियाकलां		
17.	भुजपुरा				भुजपुरा				
18.	नीमखेड़ी				नीमखेड़ी				
19.	अमरपुर				अमरपुर				
20.	खजूरियाकलां				खजूरियाकलां				
21.	सुराना				सुराना				
22.	भकवाह								
23.	खाण्डारिया				बरखेडाकलां		बरखेडाकलां		
24.	बरखेडाकलां	खाताखेड़ी	खाताखेड़ी		खाताखेड़ी	8 कि.मी.	खाताखेड़ी	719	4.50 करोड़
25.	खाताखेड़ी	गढाब्राम्हण			गनाखेड़ी		गढाब्राम्हण		
26.	गनाखेड़ी	कोलूखेड़ी			चंदपुरा		कोलूखेड़ी		
27.	चंदपुरा	रावतपुरा			बीजापुरा		रावतपुरा		
28.	बीजापुरा				मजीदगढ़				
29.	मजीदगढ़				गढाब्राम्हण				
30.	गढाब्राम्हण				कोलूखेड़ी				
31.	कोलूखेड़ी				पातलपुर				
32.	पातलपुर				पातलपानी				
33.	पातलपानी				कीटई				
34.	कीटई				रावतपुरा				
35.	रावतपुरा	सिन्धोडा	सिन्धोडा		सिन्धोडा	4 कि.मी.	सिन्धोडा	509	4.01 करोड़
36.	कालापाठा	सुरजपुरा			पीपाखेड़ी		सुरजपुरा		
37.	सिन्धोडा	उमरया			सहोदरा		उमरया		
38.	पीपाखेड़ी				सूरजपुरा				
39.	सहोदरा				बाबूखेड़ी				
40.	सूरजपुरा				आमल्या				
41.	बाबूखेड़ी				उमरया				
42.	आमल्या								
43.	उमरया								

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) 16 (5) के अन्तर्गत अध्यापेक्षा जारी की थी कि इस अध्यापेक्षा जारी होने के एक माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथा स्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के सदस्य की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रस्तावित परिणामी संस्था के सदस्य बनने हेतु सहमत हैं. तदोपरांत मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की कार्यवाही की जावेगी. तदनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-पंजीयन-1573, दिनांक 18 जनवरी 1958 से उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी.

संस्था की आमसभा दिनांक 27 फरवरी 2025 में संस्था के पुनर्गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है. जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 13 जुलाई 2023 के अनुसार सहमति प्रदान कर दी गई है. चूंकि उक्त आमसभा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 सहपठित नियम 11 एवं कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र.-साख-विधि-2017-3159, भोपाल दिनांक 8 सितम्बर 2017 के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु जारी परिपत्र अनुसार प्रारूप "अ" प्रारूप "ब" एवं प्रारूप "स" में प्रस्तावित समिति के पुनर्गठन हेतु जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. अतः इस अध्यापेक्षा पत्र के माध्यम से पुनः अवसर प्रदान किया जा रहा है.

उपरोक्त कडिका में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में मैं, आर.एस. विश्वकर्मा उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-1999 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अन्तर्गत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 13 जुलाई 2023 के संबंध में संस्था की आमसभा दिनांक 27 फरवरी 2025 में दी गई आपकी सहमति के तारतम्य में पुनः अवसर प्रदान करता हूँ कि आप इस अध्यापेक्षा जारी होने के 15 दिवस के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें. निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रभावित/परिणामी संस्था के सदस्य बने रहने/बनने हेतु सहमत हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी.

यह अध्यापेक्षा आज दिनांक 8 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है.

(G-2343)

आर.एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक.

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 मई 2025—ज्येष्ठ 2, शक 1947

भाग 3 ( 2 )

सांख्यिकी सूचनाएं

(कुछ नहीं)